



**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



**संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर - केंद्रीय उत्पाद शुल्क)
2017 का प्रतिवेदन सं. 3**

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन**

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर - केंद्रीय उत्पाद शुल्क)
2017 का प्रतिवेदन सं. 3**

_____ को लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया

विषय सूची

| विषय | पृष्ठ |
|---|-------------|
| प्राक्कथन | (i) |
| कार्यकारी सार | (iii) |
| अध्याय I: राजस्व विभाग- केंद्रीय उत्पाद शुल्क | 1-25 |
| 1.1 संघ सरकार के संसाधन | 1 |
| 1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति | 2 |
| 1.3 संगठनात्मक ढांचा | 3 |
| 1.4 अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्ति और संयोजन | 4 |
| 1.5 अप्रत्यक्ष कर - संबंधित योगदान | 4 |
| 1.6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि-प्रवृत्ति और संयोजन | 5 |
| 1.7 उपयोग किए गए सेनवेट क्रेडिट की तुलना में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ | 6 |
| 1.8 प्रमुख वस्तुओं से केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व | 7 |
| 1.9 कर आधार | 8 |
| 1.10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बजटीय मुद्दे | 9 |
| 1.11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत छोड़ा गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व | 10 |
| 1.12 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा | 11 |
| 1.13 प्रतिदाय | 14 |
| 1.14 आन्तरिक लेखापरीक्षा | 16 |
| 1.15 कॉल बुक | 18 |
| 1.16 केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बकाया | 19 |
| 1.17 अपवंचन रोधी उपायों के कारण उगाही किया गया अतिरिक्त राजस्व | 19 |
| 1.18 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण | 20 |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|--|--------------|
| 1.19 | संग्रहण की लागत | 20 |
| 1.20 | अधिनिर्णय | 21 |
| 1.21 | अपीलीय मामले | 22 |
| 1.22 | मंत्रालय द्वारा डाटा प्रस्तुत न करना और प्रस्तुत किये गये डाटा में विसंगति | 24 |
| 1.23 | लेखापरीक्षा प्रयास और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद-अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | 24 |
| 1.24 | जानकारी के स्रोत और परामर्श की प्रक्रिया | 24 |
| 1.25 | प्रतिवेदन विहंगावलोकन | 25 |
| 1.26 | लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव | 25 |
| अध्याय II : बकाया की वसूली | | 27-67 |
| 2.1 | प्रस्तावना | 27 |
| 2.2 | बकाया का वर्गीकरण | 29 |
| 2.3 | संगठनात्मक ढांचा | 30 |
| 2.4 | लेखापरीक्षा उद्देश्य | 31 |
| 2.5 | लेखापरीक्षा कवरेज | 32 |
| 2.6 | लेखापरीक्षा निष्कर्ष | 32 |
| 2.7 | बकाया की वसूली के संदर्भ में विभागीय निष्पादन | 32 |
| 2.8 | क्षेत्रीय संरचनाओं का कार्य | 35 |
| 2.9 | आन्तरिक नियंत्रण | 55 |
| 2.10 | निगरानी | 58 |
| 2.11 | वसूली हेतु कार्यबल की कार्यप्रणाली | 64 |
| 2.12 | निष्कर्ष | 67 |
| अध्याय III : आन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता | | 69-83 |
| 3.1 | प्रस्तावना | 69 |
| 3.2 | संगठनात्मक ढांचा | 69 |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|--|---------------|
| 3.3 | लेखापरीक्षा उद्देश्य | 70 |
| 3.4 | लेखापरीक्षा मानदण्ड | 70 |
| 3.5 | कार्यक्षेत्र, कवरेज तथा लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली | 70 |
| 3.6 | अभिलेखों को प्रस्तुत न करना | 71 |
| 3.7 | लेखापरीक्षा निष्कर्ष | 71 |
| 3.8 | डेस्क समीक्षा तथा क्षेत्रीय लेखापरीक्षा का निष्पादन | 71 |
| 3.9 | आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की निगरानी | 77 |
| 3.10 | विविध मुद्दें | 82 |
| 3.11 | निष्कर्ष | 83 |
| अध्याय IV : नियमों एवं विनियमों का गैर-अनुपालन | | 85-90 |
| 4.1 | प्रस्तावना | 85 |
| 4.2 | केंद्रीय उत्पाद शुल्क का गैर/कम भुगतान | 85 |
| 4.3 | सेनवेट क्रेडिट | 87 |
| 4.4 | ब्याज का गैर/कम भुगतान | 90 |
| अध्याय V : आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता | | 91-154 |
| 5.1 | आन्तरिक नियंत्रण | 91 |
| 5.2 | लेखापरीक्षा निष्कर्ष | 91 |
| 5.3 | आन्तरिक लेखापरीक्षा का गैर-संचालन | 91 |
| 5.4 | आन्तरिक लेखापरीक्षा के द्वारा अवधि को पूर्णतः कवर न करना | 101 |
| 5.5 | आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारितियों की चूकों का पता न लगाना | 103 |
| 5.6 | विविध मामलें | 147 |
| परिशिष्ट I | | 155 |
| परिशिष्ट II | | 156 |
| शब्दावली | | 159 |

प्राक्कथन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों का उल्लेख का किया गया है जो 2015-16 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए; और साथ ही वे मामले जो पूर्व के वर्षों में देखे गए थे लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार प्रतिपादित की गई है।

कार्यकारी-सार

वित्तीय वर्ष 2015-16 (वि.व 16) के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण ₹ 2,87,149 करोड़ था और वि.व. 16 में अप्रत्यक्ष कर राजस्व का 40 प्रतिशत था।

इस प्रतिवेदन में ₹ 178.68 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर 93 लेखापरीक्षा आपत्तियां शामिल हैं। मंत्रालय/विभाग ने दिसम्बर 2016 तक ₹ 132.13 करोड़ राजस्व वाली लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया था और ₹ 30.44 करोड़ की वसूली की सूचना दी। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:-

अध्याय I: राजस्व विभाग-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में वि.व 15 की तुलना में वि.व 16 में 52 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गई।

(पैराग्राफ 1.7)

- वि.व 16 के दौरान, पेट्रोल और उच्च गति डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क में वृद्धि।

(पैराग्राफ 1.8)

- उत्पाद शुल्क के संबंध में वि.व 16 में छोड़ा गया राजस्व ₹ 2,24,940 करोड़ (सामान्य छूट के रूप में ₹ 2,05,940 करोड़ और क्षेत्र आधारित छूट के रूप में ₹ 19,000 करोड़) था जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का 78.34 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 1.11)

- ₹ 92,162 करोड़ की भारी राशि का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व विभिन्न स्तरों पर मुकदमों के अधीन है। यह राशि प्रति वर्ष बढ़ रही है।

(पैराग्राफ 1.21)

अध्याय II: बकाया की वसूली

- 2012-13 की तुलना में 2014-15 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बकाया में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, पिछले तीन वर्षों में बकाया की वसूली में गिरावट देखी गई। चेन्नई-1 कमिश्नरी- में बकाया में 387.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(पैराग्राफ 2.7)

- 12 कमिश्नरियों के तहत नमूना जांच किए गए 37 मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के अन्तर्गत वसूली की कार्रवाई नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 95.87 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

(पैराग्राफ 2.8.2)

- चार कमिश्नरियों में ₹ 137.81 करोड़ के राजस्व वाले 2 से 10 वर्षों से लम्बित नमूना जांच किए गए 23 मामलों में, जल्दी सुनवाई के लिए आवेदन दर्ज नहीं किए गए थे।

(पैराग्राफ 2.8.3)

- यदि विभागीय प्रयासों द्वारा कोई वसूली नहीं होती है तो मामलों को वसूली सैलों में हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है जो चूककर्ता की सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूली की कार्रवाई करने के लिए सशक्त है। 2014-15 के दौरान 23 कमिश्नरियों में वसूली सैलों को कोई मामला हस्तांतरित नहीं किया गया था, ₹ 18,700.27 करोड़ की राशि वाले 15,388 मामले वसूली हेतु लम्बित थे। मामलों को हस्तांतरित न करने से न केवल वसूली सैल व्यर्थ हुए किन्तु बकाया का संचयन हुआ और उसकी कम वसूलियां हुई।

(पैराग्राफ 2.8.6)

- बोर्ड ने 2004 में एक केन्द्रीकृत कार्य बल (सीटीएफ) का गठन बकायों की वसूली में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संगठनों के प्रयासों के समन्वय, सुविधा जनक बनाने, निगरानी और निरीक्षण हेतु किया था। हमने पाया कि यद्यपि कार्य बल को बकायों की वसूली हेतु

नीतियों को अन्तिम रूप देने और कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया था किन्तु इसने बकायों की वसूली के लिए ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। मार्च 2015 तक ₹ 63,925.42 करोड़ के कुल बकायों में से, ₹ 44,747.82 करोड़ ₹ 1,485.15 करोड़ और ₹ 77.07 करोड़ के बकायों के मामले क्रमशः सेसटेट, आयुक्त (अपील), और निपटान आयोग के पास लम्बित थे, जो वसूली के लिए कुल बकायों का 72.44 प्रतिशत बनता है।

(पैराग्राफ 2.11.1)

अध्याय III: आन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

- हमने 750 निर्धारित मास्टर फाइलों (एएमएफ) और 1125 आन्तरिक लेखापरीक्षा फाइलों (आईएएफ) की मांग की थी जिनमें से हमें क्रमशः 565 एएमएफ और 1039 आईएएफ प्राप्त हुई थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान पांच कमिश्नरियों ने लेखापरीक्षा योजना रजिस्टर, लेखापरीक्षा अनुवर्ती कार्रवाई रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया। एक विंग जो कि अनुपालन सत्यापन तंत्र का आधार है द्वारा अभिलेखों का घटिया अनुरक्षण विभाग की घटिया कार्य पद्धति को दर्शाता है।

(पैराग्राफ 3.6)

- ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट और चण्डीगढ़ में मै. अमृतसर, क्राउन्स कोप्स (प्रा) लि.) और कोलकाता मै. यंग इंडिया प्रीसट्रेस प्रा. लि. की लेखापरीक्षा ॥ कमिश्नरियों में क्रमशः 331 और 241 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी।

(पैराग्राफ 3.9.3)

- हमने आठ कमिश्नरियों में पाया कि कुल 580 आन्तरिक लेखापरीक्षा फाइलों में से, 434 फाइलों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के मूल्यांकन के लिए कोई स्कोरिंग नहीं की गई थी। तीन कमिश्नरियों में किसी भी आन्तरिक लेखापरीक्षा फाइल में कोई स्कोरिंग नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 3.9.4)

- कोचीन लेखापरीक्षा-1 में मै.कन्चोर इन्वैस्टिमेंट्स लि. और दिल्ली लेखापरीक्षा-1 कमशनरी में मै. त्रिमूर्ति फ्रेरेंस प्रा. लि की अन्तिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट क्रमशः 589 और 206 दिनों के विलम्ब से जारी की गई थी।

(पैराग्राफ 3.9.5)

अध्याय IV: नियमों और विनियमों का अननुपालन

- हमने सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ और उपयोग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के गैर/कम भुगतान के 35 मामले देखे जिनमें ₹ 73.99 करोड़ का राजस्व शामिल था।

(पैराग्राफ 4.1)

अध्याय V: आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

- हमने विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई आन्तरिक लेखापरीक्षा में कमियों और अन्य विषयों के 56 मामलों देखे जिनमें ₹ 104.68 करोड़ का राजस्व शामिल था।

(पैराग्राफ 5.1)

अध्याय I

राजस्व विभाग - केंद्रीय उत्पाद शुल्क

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों के जारी करने से प्राप्त सभी ऋण, आन्तरिक और बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋण की वापसी से प्राप्त समस्त राशियाँ शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की राजस्व प्राप्ति शामिल हैं। तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व. 16) और वि.व. 15 के लिए संघ सरकार की प्राप्तियों का सार दर्शाती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

| | (₹ करोड़ में) | |
|---|------------------|------------------|
| | वि.व. 16 | वि.व. 15 |
| क. कुल राजस्व प्राप्ति | 19,42,200 | 16,66,717 |
| i. प्रत्यक्ष कर प्राप्ति | 7,42,012 | 6,95,792 |
| ii. अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्ति | 7,13,879 | 5,49,343 |
| iii. गैर-कर प्राप्ति | 4,84,428 | 4,19,982 |
| iv. सहायता अनुदान एवं अंशदान | 1,881 | 1,600 |
| ख. विविध पूंजीगत प्राप्ति ¹ | 42,132 | 37,740 |
| ग. ऋण एवं अग्रिम की वसूली ² | 41,878 | 26,547 |
| घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ³ | 43,16,950 | 42,18,196 |
| भारत सरकार की प्राप्ति (क+ख+ग+घ) | 63,43,160 | 59,49,200 |

स्रोत: संबंधित वर्ष के संघ वित्तीय लेखे। अन्य करों सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्ति और अप्रत्यक्ष कर प्राप्ति की गणना संघ वित्तीय लेखे से की गई है। कुल राजस्व प्राप्ति में राज्यों को सीधे सौंपी गई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्ति के हिस्से के रूप में वि.व. 15 में ₹ 3,37,808 करोड़ और वि.व. 16 में ₹ 5,06,193 करोड़ शामिल हैं।

संघ सरकार की कुल प्राप्ति में वि.व.15 में ₹ 59,49,200 करोड़ से वि.व.16 में ₹ 63,43,160 करोड़ की वृद्धि हुई। वि.व.16 में, उसकी स्वयं की प्राप्ति ₹ 14,55,891 करोड़ की सकल कर प्राप्ति सहित ₹ 19,42,200

¹ इसमें बोनस शेयर, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश और अन्य उपक्रम और अन्य प्राप्ति शामिल हैं;

² संघ सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम की वसूली

³ आंतरिक रूप के साथ-साथ बाहरी रूप से भारत सरकार द्वारा उधारियां;

करोड़ थी जिसमें से अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 7,13,879 करोड़ थी।

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

अप्रत्यक्ष कर माल/सेवाओं की आपूर्ति की लागत से संबद्ध है और इस अर्थ में वह व्यक्ति विशिष्ट की बजाए लेन देन विशिष्ट है। संसद के अधिनियमों के तहत लगाए गए मुख्य अप्रत्यक्ष कर/शुल्क निम्नलिखित हैं:

क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क: केंद्रीय उत्पाद शुल्क भारत में निर्मित या उत्पादित माल पर लगाया जाता है। संसद को मानव उपभोग के लिए शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों को छोड़कर किन्तु शराब, अफीम इत्यादि वाले औषधीय और प्रसाधन पदार्थों सहित भारत में निर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार है। (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)।

ख) सेवा कर: कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि 97)। सेवाकर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर कर है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी में प्रावधान है कि नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कर योग्य क्षेत्र में दी गई सेवाओं या सेवाएँ देने पर सहमति देने वाली सभी सेवाओं के मूल्य पर 15 प्रतिशत (जिसमें 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत उपकर तथा 0.5 प्रतिशत कृषि कल्याण उपकर सम्मिलित है) की दर से कर लगाया जाएगा और उस रूप में वसूल किया जाएगा जैसा कि निर्धारित⁴ किया गया है। 'सेवा' को अधिनियम की धारा 65बी(44) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए किसी भी गतिविधि

⁴ धारा 66बी को वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1 जुलाई 2012 से शामिल किया गया था; धारा 66डी नकारात्मक सूची वाले मदों को सूचीबद्ध करती है।

(उसमें छोड़ी गई मदों के अलावा) और उसमें घोषित सेवा⁵ सम्मिलित है।

ग) **सीमाशुल्क:** भारत में आयातित माल और भारत से बाहर निर्यात होने वाले कुछ माल पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83) ।

1.3 संगठनात्मक ढांचा

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निदेशन एवं नियंत्रण के तहत कार्य करता है और यह केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित दो सांविधिक बोर्ड नामतः केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। सेवा कर लगाने और संग्रहण से संबंधित मामले सीबीईसी द्वारा देखे जाते हैं।

अप्रत्यक्ष कर कानून का प्रशासन सीबीईसी द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालय, कार्यकारी कमिश्नरी के माध्यम से किया जाता है। इस उद्देश्य हेतु, देश को मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के 27 जोनों में बांटा गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के इन 27 जोनों के अंतर्गत आयुक्त की अध्यक्षता में 83 संयुक्त कार्यकारी कमिश्नरी जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर दोनों की चर्चा करते हैं, 36 विशेष केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यकारी कमिश्नरियां तथा 22 विशेष सेवा कर कार्यकारी कमिश्नरी हैं। डिवीजन और रैंज क्रमशः उप/सहायक आयुक्त और अधीक्षक की अध्यक्षता में अगली इकाइयां हैं। इन कार्यकारी कमिश्नरियों के अलावा, विशेष कार्य करने के लिये आठ बड़ी कर भुगतान करने वाली इकाइयां (एलटीयू) कमिश्नरियाँ, 60 अपील कमिश्नरियां, 45 लेखापरीक्षा कमिश्नरियाँ और 20 महानिदेशालय /निदेशालय हैं।

01 जनवरी 2016 तक सीबीईसी की समग्र संस्वीकृत कार्यबल संख्या 91,756⁶ है। सीबीईसी का संगठनात्मक ढाँचा परिशिष्ट 1 में दर्शाया गया है।

⁵ वित्त अधिनियम की धारा 66ई में घोषित सेवाएं सूचीबद्ध हैं।

1.4 अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संयोजन

तालिका 1.2 वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में सापेक्षित वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | अप्रत्यक्ष कर | जीडीपी | जीडीपी की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर | सकल कर राजस्व | सकल कर राजस्व के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर |
|---------|---------------|-------------|--------------------------------------|---------------|---|
| वि.व.12 | 3,92,674 | 90,09,722 | 4.36 | 8,89,118 | 44.16 |
| वि.व.13 | 4,74,728 | 99,88,540 | 4.75 | 10,36,460 | 45.80 |
| वि.व.14 | 4,97,349 | 1,13,45,056 | 4.38 | 11,38,996 | 43.67 |
| वि.व.15 | 5,46,214 | 1,25,41,208 | 4.36 | 12,45,135 | 43.87 |
| वि.व.16 | 7,10,101 | 1,35,76,086 | 5.23 | 14,55,891 | 48.77 |

स्रोत: कर राजस्व: संघ वित्तीय लेखे, जीडीपी - सीएसओ का प्रेस नोट⁷

यह देखा गया कि वि.व 15 की तुलना में वि.व 16 में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में जीडीपी के अनुपात के रूप में और सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में वृद्धि हुई।

1.5 अप्रत्यक्ष कर - संबंधित योगदान

तालिका 1.3 वि.व. 12 से वि.व. 16 तक की अवधि में जीडीपी के संदर्भ में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर घटकों का प्रक्षेप वक्र दर्शाती है।

⁶ मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

⁷ केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 31 मई 2016 को जारी जीडीपी पर प्रेस नोट । यह दर्शाता है कि वि.व 14 और वि.व 15 हेतु जीडीपी के लिये आंकड़े नई सिरीज प्राक्कलनों के आधार पर हैं और वि.व 16 के आंकड़े विद्यमान कीमतों पर अनन्तिम प्राक्कलनों के आधार पर हैं । वि.व 12 और वि.व 13 के आंकड़े मूल वर्ष 2004-05 सहित वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर हैं । आंकड़ों को सीएसओ द्वारा निरंतर संशोधित किया जा रहा है और यह डाटा वित्तीय निष्पादन के साथ व्यापक आर्थिक निष्पादन की सांकेतिक तुलना के लिये हैं ।

तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर - जीडीपी की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | जीडीपी | के.उ.शु. राजस्व | जीडीपी की % के रूप में के.उ.शु. राजस्व | सेवा कर राजस्व | जीडीपी की % के रूप में सेवा कर राजस्व | सीमा शुल्क राजस्व | जीडीपी की % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व |
|---------|-------------|--------------------|---|-------------------|--|-------------------------|--|
| वि.व.12 | 90,09,722 | 1,44,901 | 1.61 | 97,509 | 1.08 | 1,49,328 | 1.66 |
| वि.व.13 | 99,88,540 | 1,75,845 | 1.76 | 1,32,601 | 1.33 | 1,65,346 | 1.66 |
| वि.व.14 | 1,13,45,056 | 1,69,455 | 1.49 | 1,54,780 | 1.36 | 1,72,085 | 1.52 |
| वि.व.15 | 1,25,41,208 | 1,89,038 | 1.51 | 1,67,969 | 1.34 | 1,88,016 | 1.50 |
| वि.व.16 | 1,35,76,086 | 2,87,149 | 2.12 | 2,11,415 | 1.56 | 2,10,338 | 1.55 |

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे के अनुसार हैं।

वि.व. 16 के दौरान जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा सीमाशुल्क के अंश में वृद्धि हुई।

1.6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संयोजन

तालिका 1.4 वि.व.12 से वि.वि.16 के दौरान समेकित और जीडीपी में केंद्रीय उत्पाद राजस्व का रुझान दर्शाती है।

तालिका 1.4: केंद्रीय उत्पाद राजस्व में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | जीडीपी | सकल कर राजस्व | सकल अप्रत्यक्ष कर | केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व | जीडीपी की % के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व | सकल कर राजस्व की % के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व | अप्रत्यक्ष कर की % के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व |
|---------|-------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| वि.व.12 | 90,09,722 | 8,89,118 | 3,92,674 | 1,44,901 | 1.61 | 16.30 | 36.90 |
| वि.व.13 | 99,88,540 | 10,36,460 | 4,74,728 | 1,75,845 | 1.76 | 16.97 | 37.04 |
| वि.व.14 | 1,13,45,056 | 11,38,996 | 4,97,349 | 1,69,455 | 1.49 | 14.88 | 34.07 |
| वि.व.15 | 1,25,41,208 | 12,45,135 | 5,46,214 | 1,89,038 | 1.51 | 15.18 | 34.61 |
| वि.व.16 | 1,35,76,086 | 14,55,891 | 7,10,101 | 2,87,149 | 2.12 | 19.72 | 40.44 |

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखों के अनुसार हैं।

यह देखा गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में जीडीपी सकल कर राजस्व और अप्रत्यक्ष कर के अनुपात के रूप में वि.व 16 के दौरान वृद्धि हुई और इसने वि.व 16 में सकल कर राजस्व में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान दिया।

1.7 उपयोग किए गए सेनवेट क्रेडिट की तुलना में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ

एक विनिर्माता इनपुटों या पूँजीगत माल पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ, उसके विनिर्माण कार्य से संबंधित इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर के क्रेडिट का लाभ ले सकता है तथा इस प्रकार लिए गये क्रेडिट का उपयोग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में कर सकता है।

तालिका 1.5 वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान नगदी (पीएलए) तथा सेनवेट क्रेडिट द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 1.5: केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां : पीएलए तथा सेनवेट का उपयोग

(₹ करोड़ में)


| वर्ष | पीएलए द्वारा प्रदत्त के.उ.शु. | | सेनवेट क्रेडिट द्वारा प्रदत्त के.उ.शु. | | पीएलए भुगतान के % के रूप में सेनवेट क्रेडिट से प्रदत्त के.उ.शु. |
|---------|-------------------------------|------------------------|--|------------------------|---|
| | राशि # | पिछले वर्ष से % वृद्धि | राशि* | पिछले वर्ष से % वृद्धि | |
| वि.व.12 | 1,44,901 | 5.23 | 2,14,014 | 25.85 | 147.70 |
| वि.व.13 | 1,75,845 | 21.36 | 2,58,697 | 20.88 | 147.12 |
| वि.व.14 | 1,69,455 | -3.63 | 2,73,323 | 5.65 | 161.30 |
| वि.व.15 | 1,89,038 | 11.56 | 2,91,694 | 6.72 | 154.30 |
| वि.व.16 | 2,87,149 | 51.90 | 3,10,335 | 6.01 | 108.07 |

स्रोत: #संघ वित्त लेखे * मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े

यह देखा गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व (पीएलए) ने वि.व 15 की तुलना में वि.व 16 में 51.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। सेनवेट क्रेडिट से भुगतान में पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएलए में वि.व 12 में 148 प्रतिशत से वि.व 15 में 154 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा वि.व 16 में 108 प्रतिशत तक कमी हुई जो प्रमुख रूप से पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क में वृद्धि के कारण है।

1.8 प्रमुख वस्तुओं से केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

चार्ट 1.1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व (वि.व. 16) में वस्तु समूह का भाग दर्शाता है।



स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया कि पेट्रोलियम (69.23 प्रतिशत), तंबाकू उत्पाद (7.47 प्रतिशत), लौह एवं इस्पात (5.79 प्रतिशत), मोटर वाहन (4.95 प्रतिशत), सीमेंट (3.67 प्रतिशत), मशीनरी उत्पाद (2.24 प्रतिशत), प्लास्टिक (2.12 प्रतिशत) तथा रसायन उत्पाद (1.89 प्रतिशत) उच्चतम राजस्व अर्जक थे और इनका वि.व 16 में कुल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व का 97.37 प्रतिशत योगदान था ।

तालिका 1.6 पिछले पांच वर्षों के दौरान इन वस्तुओं से राजस्व को दर्शाती है।

तालिका 1.6: पिछले पांच वर्षों के दौरान शीर्ष उपज वस्तुओं से राजस्व

(₹ करोड़ में)

| वस्तुएँ | वि.व. 12 | वि.व. 13 | वि.व. 14 | वि.व. 15 | वि.व. 16 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| पेट्रोलियम उत्पाद | 74,112 | 84,188 | 88,065 | 1,06,653 | 1,98,793 |
| तम्बाकू उत्पाद | 15,682 | 17,991 | 16,050 | 16,676 | 21,463 |
| लौह एवं इस्पात | 13,813 | 17,603 | 17,342 | 15,970 | 16,632 |
| मोटर वाहन | 7,447 | 10,038 | 8,363 | 8,546 | 14,220 |
| सीमेंट | 8,952 | 10,712 | 10,308 | 9,572 | 10,544 |
| मशीनरी | 3,452 | 4,559 | 3,761 | 3,707 | 6,421 |
| प्लास्टिक | 2,931 | 4,259 | 4,298 | 5,150 | 6,092 |
| रासायनिक उत्पाद | 3,443 | 4,872 | 4,845 | 5,103 | 5,419 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया है कि वि.व 16 के दौरान, पेट्रोलियम क्षेत्र से केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में काफी वृद्धि है क्योंकि पिछले दो वर्षों के दौरान पेट्रोल तथा हाईस्पीड डीजल पर विशिष्ट केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹ 1.2 प्रति लीटर तथा ₹ 1.46 प्रति लीटर से क्रमशः ₹ 8.95 प्रति लीटर तथा ₹ 7.96 प्रति लीटर बढ़ गया।

1.9 कर आधार

“निर्धारिती” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिस पर निर्धारित शुल्क का भुगतान देय है या जो उत्पाद शुल्कयोग्य माल का विनिर्माता अथवा उत्पादक है अथवा निजी माल गोदाम, जिसमें उत्पाद शुल्क योग्य माल संग्रहीत किया जाता है, का पंजीकृत व्यक्ति है तथा इसमें ऐसे व्यक्ति का प्राधिकृत एजेंट भी शामिल है। एक एकल कानूनी सत्त्व (कम्पनी अथवा व्यक्ति) की विनिर्माण इकाईयों के स्थान पर आधारित कई निर्धारिती पहचान हो सकती हैं।

तालिका 1.7 पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारितियों की संख्या दर्शाती हैं:

तालिका 1.7: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कर आधार

| वर्ष | पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या | पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि | निर्धारितियों की संख्या जिन्होंने विवरणी फाइल की | निर्धारितियों की प्रतिशतता जिन्होंने विवरणी फाइल की |
|---------|---------------------------------|----------------------------------|--|---|
| वि.व.12 | 3,81,439 | - | 1,45,667 | 38 |
| वि.व.13 | 4,09,139 | 7.26 | 1,61,617 | 40 |
| वि.व.14 | 4,35,213 | 6.37 | 1,65,755 | 38 |
| वि.व.15 | 4,67,286 | 7.37 | 1,72,776 | 37 |
| वि.व.16 | 4,98,273 | 6.63 | 1,83,501 | 37 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया कि पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या में स्थिर वृद्धि हुई है। तथापि, केवल 37 प्रतिशत के लगभग निर्धारित विवरणी फाइल कर रहे हैं। मंत्रालय को इसके कारणों की जाँच करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय द्वारा इस वर्ष प्रस्तुत किया गया पंजीकृत निर्धारितियों से संबंधित डाटा मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष प्रस्तुत किये गए डाटा तथा सीएजी की 2016 की रिपोर्ट सं. 2 में बताए गए डाटा से मेल नहीं खाता।

1.10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बजटीय मुद्दे

तालिका 1.8 बजट आकलन और तदनुरूपी वास्तविक केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों की तुलना दर्शाती है।

तालिका 1.8: बजट, संशोधित आकलन और वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | बजट आकलन* | संशोधित बजट आकलन* | वास्तविक प्राप्तियाँ# | वास्तविक एवं बीई के बीच अंतर | वास्तविक और बीई के बीच अंतर की % | वास्तविक और आरई के बीच अंतर की % |
|---------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| वि.व.12 | 1,64,116 | 1,50,696 | 1,44,901 | (-)19,215 | (-)11.71 | (-)3.85 |
| वि.व.13 | 1,94,350 | 1,71,996 | 1,75,845 | (-)18,505 | (-)9.52 | (+)2.24 |
| वि.व.14 | 1,97,554 | 1,79,537 | 1,69,455 | (-)28,099 | (-)14.22 | (-)5.62 |
| वि.व.15 | 2,07,110 | 1,85,480 | 1,89,038 | (-)18,072 | (-)8.73 | (-)1.92 |
| वि.व.16 | 2,29,809 | 2,84,142 | 2,87,149 | 57,340 | 24.95 | (+)1.06 |

स्रोत: *संग्रह प्राप्त बजट तथा #संग्रह वित्त लेखे

यह देखा गया कि वि.व. 16 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों में बजट प्राकलन से 24.95 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है तथा संशोधित अनुमान की तुलना में अन्तर 1.06 प्रतिशत तक बढ़ा है।

1.11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत छोड़ा गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

केंद्र सरकार को केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 5ए(1) के तहत जन हित में छूट अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि शुल्क दरों को अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम निर्धारित किया जा सके। छूट अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरें “प्रभावी दरों” के रूप में जानी जाती हैं। छोड़े गए राजस्व को, छूट अधिसूचना के बिना देय शुल्क और उक्त अधिसूचना के अनुसार अदा किए गए वास्तविक शुल्क के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है-

- ऐसे मामले जहाँ टैरिफ और शुल्क की प्रभावी दरें यथा मूल्यानुसार पर विनिर्दिष्ट होती हैं- **छोड़ा गया राजस्व = सामान का मूल्य X (शुल्क की टैरिफ दर - शुल्क की प्रभावी दर)**
- ऐसे मामले में जहाँ टैरिफ दर सममूल्य आधार पर है किन्तु छूट अधिसूचना के अनुसार निर्धारित दर पर प्रभावी शुल्क वसूला जाता है तब - **छोड़ा गया राजस्व = (सामान का मूल्य X शुल्क की टैरिफ दर) - (सामान की मात्रा X विशेष शुल्क की प्रभावी दर)**
- ऐसे मामले में जहाँ टैरिफ दर और प्रभावी दर सममूल्य तथा विशिष्ट दरों का संयोजन है, परित्यक्त राजस्व की गणना उसके अनुसार की जाती है।
- सभी मामलों में, जहाँ शुल्क का टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर हो, छोड़ा गया राजस्व शून्य होगा।

पूर्वोक्त धारा 5ए(1) के तहत सामान्य छूट अधिसूचना जारी करने की शक्तियों के अतिरिक्त, केंद्र सरकार के पास केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 5ए(2) द्वारा अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के तहत मामले दर मामले आधार पर उत्पाद शुल्क छूट देने हेतु विशेष आदेश जारी करने का भी

अधिकार है। तथापि, सामान्य छूट जो केंद्र सरकार की राजकोषीय नाति का अभिन्न अंग होती हैं, छूट आदेश जारी करने का मुख्य उद्देश्य अपवादात्मक परिस्थितियों का निपटान है। इस प्रकार, परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों के प्रति विशेष छूट आदेश जारी करने के कारण परित्यक्त राजस्व की गणना नहीं की जा रही है।

तालिका 1.9 पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ सरकार के बजटीय दस्तावेजों में सूचित अनुसार छोड़े गये राजस्व से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आंकड़ों को दर्शाती है।

तालिका 1.9: केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां तथा कुल छोड़ा गया राजस्व

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां# | छोड़ा गया राजस्व* | केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों के % के रूप में छोड़ा गया राजस्व |
|---------|------------------------------------|-------------------|--|
| वि.व.12 | 1,44,901 | 1,95,590 | 134.98 |
| वि.व.13 | 1,75,845 | 2,09,940 | 119.39 |
| वि.व.14 | 1,69,455 | 1,96,223 | 115.80 |
| वि.व.15 | 1,89,038 | 1,96,789 | 104.10 |
| वि.व.16 | 2,87,149 | 2,24,940 | 78.34 |

स्रोत: *संघ प्राप्तियां, बजट तथा #संघ वित्त लेखे

यह देखा गया है कि उत्पाद शुल्कों के संदर्भ में वि.व. 16 के लिए छोड़ा गया राजस्व ₹ 2,24,940 करोड़ था (सामान्य छूट के रूप में ₹ 2,05,940 करोड़ तथा क्षेत्र आधारित छूटों के रूप में ₹ 19,000 करोड़) था जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का 78.34 प्रतिशत है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कर प्रशासन

1.12 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा

सीबीईसी ने 1996 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में स्व-निर्धारण प्रारम्भ किया। स्व-निर्धारण के प्रारम्भ के साथ, विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा में एक मजबूत अनुपालन सत्यापन तंत्र भी प्रदान किया। निर्धारण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों, जिन्हें शुल्क भुगतान की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा करनी होती है, का मुख्य

कार्य है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा मैनुअल के अनुसार प्राप्त संवीक्षित विवरणियों की संख्या के संदर्भ में रैंज अधिकारी द्वारा डिवीजन के क्षेत्राधिकारी सहायक/डिप्टी कमिश्नर को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। संवीक्षा दो चरणों में की जाती है अर्थात् प्राथमिक संवीक्षा एसीईएस द्वारा की जाती है एवं विस्तृत संवीक्षा जो एसीईएस अथवा अन्यथा द्वारा चिन्हित विवरणियों पर मैनुअली की जाती है।

1.12.1 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य जानकारी की सम्पूर्णता, विवरणी की समय प्रस्तुति, शुल्क का समय पर भुगतान, शुल्क के रूप में संगणित राशि की अंकगणितीय यर्थाथता तथा नॉन फाइलर्स तथा स्टॉप फाइलर्स की पहचान सुनिश्चित करना है।

तथ्य यह है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को 1 अक्टूबर 2011 से प्रारम्भ किया गया है तथा इसीलिए एसीईएस के माध्यम से विवरणी संवीक्षा को कम से कम 2014-15 तक स्थिर हो जाना चाहिए था। ऑनलाइन प्राथमिक संवीक्षा प्रारम्भ करने के पीछे मुख्य कारणों में से एक विस्तृत संवीक्षा के लिए श्रमबल प्रदान करना था जो बाद में रैंज/समूह का मुख्य कार्य बन सकता था।

तालिका 1.10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा के संबंध में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | एसीईएस में फाइल की गई विवरणियों की संख्या | आरएण्डसी* हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या | आरएण्डसी हेतु चिन्हित विवरणियों का प्रतिशत | आरएण्डसी के पश्चात निकासित विवरणियों की संख्या | आरएण्डसी हेतु लम्बित विवरणियों की संख्या | सुधार हेतु लम्बित चिन्हित विवरणियों का % |
|---------|---|--|--|--|--|--|
| वि.व.14 | 12,65,913 | 11,79,583 | 93.18 | 10,03,789 | 2,81,686 | 23.88 |
| वि.व.15 | 13,18,880 | 12,31,714 | 93.39 | 9,57,712 | 2,74,002 | 22.24 |
| वि.व.16 | 13,88,572 | 12,93,987 | 93.19 | 8,36,728 | 4,57,259 | 35.34 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

*आर एंड सी - समीक्षा तथा सुधार

वि.व. 14 एवं वि.व. 15 से संबंधित डाटा मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष उपलब्ध कराए गए समान डाटा से मेल नहीं खाता। संवीक्षा की गई विवरणियों की आरण्डसी हेतु बढी हुई उच्च प्रतिशतता तथा परिणामस्वरूप सुधार कार्यवाही के लिए लम्बित विवरणियों की बडी संख्या एसीईएस प्रणाली में कमियों की द्योतक है। इतनी अधिक विवरणियों को आरण्ड सी हेतु चिन्हित करना विभागीय अधिकारी के कार्यभार को बढा देगा जबकि आनलाइन प्रणाली का उद्देश्य इसे कम करना था। यह वि.व. 16 के अन्त में 35 प्रतिशत विवरणियों के लम्बन से प्रमाणित है जो वि.व. 15 में लम्बन का लगभग डेढ़ गुना है। चूंकि आरण्डसी रेंज स्तर पर किया जाता है तथा 2,518 रेंज केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित हैं, अतः औसतन केवल 514 (वि.व. 16) आरण्डसी एक रेंज द्वारा एक वर्ष में किये जाते हैं। सभी मामलों में आरण्ड सी करने के लिए रेंजों को निर्देश जारी किये जा सकते हैं।

1.12.2 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर विवरणी में प्रस्तुत सूचना की वैद्यता स्थापित करना है तथा मूल्यांकन की शुद्धता, सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना, वर्गीकरण तथा ली गई छूट अधिसूचना की स्वीकार्यता पर ध्यान देने के बाद लागू कर की प्रभावी दर आदि को सुनिश्चित करना है। प्राथमिक संवीक्षा से भिन्न, विस्तृत संवीक्षा करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में प्रस्तुत सूचना से विकसित जोखिम मापदंडों के आधार पर पहचानी गई कुछ चयनित विवरणियों को कवर करने के लिए है।

तालिका 1.11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा करने में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

| वर्ष | विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या | विवरणियों की सं. जहां विस्तृत संवीक्षा की गई थी | विवरणियों की संख्या जहाँ विस्तृत समीक्षा लम्बित थी। | लंबन का अवधि-वार विघटन | | |
|---------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | 6 माह से 1 वर्ष के मध्य से लम्बित विवरणियाँ | 1 से 2 वर्ष के मध्य से लम्बित विवरणियाँ | 2 वर्ष से अधिक के लिए लम्बित विवरणियाँ |
| वि.व.14 | 6,379 | 4,914 | 1,465 | 1,022 | 254 | 205 |
| वि.व.15 | 9,132 | 6,728 | 2,404 | 2,239 | 267 | 208 |
| वि.व.16 | डीएनपी* | डीएनपी | डीएनपी | डीएनपी | डीएनपी | डीएनपी |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

*डीएनपी- वि.व 16 के लिए केवल पांच माह का डाटा उपलब्ध कराया गया।

यह देखा गया है कि मंत्रालय द्वारा वि.व. 14 तथा वि.व. 15 के लिए दिया गया डाटा केवल अंकगणितीय रूप से ही गलत नहीं था अपितु इसे लेखापरीक्षा को उनके क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त करने के पश्चात दिया गया था जिससे काफी विलम्ब हुआ।

इसके अलावा, वि.व. 16 से संबंधित प्रदत्त डाटा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संख्या के विवरण के साथ केवल पांच माह अर्थात् नवम्बर 2015 से मार्च 2016 तक से संबंधित है तथा विस्तृत संवीक्षा को संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या के ब्यौरे के बिना तथा समय वार विश्लेषण के बिना दिया गया है। अतः अंशतः सूचना के कारण, लेखापरीक्षा विस्तृत संवीक्षा आरम्भ पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।

1.13 प्रतिदाय

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11बी किसी केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दावे तथा अनुदान के प्रतिदाय के लिए कानूनी अधिकार देती है। प्रतिदाय शब्द में भारत से बाहर निर्यातित उत्पाद शुल्क योग्य माल पर अदा किए गए उत्पाद शुल्क के भुगतान पर छूट के साथ-साथ भारत के बाहर निर्यातित माल के विनिर्माण में उपयुक्त सामग्री पर भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 11 बीबी निर्धारित करती है कि यदि प्रतिदाय के लिए आवेदन की तिथि से तीन महीने

के अन्दर प्रतिदाय नहीं किया गया तो प्रतिदाय राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाना है।

तालिका 1.12 पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग के प्रतिदाय संबंधी निष्पादन का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.12 पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में प्रतिदाय

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | वर्ष के दौरान प्राप्त हुए ओबी सहित दावे | | वर्ष के दौरान निपटान | | | | | | अन्तः शेष | |
|---------|---|---------|----------------------------------|--------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| | | | वर्ष के दौरान संस्वीकृत प्रतिदाय | | 90 दिनों के भीतर निपटाए गए मामले | लम्बित निपटान | मामले जहां ब्याज का भुगतान किया गया | | | |
| | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | मामलों की संख्या | मामलों की संख्या | दिया गया ब्याज | मामलों की संख्या | राशि |
| वि.व.14 | 2,70,321 | 28,461 | 2,09,549 | 11,875 | 1,98,256 | 64,215 | 241 | 91 | 60,754 | 4,714 |
| वि.व.15 | 2,47,196 | डीएनपी* | 2,04,353 | डीएनपी | डीएनपी | डीएनपी | डीएनपी | डीएनपी | 42,843 | 30,714 |
| वि.व.16 | 4,18,760 | 35,707 | 3,73,062 | 29,356 | 3,24,340 | डीएनपी | 3 | 0.01 | 45,698 | 6,351 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

*डीएनपी-डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपलब्ध डाटा के आधार पर यह देखा गया कि विलम्बित प्रतिदाय पर ब्याज का भुगतान करना विभाग का एक दायित्व है इस तथ्य के बावजूद, विभाग अधिकतर मामलों में निर्धारिती को ब्याज का भुगतान नहीं कर रहा है। बोर्ड को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि विलम्बित प्रतिदायों पर ब्याज के भुगतान संबंधी प्रावधानों को सही प्रकार लागू किया गया है।

लेखापरीक्षा के सर्वोत्तम अनुसरण के बावजूद, मंत्रालय कुछ आंकड़े उपलब्ध कराने में विफल हुआ जैसा उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है उपलब्ध कराया गया डाटा गलत भी प्रतीत होता है क्योंकि वि.व. 16 के लिए अन्तः शेष में मामलों की संख्या वि.व. 15 से बढ़ गई है परन्तु राशि 80 प्रतिशत कम हो गई है।

1.14 आन्तरिक लेखापरीक्षा

भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का आधुनिकीकरण कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नई लेखापरीक्षा प्रणाली ईए 2000 की चार अलग विशेषताएं हैं: जोखिम विश्लेषण के पश्चात वैज्ञानिक चयन, पूर्व-तैयारी पर जोर, सांविधिक रिकार्ड के प्रति व्यापार रिकार्ड की संवीक्षा तथा लेखापरीक्षा बिन्दुओं की समीक्षा।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक समीक्षा, प्रणाली की सूचना को एकत्र करना तथा दस्तावेजीकरण करना, आन्तरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करना, राजस्व तथा पद्धतियों के लिए जोखिम का विश्लेषण करना, लेखापरीक्षा योजना का विकास करना, वास्तविक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा आपत्तियों का निर्माण, निर्धारिती/रेंज अधिकारी/डिविजनल सहायक कमिश्नर के साथ परिणामों की समीक्षा करना तथा रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना शामिल है।

लेखापरीक्षा तंत्र के तीन भाग होते हैं। लेखापरीक्षा महानिदेशालय तथा क्षेत्रीय कमिश्नरियां लेखापरीक्षा के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को शेयर करते हैं। जबकि निदेशालय, लेखापरीक्षा परिणामों के संग्रहण, समेकन तथा विश्लेषण तथा कर अनुपालन के सुधार हेतु सीबीईसी को इसकी प्रतिपुष्टि तथा ग्राहक की संतुष्टि के स्तर को आंकने के लिए उत्तरदायी है, कमिश्नरियों के लेखापरीक्षा दल ईए 2000 लेखापरीक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार लेखापरीक्षा करते हैं। लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, सीबीईसी ने लेखापरीक्षा नियमपुस्तक, जोखिम प्रबंधन नियमपुस्तक तथा ईए 2000 तथा सीएएटी जो लेखापरीक्षा संचालन हेतु विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करते हैं में लेखापरीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नियमपुस्तक के विकास में एशियाई विकास बैंक की सहायता ली।

तालिका 1.13 लेखापरीक्षित इकाईयों (वि.व. 16 के दौरान) की तुलना में कमिश्नरियों के लेखापरीक्षा दलों द्वारा लेखापरीक्षा के लिए नियत केंद्रीय उत्पाद शुल्क इकाईयों के विवरण को दर्शाती है।

तालिका 1.13: वि.व. 16 के दौरान की गई निर्धारितियों की लेखापरीक्षा

| वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए+सेनवेट) | देय इकाईयों की संख्या | लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या | लेखापरीक्षा में कमी (%) |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| बड़ा | 4,874 | 2,720 | 44.19 |
| मध्यम | 7,204 | 3,777 | 47.57 |
| लघु | 11,442 | 4,739 | 58.58 |

स्रोत : मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

मंत्रालय ने अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 अर्थात् केवल छः माह के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए। यह देखा गया है कि उक्त छः माह के दौरान, इकाईयों की सभी श्रेणियों में नियत लेखापरीक्षाओं की तुलना में की गई आन्तरिक लेखापरीक्षाओं में भारी कमी आई थी।

विभाग द्वारा की गई, लेखापरीक्षा के परिणाम को तालिका 1.14 में तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका 1.14: वर्ष के दौरान आपत्ति की गई एवं वसूल की गई राशि

(₹ करोड में)

| वर्ग | पता चले कम उदग्रहण की राशि | कुल वसूली की राशि |
|------------|-------------------------------|-------------------|
| बड़ा | 2,084 | 605 |
| मध्यम | 564 | 249 |
| लघु | 257 | 133 |
| कुल | 2,905 | 987 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गए आँकड़े

यह देखा गया है कि बड़ी इकाईयों में पता लगी तथा वसूली गई कम उदग्रहण की राशि मध्यम तथा लघु इकाईयों की तुलना में काफी अधिक है। मंत्रालय को सभी बड़ी इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस वर्ष 'आन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता' पर एक विषय विशिष्ट लेखापरीक्षा की गई है जिसे अध्याय III में सम्मिलित किया गया है।

1.15 कॉल बुक

विषय से संबंधित मौजूदा परिपत्र में यह परिकल्पना की गई है कि मामले जिनका कतिपय कारणों जैसे अपील में गया विभाग, न्यायालय से आदेश, सीएजी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर वाद-विवाद आदि के कारण अधिनिर्णय नहीं हो सकता, की कॉल बुक में प्रविष्टि की जाए। सदस्य (के.उ.शु.) ने दिनांक 3 जनवरी 2005 के अपने डी.ओ.एफ. सं. 101/2/2003-सीएक्स-3 में यह जोर दिया था कि कॉल बुक के मामलों की प्रत्येक माह समीक्षा की जानी चाहिए। महानिदेशक निरीक्षण (सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क) ने दिनांक 29 दिसम्बर 2005 के अपने पत्र में यह कहते हुए मासिक समीक्षा की आवश्यकता को दोहराया कि कॉल बुक की समीक्षा से कॉल बुक में अपुष्ट माँगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है।

तालिका 1.15 हाल ही के वर्षों के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कॉल बुक समाशोधन के संदर्भ में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.15: 31 मार्च तक लम्बित कॉल बुक मामले

| वर्ष | आदि शेष | वर्ष के दौरान कॉल बुक में हस्तांतरित नये मामले | वर्ष के दौरान निपटान | वर्ष के अन्त में अन्तः शेष | शामिल राजस्व (₹ करोड़ में) | वर्ष के अन्त में लम्बन का अवधि बार विघटन | | |
|---------|---------|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------|----------------|
| | | | | | | 6 माह से कम | 6-12 माह | 1 वर्ष से अधिक |
| वि.व.14 | 30,966 | 9,624 | 4,126 | 36,464 | 64,356 | 6,179 | 3,419 | 26,866 |
| वि.व.15 | 35,617 | 9,552 | 8,846 | 36,323 | 65,765 | 4,841 | 2,276 | 29,206 |
| वि.व.16 | 37,018 | 7,437 | 7,994 | 36,461 | 64,260 | 5,157 | 2,479 | 28,394 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया है कि कॉल बुक में मामलों का लम्बन अभी भी बहुत अधिक है जो कॉल बुक मर्दों की समीक्षा प्रक्रिया की बारीकी से मॉनिटरिंग आवश्यकता को दर्शाती है। वि.व. 16 के दौरान, कॉल बुक में लम्बित मामलों की संख्या 36,461 तक पहुंच गई थी जिसमें ₹ 64,260 करोड़ का राजस्व शामिल था। आगे यह भी पाया गया है कि पिछले वर्षों का अन्तः शेष आदि शेष से मेल नहीं खाता।

1.16 केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बकाया

हम अध्याय 1 में मंत्रालय से प्राप्त डाटा के आधार पर सेवा कर बकायो पर प्रत्येक वर्ष टिप्पणी करते हैं। हालांकि, इस वर्ष इस विषय पर एक विशिष्ट लेखापरीक्षा की गई है तथा सभी निष्कर्षों को अध्याय 11 में शामिल किया गया है।

1.17 अपवंचन रोधी उपायों के कारण उगाही किया गया अतिरिक्त राजस्व

महानिदेशक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना (डीजीसीईआई) के साथ-साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर कमिश्नरियों की केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों का पता लगाने के कार्य में सुपरिभाषित भूमिका है। जबकि कमिश्नरियां, अपने क्षेत्राधिकार में इकाईयों के बारे में उनके व्यापक डाटा बेस तथा क्षेत्र में उपस्थिति के कारण शुल्क अपवंचन को रोकने हेतु प्रथम रक्षा स्तर है, डीजीसीईआई को वास्तविक राजस्व के अपवंचन के बारे में विशिष्ट आसूचना संग्रहण में विशिष्टता प्राप्त है। इस प्रकार से संग्रहीत आसूचना, कमिश्नरियों के साथ साझा की जाती है। अखिल भारतीय शाखाओं वाले मामलों में जांच भी डीजीसीईआई द्वारा की जाती है।

तालिका 1.16 विगत तीन वर्षों से संबंधित विभाग के अपवंचन रोधी विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.16: विगत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का अपवंचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | पकड़े गए मामलें | | जांच के दौरान स्वैच्छिक अदायगी |
|---------|------------------|-------|--------------------------------|
| | मामलों की संख्या | राशि | राशि |
| वि.व.14 | 2,606 | 4,737 | 813 |
| वि.व.15 | 2,123 | 4,335 | 546 |
| वि.व.16 | 2,366 | 5,297 | 804 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया है कि वि.व. 16 में डीजीसीईआई द्वारा जांच के दौरान पता लगाए गए मामलों की संख्या वि.व. 15 की तुलना में बढ़ी है।

1.18 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण

करदाताओं द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के स्वैच्छिक भुगतान के अलावा, कई विधियाँ हैं जिनसे विभाग करदाताओं द्वारा देय पर प्रदत्त न किए गए राजस्व संग्रहण करता है। इन विधियों में विवरणियों की संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा, अपवंचन-रोधी, अधिनिर्णय इत्यादि शामिल हैं।

विभागीय प्रयासों के परिणाम तालिका 1.17 में तालिकाबद्ध किए गए हैं।

तालिका 1.17: विभागीय प्रयासों द्वारा वसूल किया गया राजस्व

| क्रम सं. | विभागीय कार्रवाई | (₹ करोड़ में) | |
|----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | वि.व. 15 के दौरान वसूली | वि.व. 16 के दौरान वसूली |
| 1 | आन्तरिक लेखापरीक्षा | 569 | 368 |
| 2 | अपवंचन - रोधी | 357 | 376 |
| 3 | पुष्टिकृत मांगे* | 1,262 | 791 |
| 4 | विवरणियों की संवीक्षा | 447 | 297 |
| 5 | चूककर्ताओं से वसूली** | 1,244 | 2,871 |
| 6 | अन्य*** | 198 | 324 |
| | कुल | 4,077 | 5,027 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

* एससीएन के अधिनिर्णय करने के पश्चात

** चूककर्ता से वसूली एससीएन जारी करने तथा उसके अधिनिर्णय के पश्चात की जाती है

*** ब्याज/विलम्ब फाइलिंग शुल्क आदि

वि.व. 16 के दौरान कुल केंद्रीय उत्पाद संग्रहण शुल्क ₹ 2,87,149 करोड़ है जिसमें से केवल ₹ 5,027 करोड़ विभागीय प्रयासों के कारण संग्रहीत किया गया है जो कुल राजस्व का केवल 1.75 प्रतिशत है। इसके अलावा, यह देखा गया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा (₹ 368 करोड़) के तहत ऊपर दर्शाया गया राजस्व संग्रहण तालिका 1.14 (₹ 987 करोड़) में दर्शायी गई राशि से मेल नहीं खाता है। इसी प्रकार अपवंचन रोधी (₹ 376 करोड़) के अन्तर्गत ऊपर दर्शायी गई वसूली तालिका 1.16 (₹ 804 करोड़) में दर्शायी गई राशि से मेल नहीं खाती।

1.19 संग्रहण की लागत

नीचे तालिका राजस्व संग्रहण की तुलना में संग्रहण की लागत दर्शाती है।

तालिका 1.18: केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्राप्तियाँ और संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां | सेवा कर से प्राप्तियां | कुल प्राप्तियां | संग्रहण की लागत | कुल प्राप्तियों के % के रूप में संग्रहण की लागत |
|---------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---|
| वि.व.12 | 1,44,540 | 97,356 | 2,41,896 | 2,227 | 0.92 |
| वि.व.13 | 1,75,845 | 1,32,601 | 3,08,446 | 2,439 | 0.79 |
| वि.व.14 | 1,69,455 | 1,54,780 | 3,24,235 | 2,635 | 0.81 |
| वि.व.15 | 1,89,038 | 1,67,969 | 3,57,007 | 2,950 | 0.83 |
| वि.व.16 | 2,87,149 | 2,11,415 | 4,98,564 | 3,162 | 0.63 |

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे

यह देखा गया कि संग्रहण की लागत कुल प्राप्तियों के एक प्रतिशत से कम है।

1.20 अधिनिर्णय

अधिनिर्णय वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारितियों की कर देयता से संबंधित मामलों का निर्धारण करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ सेनवेट क्रेडिट, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावे, अनंतिम निर्धारण इत्यादि से संबंधित पहलुओं पर विचार करना शामिल है। अधिनिर्णयन प्राधिकारी के निर्णय को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

तालिका 1.19 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनिर्णय का वर्षवार विश्लेषण दर्शाती है।

तालिका 1.19: विभागीय प्राधिकारी के पास अधिनिर्णय हेतु लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | 31 मार्च तक लंबित मामले | | 1 वर्ष से अधिक के लिए लंबित मामलों की संख्या |
|---------|-------------------------|--------|--|
| | संख्या | राशि | |
| वि.व.14 | 20,428 | 21,734 | 3,142 |
| वि.व.15 | 27,425 | 23,765 | 4,984 |
| वि.व.16 | 23,014 | 29,355 | 3,637 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया कि ₹ 29,355 करोड़ के शुल्क से संबंधित मामले 31 मार्च 2016 तक अधिनिर्णय हेतु लंबित थे। यह भी पाया गया कि 3,637 मामले

एक वर्ष से अधिक के लिए लम्बित थे। मंत्रालय लम्बित मामलों के अधिनिर्णयन के लिए उपाय प्रारंभ कर सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में राजस्व अवरूद्ध है।

1.21 अपीलीय मामले

अधिनिर्णय प्राधिकारियों के अलावा, विभागीय अपीलीय प्राधिकारी, विधिक न्यायालय इत्यादि सहित कई अन्य प्राधिकारी हैं, जहां न्यायिक मामले, व्याख्या इत्यादि पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, कई मामलों में विभाग भी प्रतिरोधी वसूली उपायों का सहारा लेता है। अतः राजस्व की बड़ी राशि काफी लम्बी अवधि के लिए भारत की समेकित निधि से बाहर रहती है। सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत डाटा के आधार पर हमने तालिका 1.20 में विभिन्न फोरम से मामलों के लम्बन को तालिकाबद्ध किया है।

तालिका 1.20 (क) : केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में अपीलों का लम्बन

| वर्ष | फोरम | वर्ष के अन्त तक लम्बित अपीलें | | | | | |
|---------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | | पार्टी की अपीलों का विवरण | | विभागीय अपीलों का विवरण | | जोड़ | |
| | | अपीलों की संख्या | शामिल राशि (₹ करोड़ में) | अपीलों की संख्या | शामिल राशि (₹ करोड़ में) | अपीलों की संख्या | शामिल राशि (₹ करोड़ में) |
| वि.व.14 | सर्वोच्च न्यायालय | 855 | 1,835 | 1,702 | 6,078 | 2,557 | 7,913 |
| | उच्च न्यायालय | 5,856 | 9,359 | 5,505 | 6,764 | 11,361 | 16,123 |
| | सेसटेट | 41,257 | 90,447 | 16,685 | 14,806 | 57,942 | 1,05,253 |
| | निपटान आयोग | 109 | 230 | 4 | 1 | 113 | 231 |
| | कमिश्नर (अपील) | 23,783 | 7,054 | 3,225 | 669 | 27,008 | 7,723 |
| | जोड़ | 71,860 | 108,926 | 27,121 | 28,318 | 98,981 | 1,37,244 |
| वि.व.15 | सर्वोच्च न्यायालय | 815 | 2,202 | 1,754 | 6,428 | 2,569 | 8,630 |
| | उच्च न्यायालय | 5,577 | 10,206 | 5,408 | 9,231 | 10,985 | 19,437 |
| | सेसटेट | 44,710 | 1,05,905 | 16,719 | 14,240 | 61,429 | 1,20,145 |
| | निपटान आयोग | 155 | 349 | 2 | 1 | 157 | 350 |
| | कमिश्नर (अपील) | 25,617 | 6,272 | 3,676 | 655 | 29,293 | 6,927 |
| | जोड़ | 76,874 | 1,24,935 | 27,559 | 30,554 | 1,04,433 | 1,55,489 |
| वि.व.16 | सर्वोच्च न्यायालय | 766 | 3,112 | 1,525 | 7,437 | 2,291 | 10,549 |
| | उच्च न्यायालय | 5,663 | 13,507 | 4,900 | 11,073 | 10,563 | 24,580 |
| | सेसटेट | 48,071 | 1,20,689 | 15,159 | 24,396 | 63,230 | 1,45,085 |
| | निपटान आयोग | 129 | 192 | 0 | 0 | 129 | 192 |
| | कमिश्नर (अपील) | 26,821 | 7,814 | 4,534 | 766 | 31,355 | 8,580 |
| | जोड़ | 81,450 | 1,45,314 | 26,118 | 43,672 | 1,07,568 | 1,88,986 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया कि विभिन्न स्तरों पर ₹ 1,88,986 करोड़ के राजस्व के मामले लम्बित थे, जिनमें से ₹ 92,162 करोड़ केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित थे। इस राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

विभिन्न फोरम में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील मामलों का निपटान नीचे तालिका 1.21 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 1.21 (ख): वर्ष के दौरान निर्णीत मामलों का विघटन

| वर्ष | फोरम | विभागीय अपील | | | | पार्टी की अपील | | | |
|---------|-------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| | | विभाग के पक्ष में निर्णय | विभाग के विरुद्ध निर्णय | वापिस भेजे गये | विभाग की सफल अपीलों का % | पार्टी के पक्ष में निर्णय | पार्टी के विरुद्ध निर्णय | वापिस भेजे गये | पार्टी की सफल अपील का % |
| वि.व.14 | सर्वोच्च न्यायालय | 21 | 82 | 5 | 19.44 | 14 | 33 | 3 | 28.00 |
| | उच्च न्यायालय | 193 | 355 | 22 | 33.86 | 379 | 1,247 | 223 | 20.50 |
| | सेसटेट | 248 | 1,407 | 151 | 13.73 | 2,314 | 2,125 | 1,574 | 38.48 |
| | कमिश्नर (अपील) | 1,141 | 1,248 | 31 | 47.15 | 7,064 | 12,888 | 697 | 34.21 |
| | जोड़ | 1,603 | 3,092 | 209 | 32.69 | 9,771 | 16,293 | 2,497 | 34.21 |
| वि.व.15 | सर्वोच्च न्यायालय | 24 | 149 | 16 | 12.70 | 16 | 52 | 29 | 16.49 |
| | उच्च न्यायालय | 230 | 712 | 130 | 21.46 | 447 | 1,397 | 206 | 21.80 |
| | सेसटेट | 216 | 1,121 | 218 | 13.89 | 2,255 | 1,987 | 1,874 | 36.87 |
| | कमिश्नर (अपील) | 717 | 869 | 87 | 42.86 | 4,202 | 9,151 | 931 | 29.42 |
| | जोड़ | 1,187 | 2,851 | 451 | 26.44 | 6,920 | 12,587 | 3,040 | 30.69 |
| वि.व.16 | सर्वोच्च न्यायालय | 64 | 465 | 29 | 11.47 | 110 | 77 | 16 | 54.19 |
| | उच्च न्यायालय | 216 | 926 | 56 | 18.03 | 289 | 456 | 123 | 33.29 |
| | सेसटेट | 666 | 1,619 | 165 | 27.18 | 2,415 | 856 | 742 | 60.18 |
| | कमिश्नर (अपील) | 443 | 525 | 12 | 45.20 | 3,561 | 3,311 | 219 | 50.22 |
| | जोड़ | 1,389 | 3,535 | 262 | 26.81 | 6,375 | 4,700 | 1,100 | 52.20 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया कि अधिनिर्णय आदेश के प्रति विभाग की अपील का सफलता अनुपात वि.व. 14 में 32.69 प्रतिशत से गिर कर वि.व. 16 में 26.81 प्रतिशत हो गया। जब विभाग उच्च न्यायालय (वि.व. 14 में 34 प्रतिशत से वि.व. 16 में 18 प्रतिशत) और उच्चतम न्यायालय (वि.व. 14 में 19 प्रतिशत और वि.व. 16 में 11 प्रतिशत) में अपील के लिये गया तब सफलता अनुपात में अत्यधिक गिरावट रजिस्टर की गई।

1.22 मंत्रालय द्वारा डाटा प्रस्तुत न करना और प्रस्तुत किए गए डाटा में विसंगति

हमने इस अध्याय को मुख्य रूप से सीबीईसी के माध्यम से प्राप्त डाटा के आधार पर संकलित किया है। मंत्रालय वि.व. 15 के लिए विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा (पैराग्राफ 1.12.2 देखें) और प्रतिदाय मामलों के निपटान (पैराग्राफ 1.13) से संबंधित डाटा उपलब्ध नहीं करा सका क्योंकि डाटा का फॉर्मेट और डाटा के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व नवम्बर 2014 में संशोधित किया गया था। इससे पता चलता है कि सीबीईसी में प्रबंधन के परिवर्तन के दौरान महत्वपूर्ण डाटा के अनुरक्षण की निरन्तरता सुनिश्चित नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समान डाटा मेल नहीं खा रहा है (पैराग्राफ 1.18) और कुछ मामलों में, इस वर्ष प्रस्तुत किया गया डाटा 2016 की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 2 (पैराग्राफ 1.9, 1.12.1 और 1.12.2) के लिए प्रस्तुत डाटा से मेल नहीं खा रहा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में डाटा अनुरक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है।

1.23 लेखापरीक्षा प्रयास और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद-अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुपालन लेखापरीक्षा लेखा एवं लेखापरीक्षा अधिनियम (संशोधित अनुसार) के अनुसार और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानक, 2^{सरे} भाग के अनुसार की गई थी।

1.24 सूचना के स्रोत और परामर्श की प्रक्रिया

संघ वित्त लेखों से डाटा के साथ डीओआर, सीबीईसी में मूल अभिलेखों/दस्तावेजों और उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं की जांच अन्य पणधारकों की रिपोर्टों के साथ एमटीआर सीबीईसी की एमआईएस का उपयोग किया गया। महानिदेशक (डीजी)/प्रधान निदेशक (पीडी) लेखापरीक्षा की अध्यक्षता में हमारे पास नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिन्होंने वि.व. 16 में 1082 (सीएक्स और एसटी) यूनिटों की लेखापरीक्षा की।

1.25 प्रतिवेदन विहंगावलोकन

वर्तमान प्रतिवेदन में 93 पैराग्राफ हैं जिनमें ₹ 178.68 करोड़ का मौद्रिक मूल्य शामिल है। सामान्यतया चार प्रकार की आपत्तियां थीं: सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ/उपयोग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का गैर/कम भुगतान, आन्तरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता और अन्य मामले। विभाग/मंत्रालय ने ₹ 132.13 करोड़ के मौद्रिक मूल्य वाले 79 पैराग्राफों के मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की और 48 मामलों में ₹ 30.44 करोड़ की वसूली सूचित की।

1.26 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव

पिछले पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में (मौजूदा वर्ष के प्रतिवेदन सहित) हमने ₹ 703.88 करोड़ वाले 374 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (तालिका 1.22) शामिल किए थे।

तालिका 1.22: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | | वि.व.12 | वि.व.13 | वि.व.14 | वि.व.15 | वि.व.16 | कुल | |
|-------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| शामिल पैराग्राफ | सं. | 87 | 62 | 68 | 64 | 93 | 374 | |
| | राशि | 69.32 | 182.90 | 125.11 | 147.87 | 178.68 | 703.88 | |
| स्वीकृत पैराग्राफ | पूर्व प्रकाशन | सं. | 85 | 58 | 60 | 47 | 79 | 329 |
| | | राशि | 67.07 | 179.44 | 90.71 | 135.85 | 132.13 | 605.20 |
| | पश्च प्रकाशन | सं. | 2 | - | 1 | 2 | - | 5 |
| | | राशि | 8.34 | - | 0.36 | 1.20 | - | 9.90 |
| | जोड़ | सं. | 87 | 58 | 61 | 49 | 79 | 334 |
| | | राशि | 75.41 | 179.44 | 91.07 | 137.05 | 132.13 | 615.10 |
| प्रभावित वसूलियां | पूर्व प्रकाशन | सं. | 48 | 36 | 28 | 30 | 48 | 190 |
| | | राशि | 24.72 | 21.29 | 27.44 | 27.95 | 30.44 | 131.84 |
| | पश्च प्रकाशन | सं. | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 7 |
| | | राशि | 0.04 | 0.56 | 3.09 | 1.20 | - | 4.89 |
| | जोड़ | सं. | 49 | 37 | 31 | 32 | 48 | 197 |
| | | राशि | 24.76 | 21.85 | 30.53 | 29.15 | 30.44 | 136.73 |

स्रोत: सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

मंत्रालय ने ₹ 615.10 करोड़ वाले 334 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की और ₹ 136.73 करोड़ की वसूलियाँ की थी।

अध्याय II

बकाया की वसूली

2.1 प्रस्तावना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में कर प्रशासन अभिकल्पित करता है कि निर्धारिती देय शुल्क का स्व-निर्धारण करते हैं तथा शुल्क के भुगतान के पश्चात विभाग को विवरणी प्रस्तुत करते हैं। विभाग निर्धारितियों द्वारा भरी गई विवरणियों की संवीक्षा करता है तथा शुल्क के कम उदग्रहण/उदग्रहण न होने के किसी मामले में, राशि की वसूली के लिए मांग सहित कारण बताओं नोटिस (एससीएन) जारी करके कार्रवाई करता है। फिर एससीएन को उचित प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णित किया जाता है। मूलरूप से आदेशों (ओआईओ) अथवा अन्य अपीलीय आदेशों (ओआईए), न्यायाधिकरण आदेशों तथा न्यायालय के आदेशों के आधार पर विभाग के पक्ष में मांगों के सत्यापन के कारण निर्धारिती से वसूली योग्य कोई राशि परन्तु जिसका निर्धारिती द्वारा भुगतान न किया गया हो, बकाया बन जाती है।

राजस्व बकाया निम्नलिखित के परिणामस्वरूप हुआ:

- अधिनिर्णय प्राधिकारी द्वारा मांगों की पुष्टि होना
- अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारिती की अपील की अस्वीकृति होना।
- पूर्व जमा की शर्त के साथ स्थगन आवेदन को अनुमति देना
- न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष में आदेश।


बकाया की वसूली राजस्व विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बकाया की वसूली की चर्चा करने वाले प्रमुख सांविधिक प्रावधान निम्नानुसार हैं:

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11 सेवा कर अधिकारियों को बकाया की वसूली करने तथा निर्धारिती से वसूली की मांग करने का अधिकार प्रदान करती है।

यदि देय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 के अंतर्गत कार्यवाही करने के बाद भी वसूल नहीं किया जाता, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जानी चाहिये जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधिनियम, 1944 की धारा 12 के अंतर्गत जारी दिनांक 4 मई 1963 की अधिसूचना संख्या 68/63-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मामलों में लागू किया गया है।

बकाया की वसूली की प्रक्रिया चूककर्ता के प्रति मांग की पुष्टि के साथ आरम्भ होती है तथा इसमें अधिकतर अपीलीय मंच सम्मिलित है जिसमें निर्धारिती के साथ-साथ विभाग भी अपील कर सकता है। बकाया की वसूली की प्रक्रिया निम्नलिखित फ्लोचार्ट में दर्शाई गई है:


चार्ट-2.1 बकाया की वसूली की प्रक्रिया



2.2 बकाया का वर्गीकरण

बकाया को दो प्रमुख वर्गों अर्थात् वसूलीयोग्य तथा गैर-वसूली योग्य बकाया में बांटा गया है। रोका गया सभी बकाया गैर-वसूली योग्य होता है। वसूली योग्य बकाया को जैसा निम्नलिखित चार्ट में व्याख्या की गई है अवरूद्ध, बाधारहित तथा बड़े खाते में डालने योग्य के रूप वर्गीकृत किया गया है:

चार्ट 2.2: वसूली योग्य बकाया का वर्गीकरण



2.3 संगठनात्मक संरचना

सीबीईसी में बकाया की वसूली के संदर्भ में कार्यों को वसूली हेतु क्षेत्रीय संरचनाओं तथा कार्य बल के बीच निम्नानुसार बांटा गया है:

क्षेत्रीय संरचनाएं

- i. **रेंज:** रेंज सबसे नीचले स्तर की क्षेत्रीय संरचना है जिसे बकाया तथा अपीलो से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण करने, वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ करने तथा उच्च अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।
- ii. **डिविजन:** डिविजन अधिकारियों (सहायक/उप आयुक्त) को पर्यवेक्षी रेंज अधिकारी का कार्य सौंपा गया है तथा वह सुनिश्चित करता है कि वे निर्धारित नियमों/विनियमों/निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्य का निष्पादन करें।
- iii. **आयुक्तालय:** बकाया की वसूली क्षेत्राधिकारी आयुक्तों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व है। उन्हें बकाया की वसूली के संदर्भ में रेंज तथा डिविजन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा तथा उसे मॉनीटर करना अपेक्षित है। इसके अलावा, उन्हें स्थगन आदेशों की छूट, सीईएसटीएटी/न्यायालय मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए फाइलिंग, चूककर्ताओं की सम्पत्ति की जब्ती के लिए कार्रवाई करना तथा बीआईएफआर/ डीआरटी/ ओएल आदि हेतु बोर्ड में लम्बित मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से वसूली सेल की प्रगति और निष्पादन पर नजर रखना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करने के कार्य करने होंगे।
- iv. **वसूली सेल:** वसूली सेल क्षेत्राधिकारी आयुक्त के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है। वसूली सेल के प्रमुख कार्य चूककर्ताओं को नोटिस देना, सार्वजनिक नीलामी द्वारा चूककर्ता की सम्पत्ति को जब्त करना तथा बिक्री करना तथा बकाया के संबंध में आयुक्तालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजना है।

वसूली हेतु कार्य बल

बोर्ड (अगस्त 2004) ने बकाया की वसूली के प्रति सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं के प्रयासों से समन्वय करने, सुविधाजनक बनाने, मॉनीटर करने तथा पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क के लम्बित बकाया की वसूली के लिए एक केंद्रीयकृत कार्य बल का गठन किया। कार्य बल की अध्यक्षता दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, वडोदरा तथा नागपुर में छः प्रमुख अधिकारी कर बकाया वसूली (टीएआर) के साथ नई दिल्ली में स्थित प्रमुख आयुक्त टीएआर द्वारा की जाती है।

कार्य बल को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

- राजस्व बकाया की कार्य सीमा की समीक्षा
- वसूली हेतु नीति का गठन तथा क्रियान्वयन।
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं के प्रयासों की निगरानी।

दिनांक 11 अगस्त 2004 की ओएम संख्या फाइल संख्या 296/34/2004-सीएक्स 9 (पीटी) के अनुसार, जोनल प्रमुख आयुक्त अधिक राजस्व (अर्थात् सीईएसटीएटी के समक्ष लम्बित ₹ एक करोड़ से अधिक बकाया) के संभावित मामलों, अपील मामलों तथा अन्य मामलों को निर्धारित करने तथा प्रधान अधिकारी को सूचना प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। प्रधान अधिकारी को ऐसे वसूली के मामलों के निपटान हेतु क्षेत्रीय संरचनाओं को आवश्यक निर्देश देने तथा इसकी प्रगति को मॉनीटर करने के लिए नीति बनानी है।

2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विशिष्ट विषय अनुपालन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का निर्धारण करने की मांग की जाती है:

- देय की वसूली से संबंधित निर्धारित नियमों तथा विनियमों के साथ-साथ विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन का स्तर

- बकाया की वसूली के संदर्भ में मॉनीटरिंग तथा नियंत्रण तंत्र की प्रभावकारिता

2.5 लेखापरीक्षा कवरेज

हमने प्रमुख आयुक्त (टीएआर) के कार्यालय तथा इसके तहत सभी छः प्रमुख कार्यालयों तथा सेवा कर का निपटान करने वाले कुल 124 आयुक्तालयों में से 32 आयुक्तालयों के अभिलेखों की जांच की। 2012-13 से 2014-15 तक की समयावधि को कवर किया गया था।

2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने बकाया की वसूली में सम्मिलित विभिन्न चरणों अर्थात् रेंज कार्यालयों को ओआईओज की सूचना, वसूली प्रक्रियाएँ आरम्भ/ देरी करने, शीघ्र सुनवाई का आवेदन करने, वसूली सेल को मामलों का स्थानांतरण तथा बकाया मामलों की स्थिति के अद्यतन में असामान्य विलम्ब के मामले पाए। हमने मामलों की स्थिति जानने के लिए तंत्र के अभाव, टीएआर में अपील रजिस्टर के साथ-साथ सुसंगत अभिलेखों/डाटा के अनुचित अनुरक्षण, जोनल टीएआर द्वारा नीति का गठन न होने, टीएआर द्वारा आयुक्तालयों का अनुचित निरीक्षण आदि भी पाया। इन अवलोकनों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

2.7 बकाया की वसूली के संदर्भ में विभागीय निष्पादन

केंद्रीय उत्पाद शुल्क बकाया की वसूली के संदर्भ में वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान विभाग के निष्पादन को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.1: पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का बकाया

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | वर्ष के शुरुआत में बकाया | वर्ष के दौरान वसूली | वर्ष की समाप्ति तक लम्बित बकाया | | | |
|---------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|------------|----------------|
| | | | स्थगित | अस्थगित | | |
| | | | | अवरुद्ध | बाधारहित | |
| | | | | | वसूलीयोग्य | गैर-वसूलीयोग्य |
| 2012-13 | 37,005.56 | 3,919.88 | 23,537.10 | 20,779.97 | 2,997.35 | 3,030.18 |
| 2013-14 | 50,344.60 | 1,413.99 | 29,598.22 | 19,710.90 | 8,355.82 | 2,219.75 |
| 2014-15 | 59,884.69 | 1,615.88 | 35,559.35 | 7,200.74 | 7,019.18 | 370.05 |

स्रोत: निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय द्वारा दिनांक 18.12.2015 की पत्र सी संख्या सीसी (टीएआर) 48/2015-14408 द्वारा प्रदत्त सूचना

यह देखा गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का बकाया 2012-13 की तुलना में 2014-15 में 62 प्रतिशत तक बढ़ा। तथापि, बकाया की वसूली उसी अवधि में 60 प्रतिशत तक कम हुई।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि वर्ष की शुरुआत में अनियंत्रित वसूलीयोग्य बकाया की प्रतिशतता के रूप में वर्ष के दौरान वसूली जो 2013-14 के दौरान 47 प्रतिशत थी (₹ 2,997.35 करोड़ की प्रतिशतता के रूप में ₹ 1413.99 करोड़, 2014-15 के दौरान 19 प्रतिशत तक कम हुई (₹ 8,355.82 करोड़ की प्रतिशतता के रूप में ₹ 1615.88 करोड़)।

32 चयनित आयुक्तालयों जिन्होंने पिछले तीन वर्षों का पूर्ण डाटा प्रदान किया था, में से 22 आयुक्तालयों का निष्पादन नीचे तालिका में दिया गया है। चूंकि शेष दस⁸ आयुक्तालयों द्वारा प्रस्तुत डेटा अपूर्ण है इसलिये, उपरोक्त दस आयुक्तालयों के निष्पादन के संदर्भ में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

तालिका 2.2 : पिछले तीन वर्षों के दौरान 22 चयनित आयुक्तालयों का निष्पादन

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | वर्ष के शुरुआत में बकाया | वर्ष के दौरान वसूली | वर्ष की समाप्ति तक लम्बित बकाया | | | |
|---------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|----------|------------|----------------|
| | | | स्थगित | अस्थगित | | |
| | | | | अवरुद्ध | बाधारहित | |
| | | | | | वसूलीयोग्य | गैर-वसूलीयोग्य |
| 2012-13 | 10,508.58 | 226.59 | 5,739.22 | 5,593.90 | 1,568.99 | 241.76 |
| 2013-14 | 13,535.38 | 244.25 | 7,695.33 | 4,812.65 | 2,106.69 | 164.90 |
| 2014-15 | 15,813.21 | 144.80 | 7,085.13 | 4,153.94 | 2,376.53 | 199.96 |

⁸ सभी तीन वर्षों की वसूली की स्थिति दस कमिश्नरियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी (बेंगलौर III, मंगलौर, गाजियाबाद, हापुड, जमशेदपुर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली-I, एलटीयू दिल्ली, ग्वालियर, भुवनेश्वर-I, नागपुर-II)

यह देखा गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 2012-13 की तुलना में 2014-15 में 50 प्रतिशत तक बढ़ा। तथापि, बकाया की वसूली पिछले तीन वर्षों में घटती प्रवृत्ति दर्शा रही है।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि वर्ष की शुरुआत में अनियंत्रित वसूलीयोग्य बकाया की प्रतिशतता के रूप में वर्ष के दौरान वसूली जो 2013-14 के दौरान 16 प्रतिशत थी (₹ 1,568.99 करोड़ की प्रतिशतता के रूप में ₹ 244.25 करोड़) 2014-15 के दौरान सात प्रतिशत तक कम हुई (₹ 2,106.69 करोड़ की प्रतिशतता के रूप में ₹ 144.80 करोड़)।

उपलब्ध डेटा से, यह भी देखा जा सकता है कि:

- 12 कमिश्नरियों अर्थात एलटीयू चेन्नै, जयपुर राजकोट, वडोदरा-I, विशाखापटनम, रायपुर, चण्डीगढ़-I, पंचकुला, कोलकाता-III, बोलपुर, गुवहाटी और पटना में वसूली 2012-13 की तुलना में 2014-15 में कम हुई। 12 कमिश्नरियों में से आठ में, बकाया की वसूली में कमी 50 प्रतिशत से अधिक थी।
- चार कमिश्नरियों अर्थात चेन्नै-I, एलटीयू चेन्नै, चण्डीगढ़-I और कोलकाता-III में बकाया राशि के लंबित मामले 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ गये।
- चेन्नै-I कमिश्नरी में, बकाया में 387.33 प्रतिशत वृद्धि थी।
- बेंगलौर-I, थाणे-I, राजकोट, सूरत-II, विशाखापटनम, बोलपुर और पटना कमिश्नरियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और 2014-15 में बकाया के लंबित मामले कम हुये।
- सात कमिश्नरियों अर्थात चेन्नै-I, एलटीयू चेन्नै, पुदुच्चेरी, सूरत-II, वडोदरा-I, लुधियाना और कोलकाता-III में, रुके हुये बकाया में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि थी।

मंत्रालय ने इसे परिचयात्मक पैरा बताते हुये कोई टिप्पणी नहीं की (दिसम्बर 2016), और इन कमिश्नरियों के निष्पादन में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

2.8 क्षेत्रीय संरचनाओं का कार्य

2.8.1 रेंज कार्यालयों को मूल आदेश की सूचना में अत्यंत विलम्ब

बोर्ड ने दिनांक 24 दिसम्बर 2008 के अपने परिपत्र में निर्धारित किया है कि न्यायनिर्णयन आदेशों के विवरण की सीबीईसी के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मैनुअल के अध्याय 18 भाग III में निर्धारित अनुसार स्थायी मांग रजिस्टर और वसूली हेतु की गई कार्यवाही की प्रविष्टि की जानी चाहिये। तथापि, परिपत्र में रेंज कार्यालय को ओआईओ के बारे में बताने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016) कि 32 नमूना जांच की गई कमिश्नरियों में से, 13 कमिश्नरियों में 139 ओआईओ के मामले में, रेंज कार्यालयों को ओआईओ सूचित करने के लिये लिया गया समय 01 से 227 दिनों के बीच था। निर्धारित समय सीमा न होने पर, रेंज को ओआईओ सूचित करने के लिये एक सप्ताह का समय मानकर, लेखापरीक्षा ने कमिश्नरी वार विलम्ब का विश्लेषण किया और अत्यधिक विलम्ब करने वाली कमिश्नरियों के विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3: मूल आदेशों के संप्रेषण में विलम्ब

| क्र.सं. | कमिश्नरी | 1 माह तक का विलम्ब | 1 से 3 माह तक का विलम्ब | 3 माह से अधिक का विलम्ब | कुल मामले |
|---------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | सुरत-II | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 2 | जयपुर | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | चेन्नै - I | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | एलटीयू चेन्नै | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | पुदुच्चेरी | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली-I | 18 | 1 | 0 | 19 |
| 7 | ग्वालियर | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | रायपुर | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | हैदराबाद I | 12 | 2 | 0 | 14 |
| 10 | विशाखापटनम | 26 | 2 | 0 | 28 |
| 11 | थाणे I | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 12 | गाजियाबाद | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | हापुड़ | 9 | 0 | 0 | 9 |
| | कुल | 124 | 13 | 2 | 139 |

कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

i) एलटीयू चेन्नै कमिश्नरी में, मैसर्स फोर्ड इंडिया लिमिटेड के मामले में, दिनांक 29 अगस्त 2008 का ओआईओ 20 अप्रैल 2009 को रेंज कार्यालय को दिया गया था अर्थात् 227 दिन बाद।

मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) कि ओआईओ संप्रेषित करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था, संप्रेषण की तिथि तकनीकी समस्या के कारण गलत रिकॉर्ड हो गई थी।

ii) सूरत-II कमिश्नरी में मैसर्स अल-फलाह एक्सपोर्ट के मामले में, दिनांक 31 जुलाई 2013 का ओआईओ 13 दिसम्बर 2013 को रेंज कार्यालय को दिया गया था अर्थात् 128 दिनों के विलम्ब के बाद।

मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) कि ओआईओ देने के लिये कोई निर्धारित समय सीमा नहीं थी और विलम्ब की माफी हेतु अनुरोध किया गया था। यह भी कहा गया था कि भविष्य में जल्दी/समय पर रेंज कार्यालय को ओआईओ देने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

शेष 137 मामलों में, मंत्रालय का उत्तर (दिसम्बर 2016) निम्नलिखित प्रकार था:

34 मामलों में, यह कहा गया था कि रेंजो को ओआईओ संप्रेषित करने हेतु कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। तथापि, भविष्य में ओआईओ समय पर देने के प्रयास किये जायेंगे।

28 मामलों में, यह कहा गया था कि विलम्ब एक माह के अंदर था और भविष्य में बिना विलम्ब, रेंजों को ओआईओ संप्रेषित करने के लिये अधिनिर्णय अनुभाग को निर्देश जारी किये गये हैं।

27 मामलों में, यह कहा गया था कि विलम्ब 10 दिनों के अंदर का था और रेंजों की अलग-अलग स्थान पर होने के कारण था।

14 मामलों में, यह कहा गया कि बिना विलम्ब रेंजो को ओआईओ संप्रेषित करने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

12 मामलों में, यह कहा गया कि कुछ विलम्ब अवकाश और डाक में विलम्ब के कारण अपरिहार्य हैं लेकिन भविष्य में समय पर ओआईओ डिलिवर करने के प्रयास किये जायेंगे।

सात मामलों में, यह कहा गया कि विलम्ब मुख्य रूप से संबंधित अधिकारी के स्थानांतरण के कारण था।

छह मामलों में, यह कहा गया कि विलम्ब 2-27 दिनों के बीच का था और बहुत कम था। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि अपील अवधि के दौरान अनिवार्य कदम उठाये जा सकते हैं।

तीन मामलों में, विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया था, तथापि, लेखापरीक्षा अवलोकन नोट किया गया था।

तीन मामलों में, यह कहा गया था कि ओआईओ संप्रेषित नहीं किया जा सका क्योंकि वे गलती से फाइल में पड़े रहे। तथापि, भविष्य में समय पर ओआईओ डिलिवर करने के प्रयास किये जायेंगे।

तीन मामलों में, यह कहा गया कि ओआईओ समय पर संप्रेषित कर दिये गये थे, तथापि, कुछ तकनीकी खराबी के कारण ई-रजिस्टर में संप्रेषण की गलत तिथि रिकॉर्ड हो गई थी।

एक ही लेखापरीक्षा अवलोकन के लिये मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अलग-अलग प्रतिक्रिया से, ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय ने मामले पर अंतिम विचार किये बिना क्षेत्रीय संरचनाओं से प्राप्त उत्तरों को प्रेषित कर दिया। क्षेत्रीय संरचनाओं का उत्तर कि 10-30 दिनों का विलम्ब उचित है, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सात दिनों की अवधि पर लेखापरीक्षा द्वारा पहले ही विचार कर लिया गया है। ओआईओ को उचित समय के अंदर रेंज को संप्रेषित किया जाना चाहिये अन्यथा निर्धारित का उसका संप्रेषण लंबित होगा और परिणामस्वरूप अपील अवधि (निर्धारित को ओआईओ के संप्रेषण से गिना) और अधिक लंबित होगी।

2.8.2 वसूली कार्यवाही आरंभ न करना/विलम्ब से करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 के अंतर्गत, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के राजस्व का बकाया वसूल करने का अधिकार है।

यदि सरकारी देयता का भुगतान नहीं किया जाता, देय की वसूली हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

यदि धारा 11 के अंतर्गत निर्धारित कार्यवाही द्वारा वसूली नहीं की जाती, तो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही होगी, जिसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 12 के अंतर्गत जारी दिनांक 4 मई 1963 की अधिसूचना संख्या 68/63-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मामलों में लागू किया गया है। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142, विभाग को चूककर्ता की किसी भी राशि से ऐसी देय राशि काटने, चूककर्ता से संबंधित किसी भी माल को बेचने जो उचित अधिकारी के नियंत्रण के अंतर्गत हो और जब्त करने की कार्यवाही करने और ऐसे व्यक्ति से संबंधित कोई भी चल अचल संपत्ति बेचने का अधिकार देती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि (अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016) कि 12 कमिश्नरियों के अंतर्गत 37 मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 और सीमाशुल्क अधिनियम 1962, की धारा 142 के अंतर्गत वसूली के लिये कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 95.87 करोड़ की वसूली नहीं हुई जैसा तालिका 2.4 में विस्तारपूर्वक दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: वसूली के लिये समय पर कार्यवाही करने में विफलता

(₹ करोड़ में)

| कमिश्नरी | कुल मामले | राशि | वर्ष-वार विघटन | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | पांच वर्ष से कम | | पांच वर्ष से अधिक | |
| | | | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| कोलकाता-III | 4 | 37.75 | 0 | 0 | 4 | 37.75 |
| गुवाहाटी | 2 | 0.88 | 0 | 0 | 2 | 0.88 |
| केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली-I | 8 | 19.56 | 0 | 0 | 8 | 19.56 |
| बेंगलौर-I | 2 | 1.30 | 1 | 0.24 | 1 | 1.06 |
| बेंगलौर-III | 2 | 1.17 | 0 | 0 | 2 | 1.17 |
| त्रिवेन्द्रम | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 0.07 |
| थाणे-I | 3 | 16.51 | 1 | 8.91 | 2 | 7.6 |
| गाजियाबाद | 4 | 5.74 | 2 | 0.72 | 2 | 5.02 |
| जमशेदपुर | 1 | 0.59 | 0 | 0 | 1 | 0.59 |
| पटना | 8 | 4.35 | 2 | 0.34 | 6 | 4.01 |
| हैदराबाद-I | 1 | 6.76 | 0 | 0 | 1 | 6.76 |
| भुवनेश्वर | 1 | 1.19 | 0 | 0 | 1 | 1.19 |
| कुल | 37 | 95.87 | 6 | 10.21 | 31 | 85.66 |

कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

i) कोलकाता III कमिश्नरी में मैसर्स अशोक इलैक्ट्रिकल एंड स्टैम्पिंग प्रा. लि. के प्रति ₹ 36.27 करोड़ की मांग सुनिश्चित की गई (दिसम्बर 2008)। निर्धारित ने सीईएसटीएटी में ओआईओ के प्रति अपील की और 24 अगस्त 2012 तक का स्टे भी दिया गया था बशर्ते आठ सप्ताह की अवधि के अंदर 25 प्रतिशत का पूर्व-भुगतान किया जाये। आठ सप्ताह की अवधि 15 अक्टूबर 2012 को समाप्त हो गई लेकिन निर्धारित ने राशि जमा नहीं कराई इसलिये सीईएसटीएटी ने 15 नवम्बर 2012 को अपील खारिज की। विभाग के साथ लेखापरीक्षा के विचार-विमर्श से पता चला कि निर्धारित ने दिनांक 15 नवम्बर 2012 के आदेश के प्रति माननीय उच्च न्यायालय में अपील फाइल की थी और शुल्क के 25 प्रतिशत पूर्व-भुगतान के लिये चार सप्ताह (3 जून 2014) का समय दिया गया था। निर्धारित ने राशि जमा नहीं की। विभाग ने अभी तक देय की वसूली हेतु उल्लिखित कदम नहीं उठाये थे।

मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) कि निर्धारित के साथ किये गये कई पत्राचार, “प्रेषित चला गया है” इस टिप्पणी के साथ वापस आ गये, तथापि, चूककर्ता का पता लगाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि, कार्यवाही का

कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था, इस प्रकार की गई कार्यवाही की समयबद्धता की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

ii) दिल्ली-। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी में मैसर्स जीको इंजीनियरिंग कम्पनी के प्रति ₹ 19.42 करोड़ की मांग सुनिश्चित की गई थी (अक्टूबर 2003)। यद्यपि निर्धारित की संपत्ति की सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के अंतर्गत कुर्की की गई थी, लेकिन उसकी अभी तक नीलामी नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) कि चूककर्ता की संपत्ति की 2010 में कुर्की की गई और कुर्की की गई संपत्ति की नीलामी के लिये कदम उठाने के लिये और सरकारी बकाया की वसूली के लिये क्षेत्राधिकार सहायक आयुक्त को पत्र लिखा जा रहा था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग छः वर्ष के बाद भी जुड़ी संपत्ति की नीलामी करने में विफल रहा और लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाए जाने के बाद नीलामी शुरू किया। स्पष्ट है कि विभाग समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए ऐसी विफलताओं हेतु उत्तरदायी संबंधित कार्मिकों की निगरानी एवं उन पर नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है।

iii) थाणे-। आयुक्तालय में मै. वीनस ओवरसीज़ के प्रति ₹ 8.91 करोड़ के मांग की पुष्टि की गई (सितम्बर 2011)। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142/केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि निर्धारित का पता नहीं लगाया जा सका और चूककर्ता का पता लगाने के लिए सभी सरकार एजेंसियों को पत्र भेजा गया है। हालांकि, की गई कार्रवाई का कोई भी विवरण नहीं प्रदान किया गया।

iv) हैदराबाद-। आयुक्तालय में ओआईओ सं. 2/2005-हैद-।/एड्जन दिनांक 29 नवम्बर 2005 द्वारा मै. अमर टेक्सटाईल्स के प्रति ₹ 6.76 करोड़ के मांग की पुष्टि की गई (नवम्बर 2005)। पार्टी ने 28 मई 2007 और 16

जनवरी 2008 को ₹ 2.20 लाख का भुगतान कर दिया ₹ 6.74 करोड़ शेष रह गया। विभाग द्वारा धारा 11 के अंतर्गत कोई वसूली कार्रवाई नहीं की गई।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि इकाई को 2003 से बन्द कर दिया गया था और बकाए की वसूली के लिए कोई भी संपत्ति उपलब्ध नहीं थी। पार्टी का पता लगाने के लिए बैंकों, डाकघर, आरटीए आदि को पत्र भेजे गए हैं।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पार्टी ने मई 2007/जनवरी 2008 में ₹ 2.20 लाख जमा कराया था जो यह दर्शाता है कि तब तक निर्धारिती उपलब्ध था और विभाग ने वसूली कार्रवाई नहीं की और मामले को ठीक से नहीं देखा।

v) हमने देखा (नवम्बर 2015) कि संयंत्र एवं मशीनरी के लिए मार्च 2006 और जमीन के लिए अप्रैल 2014 में थाणे-। आयुक्तालय के तहत मै. मीरा सिल्क मिल्स के मामले में ₹ 4.57 करोड़ के बकाये की वसूली (2000 से 2009 के बीच पुष्ट) के लिए संपत्ति अधिग्रहीत की गई थी और तब से अब तक अधिग्रहीत संपत्ति की नीलामी लंबित है।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि फैक्ट्री परिसर का अधिग्रहण किया गया था लेकिन निर्धारिती के उत्तराधिकारी ने अधिग्रहण को चुनौती देते हुए मुंबई न्यायालय में याचिक (1622/2016) दायर कर दिया था। विभाग ने फिर से दिवालिया मालिक की आवासीय परिसंपत्तियों की पहचान की और इसका अधिग्रहण कर लिया गया है (26 फरवरी 2016) और धारा 142 के तहत प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

इस प्रकार विभाग सात वर्षों में अधिग्रहीत संपत्ति का निपटान करने में विफल रहा और 2016 में जाकर कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा चुनौती दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आवासीय संपत्ति का अधिग्रहण भी लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद किया गया। विभाग जवाबदेही निर्धारित करने में भी विफल रहा।

vi) हापुड़ आयुक्तालय में मै. लैंसर टेलीकॉम (इंडिया) प्रा. लि. के प्रति 21 नवम्बर 2007 में ओआईओ 20/एडीसी/जीजेड्वी/07 और

15/कोम/जीजेड्वी/08 दिनांक 31 मार्च 2008 द्वारा ₹ 4.46 करोड़ की दो माँग की पुष्टि की गई (नवम्बर 2007 और मार्च 2008 के बीच)। यद्यपि सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के अंतर्गत सितम्बर 2012 को दिल्ली-। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय को प्रमाणपत्र जारी किया गया था, कोई भी वसूली नहीं की गई।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि निर्धारिती की परिसंपत्तियों के संबंध में सूचना की मांग करते हुए विभिन्न प्राधिकरणों को पत्र लिखा गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मांग की पुष्टि के बाद आठ वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। इसके अतिरिक्त, कार्रवाई से संबंधित कोई भी विवरण नहीं दिया गया, इसलिए की गई कार्रवाई की समय सीमा का सत्यापन नहीं किया जा सकता।

vii) थाणे-। आयुक्तालय में मै. हरिया टेक्सटाइल्स प्रोसेसर्स के प्रति 2001 में ₹ 3.03 करोड़ की मांग की पुष्टि की गई थी। जबकि सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत प्रमाण जारी किया गया था, कोई भी वसूली नहीं की गई।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि मालिक या उसके परिवार के सदस्यों के नाम से उनके पैतृक गाँव में कोई भी संपत्ति नहीं थी और बैंक/आवासीय सोसायटी से भी किसी भी संपत्ति का पता नहीं चल पाया/हालांकि, उत्तर में विभाग द्वारा कार्रवाई न करने के कारण फैक्ट्री परिसर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जिसका निपटान किया जाना चाहिए था।

viii) भुवनेश्वर आयुक्तालय में मै. सनटेक विज़न के प्रति ₹ 1.18 करोड़ की मांग की पुष्टि की गई थी (मार्च 2007)। सेसटैट, कोलकाता ने दिनांक 23 जून 2008 के अपने आदेश द्वारा निर्धारिती द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। अपील खारिज होने के बाद विभाग को धनराशि की वसूली के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए था लेकिन 2010 में विभाग को पता चला कि इकाई को जनवरी 2010 में बंद कर दिया गया था। इस प्रकार डेढ़ वर्ष की अवधि अर्थात् जुलाई 2008 से दिसम्बर 2009 के दौरान विभाग ने बकाए की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं थी। इसके अतिरिक्त, विभाग को

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के तहत कदम उठाना चाहिए था। विभाग की लापरवाही से ₹ 1.18 करोड़ के सरकारी बकाए की वसूली नहीं हो पाई।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि इकाई का पता नहीं चल पाया और इसे खारिज करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था। लेखापरीक्षा का मानना है कि यदि बकाए की वसूली के लिए समय पर कार्रवाई की गई होती तो बकाए की वसूली की संभावना हो सकती थी। विभाग लापरवाह कार्मिकों की जवाबदेही तय करने में भी विफल रहा।

ix) गाजियाबाद आयुक्तालय में मै. नार्थ इंडिया टोबैको के प्रति ₹ 56.32 लाख की मांग की पुष्टि की गई (अक्टूबर 1990) जिसके विरुद्ध निर्धारिती ने सेसटैट में अपील दाखिल कर दिया। सेसटैट ने निर्धारिती की अपील खारिज कर दिया (जुलाई 1992)। जबकि विभाग ने धारा 11 के तहत प्रमाणपत्र जारी किया था (1995)। लेकिन सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142 (केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 1944 लागू किया गया) का सहारा जनवरी 2004 में लिया गया; अर्थात्; नौ वर्षों के बाद किन्तु आज तक वसूली नहीं की जा सकी।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि पार्टी के खाते/संपत्ति का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था।

विभाग का उत्तर, जो 12 वर्षों में भी कार्रवाई करने में विफल रहा, दर्शाता है कि प्रयास गंभीर और पर्याप्त नहीं हैं।

शेष 24 मामलों में मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया (दिसम्बर 2016):

12 मामलों में यह बताया गया कि विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी, हालांकि, की गई कार्रवाई की तिथियां/विवरण नहीं बताया गया इसलिए की गई कार्रवाई की समय सीमा का सत्यापन नहीं किया जा सकता।

तीन मामलों में यह बताया गया कि निर्धारितियों का पता नहीं लगाया जा सकता था इसलिए मामले को खारिज करने पर विचार किया जा रहा था।

दो मामलों में, कार्रवाइयाँ की गई थी लेकिन कार्रवाई में कोई निरंतरता नहीं थी क्योंकि की गई कार्रवाइयों में 1 से 4 वर्षों का अंतर था।

दो मामलों में यह बताया गया कि वसूली हेतु कार्रवाईयाँ की जा रही थी, हालांकि, कार्रवाई लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाया जाने के बाद 2016 में शुरू की गई।

एक मामले में यह बताया गया कि ₹ 13.84 लाख के कुल बकाए में से ₹ 6.92 लाख की वसूली की गई थी और शेष बकाए की वसूली के प्रयास किए जा रहे थे।

एक मामले में यह बताया गया कि निर्धारिती से क्रेता का विवरण और उसके बैंक खाते का विवरण देने के लिए कहा गया था लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।

लेखापरीक्षा का मानना है कि विभाग बकाए की वसूली पर उचित ध्यान नहीं दे रहा है और ऊपर के कार्यालयों द्वारा इसकी निगरानी नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप किसी भी महत्वपूर्ण राजस्व की वसूली नहीं हो पाई। लेखापरीक्षा का यह भी मानना है कि ऐसे चूक के लिए जवाबदेही तय किये जाने की आवश्यकता है।

x) धारा 11 के अनुसार, ऐसे चूककर्ताओं से विभाग द्वारा स्वयं के पैसे से चूककर्ताओं के वसूलीयोग्य कर की कटौती की जा सकती (अर्थात् प्रतिदाय अनुमत) हैं।

दो मामलों में हमने देखा कि विभाग ने ₹ 4.98 लाख के प्रतिदाय का भुगतान किया जबकि इसके पास बकाए के प्रति ऐसा प्रतिदाय करने का उचित विकल्प था, जिसमें कोई परेशानी नहीं थी।

तालिका 2.5: बकाए के प्रति प्रतिदाय के गैर-समायोजन वाले मामले

| (₹ लाख में) | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------------|----------------|
| क्र.सं. | निर्धारिती का नाम | आयुक्तालय | पुष्ट मांग का बकाया | अनुमत प्रतिदाय |
| 1 | फोनिक्स कन्वेयर बेल्ट इंडिया (प्रा.) लिमि. | कोलकाता - III | 6.03 | 4.77 |
| 2 | एसोसिएटेड पिगमेंट्स | कोलकाता - III | 13.72 | 0.21 |
| | | कुल | 19.75 | 4.98 |

इसके कारण राजस्व का गैर-समायोजन तथा ₹ 4.98 लाख के गैर दावे वाला वित्तीय लाभ हुआ।

हमने इस मामले को उठाया (नवम्बर 2015)। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि फोनिक्स कन्वेयर बेल्ट इंडिया (प्रा.) लिमिटेड के मामले में निर्धारिती से तुरंत भुगतान करने हेतु पत्र भेजे गए थे। एसोसिएटेड पिगमेन्ट्स के मामले में यह बताया गया कि तथ्यों की अनदेखी के कारण ₹ 0.21 लाख की छूट दी गई थी और ₹ 13.72 लाख का राजस्व वसूलीयोग्य था और इसके लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही थी।

2.8.3 शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदन दाखिल न करना

सीबीईसी ने दिनांक 22 सितम्बर 2003 के परिपत्र सं. 746/62/2003-सीएक्स के माध्यम से कहा कि कमिश्नरियों को ऐसी प्रार्थना हेतु आधार को स्पष्टरूप से दर्शाते हुये, उच्च राजस्व स्टेक के साथ मामलों की जल्द सुनवाई के लिये सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और गोल्ड (नियंत्रण) अपीलिय न्यायाधिकरण (सीईजीएटी) (प्रक्रिया) नियमावली, 1982 के नियम 28सी के अनुसार विविध एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त यह कहा कि अंतरिम स्थगन आदेशों को रद्द करवाने के लिये, कमिश्नरियों को निदेशालय विधि विषयक मामलों के साथ प्रभावी संबंध के माध्यम से, उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष रूप से सिविल अपील/एसएलपी के संबंध में, अपील के मामलों की शीघ्र अनुवर्ती कार्यवाही हेतु और स्पष्ट रूप से आधार निर्दिष्ट करके, जल्द सुनवाई (ईएचपी) हेतु उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/सीईएसटीएटी के समक्ष विविध याचिका दायर करके सक्रिय कदम उठाने चाहिये। इसके अतिरिक्त, मुख्य कमिश्नर (टीएआर) ने दिनांक 15 जनवरी 2010 के पत्र सी संख्या सीसी/टीएआर/54/2009/3 के माध्यम से ₹ 50 लाख से अधिक (समय की परवाह किये बगैर) के राजस्व से जुड़े सभी मामलों की निगरानी और शीघ्र निर्णय हेतु सीईएसटीएटी के पास जाने के लिये क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश दिये।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2015 से फरवरी 2016) कि चार आयुक्तालयों में 23 मामलों में ₹ 137.81 करोड़ के राजस्व वाले मामले दो से 10 वर्षों तक से लंबित थे, फिर भी शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन नहीं दिया गया था। आयुक्तालयवार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 2.6: शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन दाखिल न करना

| (₹ करोड़ में) | | | |
|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| क्र.सं. | आयुक्तालयों का नाम | मामलों की संख्या | राशि |
| 1 | सूरत-II | 8 | 84.64 |
| 2 | वड़ोदरा-I | 4 | 12.38 |
| 3 | कोलकाता-III | 2 | 6.60 |
| 4 | हापुड़ | 9 | 34.19 |
| | कुल | 23 | 137.81 |

कुछ निदर्शी मामले निम्नलिखित हैं:

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2015) कि पांच मामलों में यथा; मै. किरन सिंटेक्स लि. (इकाई I एवं II); निहित बकाया ₹ 71.53 करोड़ और सूरत II आयुक्तालय में मै. कामधेनु एक्जिम प्रा. लि., निहित बकाया ₹ 5.78 करोड़, हापुड़ आयुक्तालय में ₹ 19.02 करोड़ बकाए के साथ मै. फोर्ब्स गोकक लि. ₹ 5.74 करोड़ के बकाए के साथ मै. रैसिली उद्योग, कोलकाता III आयुक्तालय में, ₹ 5.65 करोड़ के बकाए के साथ मै. सोलेस इंजी. प्रा. लि., वड़ोदरा। आयुक्तालय में जहां जून 2011 और दिसम्बर 2014 के बीच रोक लगा दी गई थी, विभाग को दिनांक 22 सितम्बर 2003 के परिपत्र के अनुसार शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए थी।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि एक मामले में शीघ्र सुनवाई का ओवदन दाखिल किया गया था जबकि 4 मामलों में आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

शेष 18 मामले में मंत्रालय का उत्तर इस प्रकार था:

दो मामलों में, शीघ्र सुनवाई का ओवदन दाखिल किया गया था जबकि 7 मामलों में आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

शेष नौ मामलों में यह बताया गया कि अदालतें/अपीलीय प्राधिकरण अपनी प्राथमिकताओं के आधार मामलों पर निर्णय देती हैं और शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर ध्यान नहीं देती हैं। पूर्व में दाखिल ऐसे दो आवेदनों पर विचार नहीं किया गया, मामले अभी भी सेसटैट में लंबित हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों में शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं।

मंत्रालय को मुद्दों की जांच करने और अनुपालन हेतु विधिक सेल द्वारा पुनरीक्षा के बाद क्षेत्रीय कार्यालयों को उचित और स्पष्ट निर्देश देने की आवश्यकता है ताकि विभाग के शीघ्र सुनवाई वाले आवेदनों पर सेसटैट/अदालतों द्वारा विचार किया जाए।

2.8.4 समान मामलों को इकट्ठा करना

सीबीईसी के दिनांक 11 अगस्त, 2004, के परिपत्र संख्या 296/34/2004-सीएक्स.9(पीटी) यह निर्धारित करता है कि क्षेत्राधिकार आयुक्त को अधिक राजस्व से जुड़े समान मामलों को एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिये और प्राथमिकता पर निपटान करने के लिये न्यायाधिकरण से अनुरोध करना चाहिये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि (अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 तथा जुलाई 2016) कि महत्वपूर्ण राजस्व वाले समान मामलों को 17⁹ आयुक्तालयों में नहीं एकत्र किया गया था और किसी भी समय अधिकरण से उन मामलों के निपटान करने का अनुरोध नहीं किया गया था। शेष 15 आयुक्तालयों से आज तक सूचना नहीं प्राप्त हुई (जुलाई 2016)।

उपरोक्त 17 आयुक्तालयों में से तीन¹⁰ आयुक्तालयों में विस्तृत जांच से पता चला कि सात मामले जिन्हें इकट्ठा किया गया था, उसका विवरण तालिका 2.7 में है:

तालिका 2.7: इकट्ठा नहीं किये गये मामले

| क्र.सं. | आयुक्तालय का नाम | मामलों की संख्या | (₹ करोड़ में) |
|---------|---------------------------------|------------------|---------------|
| | | | राशि |
| 1 | एलटीयू चेन्नै | 3 | 0.60 |
| 2 | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क-दिल्ली-1 | 3 | 19.11 |
| 3 | रायपुर | 1 | 3.81 |
| | कुल | 7 | 23.52 |

⁹ पुडुचेरी, एलटीयू चेन्नई, चंडीगढ़-1, चंडीगढ़-11, लुधियाना, पंचकुला, गुवाहाटी, कोलकाता-111, बोलपुर, गाजियाबाद, जमशेदपुर, पटना, ग्वालियर, भावनगर, रायपुर, सूरत-11, वडोदरा-1

¹⁰ एलटीयू चेन्नई, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली-1, रायपुर

मामले को शीघ्र निपटाने के लिये सेसटैट से अनुरोध करने के लिये सीडीआर को समान मामलों की सूची भेजने में विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹ 23.52 करोड़ का राजस्व बकाया लंबित हुआ।

कुछ उदाहरण से स्पष्ट मामले नीचे दिये गये हैं:

i) एलटीयू चेन्नई आयुक्तालय में “अधिसूचना सं.108/95सीई की छूट का अनुचित लाभ लेने हेतु” तीन ओआईएज़ में मै. स्विंग स्टेटर इंडिया लि. के प्रति ₹ 53.30 लाख के मांग की पुष्टि हुई। अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा मामले पर रोक लगा दी गई, लेकिन विभाग द्वारा समान मामलों को इकट्ठा नहीं किया गया।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि मामलों को एकत्र करने के लिए आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

ii) दिल्ली-। आयुक्तालय में “अवैध रूप से सामान की निकासी” के लिए मै. के.पी. पॉचेज़ प्रा. लि. के प्रति दो ओआईओज़ में ₹ 2.78 करोड़ की मांग तथा दो ओआईओज़ में मै. सनराइज फूड प्रोडक्ट्स के प्रति ₹ 15.69 करोड़ की मांग की पुष्टि हुई। अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा मामले पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन विभाग द्वारा समान मामलों को इकट्ठा नहीं किया गया।

मंत्रालय ने मै. सनराइज फूड प्रोडक्ट्स के मामले में बताया (दिसम्बर 2016) कि ये दो अलग-अलग निर्धारित हैं, एक स्वाधिकृत फर्म है तथा दूसरी एक पंजीकृत कम्पनी है। चूँकि अपीलीय प्राधिकरण अलग-अलग हैं, मामले की बंचिंग की सिफारिश नहीं की गई।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि केवल समान मामलों का ही बंचिंग किया जाना है। इसके लिए एक ही प्रकार के याचिकाकर्ता होना आवश्यक नहीं है।

मै. के.पी. पॉचेज़ प्रा. लि. के मामले में यह बताया गया कि मामलों की प्रकृति और काम करने का तरीका अलग-अलग था। हालांकि इसके सत्यापन हेतु कोई विवरण नहीं उपलब्ध कराया गया।

शेष छः मामलों में मंत्रालय का उत्तर इस प्रकार है:

तीन मामलों में यह बताया गया कि मामलों की बंचिंग हेतु आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

एक मामले में मामले में यह बताया गया कि मामलों की प्रकृति और काम करने का तरीका अलग-अलग था। हालांकि इसके सत्यापन हेतु कोई विवरण नहीं उपलब्ध कराया गया, इसलिए मंत्रालय के मतों की पुष्टि नहीं की जा सकती।

एक मामले में यह बताया गया कि यद्यपि मामले ढाँचागत वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट लेने से संबंधित थे, लेकिन उसमें अन्य मदें भी शामिल थी इसलिए ये बंचिंग हेतु उपयुक्त नहीं थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मुख्य मुद्दा ऐसी वस्तुओं का गलत लाभ लेना है जिसकी अनुमति नहीं थी। अतः मामले बंचिंग हेतु उपयुक्त हैं। बंचिंग का मुख्य इरादा समान मुद्दों में अपील वाले मामलों का निपटान करना है।

2.8.5 गैर वसूलीयोग्य बकायों को समाप्त करने हेतु कार्रवाई न किया जाना

बोर्ड के परिपत्र सं. 946/2011, दिनांक 1 जून 2011 में प्रावधान है कि गैरवसूलीयोग्य बकायों को समाप्त करने वाले प्रस्तावों की जांच हेतु मुख्य आयुक्तों एवं आयुक्तों की एक तीन सदस्यीय समिति बनाई जाएगी और बोर्ड के दिनांक 21 सितम्बर 1990 के परिपत्र की शर्तों के अनुसार यह ऐसी समाप्ति के लिए योग्य मामलों पर सिफारिश देगी तथा सक्षम प्राधिकारी को आदेश देगी। जब उप/सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में गैर-वसूलीयोग्य बकायों को समाप्त करने का प्रस्ताव समिति को दिया जाएगा तो समिति, समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावों की जांच करेगी तथा सक्षम प्राधिकारी इस प्रस्ताव हेतु प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुरूप योग्य मामलों में बकाए को समाप्त करेगा।

समिति का गठन और समाप्ति की शक्ति सक्षम प्राधिकारियों को सौंपी गई थी जो इस प्रकार हैं:

तालिका 2.8: बकाए की समाप्ति का अधिकार

| क्र.सं. | समिति का गठन | सक्षम प्राधिकारी | प्रयायोजित शक्तियाँ |
|---------|--|---|---|
| 1 | मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क | सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क के दो मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त (टीएआर) की समिति | (क) सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत आरोपित हर्जाने और जुर्माने की गैर-वसूलीयोग्य राशि के परित्याग की पूरी शक्ति (ख) बोर्ड को रिपोर्ट देकर ₹ 15 लाख तक की सीमाशुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गैर वसूलीयोग्य राशि को समाप्त करना। |
| 2 | उत्पाद/सीमाशुल्क आयुक्त/सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क आयुक्त तथा सीसी (टीएआर) द्वारा नामित एक आयुक्त (टीएआर) | सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क और सीसी (टीएआर) द्वारा नामित एक आयुक्त | (क) सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत आरोपित हर्जाने और जुर्माने की गैर-वसूलीयोग्य राशि के परित्याग की पूरी शक्ति (ख) बोर्ड को रिपोर्ट देकर ₹ 10 लाख तक की सीमाशुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गैर वसूलीयोग्य राशि को समाप्त करना। |

हमने देखा (अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016) कि नमूना जांच किए गए 32 आयुक्तालयों में से सात आयुक्तालयों¹¹ में ₹ 188.35 करोड़ के राजस्व बकाया वाले 177 मामले थे जिन्हें नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 2.9: गैरवसूलीयोग्य बकायों को समाप्त करने की कार्रवाई न करना

| क्र.सं. | आयुक्तालय | मामलों की संख्या | (₹ करोड़ में) | |
|---------|--------------------------------|------------------|---------------|--|
| | | | राशि | |
| 1 | चंडीगढ़-II | 2 | 4.78 | |
| 2 | केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली-I | 44 | 167.64 | |
| 3 | गाजियाबाद | 11 | 0.17 | |
| 4 | कोलकाता III | 5 | 4.02 | |
| 5 | गुवाहाटी | 13 | 5.67 | |
| 6 | वड़ोदरा (टीएआर) | 1 | 0.39 | |
| 7 | भुवनेश्वर | 101 | 5.67 | |
| | कुल | 177 | 188.35 | |

उपरोक्त बकायों की वसूली की संभावना बहुत ही कम है क्योंकि:

¹¹ चंडीगढ़-II, सीएक्स दिल्ली-I, गाजियाबाद, कोलकाता-III, गुवाहाटी, वड़ोदरा (टीएआर), भुवनेश्वर

- 80 मामलों में निर्धारिती का पता नहीं लगाया जा सकता था, 79 इकाइयाँ बंद हो गई थी और 14 इकाइयाँ मौजूद नहीं थी।
- उपरोक्त 177 मामलों में से 146 मामले ₹ 15 लाख से कम के थे।
- उपरोक्त 177 मामलों में से आठ मामले ₹ 1,000 से कम के थे और एक मामले में तो यह मात्र ₹ 28 था।
- उपरोक्त 177 मामलों में से 119 मामले 1968 से 2000 की अवधि से संबंधित थे।

दो निदर्शी मामले इस प्रकार हैं:

i) हमने देखा (दिसम्बर 2015) कि भुवनेश्वर-1 आयुक्तालय में ₹ 5.89 करोड़ राशि के 101 मामले थे जिनमें नौ मामले 1968 से 1978 की अवधि से संबंधित थे जिन्हें बंद नहीं किया गया था, जबकि नोडल अधिकारी टीएआर कोलकाता ने निर्देश दिया था कि “बंद किए जाने वाले उपयुक्त मामलों में उचित कदम उठाए जाएं और ऐसे मामले जहां चूककर्ताओं का पता नहीं लगाया जा सकता हो, उनमें बकाए की वसूली हेतु उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए डीजीसीईआई/डीआरआई को बताया जाए”। आगे यह भी देखा गया कि इकाई की मौजूदगी के बारे में न तो पूछताछ की गई थी और न ही इन मामलों को बंद करने के कोई प्रस्ताव दिए गए थे।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि मामले को बंद करना एक कठिन प्रक्रिया है और इसमें बहुत अधिक समय लगता है। आगे यह भी बताया गया कि मामले को बंद करने के प्रस्ताव पर तदनुसार विचार किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कुछ मामले 1968-1978 तक के थे और आवश्यक कार्रवाई अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी।

ii) हमने देखा (दिसम्बर 2015) कि आयुक्त(टीएआर) वड़ोदरा बोर्ड को ₹ 39.74 लाख के लिए भावनगर आयुक्तालय में मै. ए-1 प्रोडक्ट्स को बंद करने का प्रस्ताव दिया गया था। बोर्ड ने मुख्य आयुक्त, अहमदाबाद जोन से कुछ स्पष्टीकरण मांगा (अप्रैल 2007)। मामले का अब तक भी निपटान नहीं किया जा सका क्योंकि बोर्ड द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण सात वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं दिया गया।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि तथ्यों का सत्यापन करने के बाद मामले को बंद करने हेतु कार्रवाई की शुरू की जाएगी।

इस प्रकार विभाग स्वयं के द्वारा भेजे गए मामले को बंद करने के प्रस्ताव पर नौ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई सूचना प्रदान करने में विफल रहा।

शेष 75 मामलों में, मंत्रालय का उत्तर इस प्रकार था:

60 मामलों में यह बताया गया कि गैरवसूलीयोग्य बकायों को समाप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।

11 मामलों में यह बताया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मामले भेजे गए थे लेकिन सभी निर्धारित प्रावधानों को लागू करने के निर्देश के साथ इसे वापस लौटा गया था और ये अभी तक समाप्तियोग्य नहीं हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मामले 1991-2003 से मामले संबंधित थे जहां चूककर्ताओं का पता नहीं लगाया जा सकता था और इसलिए एक राय बनानी चाहिए कि उन्हें कब समाप्तियोग्य माना जा सकता है।

तीन मामलों में यह बताया गया कि वसूली कार्रवाई की संभावना की जांच की जा रही है।

एक मामले में यह बताया गया कि दिनांक 30 मार्च 2016 की डिवीज़न की सिफारिश 04 अप्रैल 2016 को सभी संबंधित विवरण के साथ फिर से प्रस्तुत करने हेतु वापस भेज दी गई है। इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाए जाने के बाद कार्रवाई की गई।

2.8.6 वसूली सेल को मामले हस्तांतरित न करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को उस व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति बेचने या कुर्की करने का अधिकार है, जो व्यक्ति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 12 जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समान मामलों पर लागू सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 42(1)(सी)(ii) बनाता है के अंतर्गत जारी दिनांक 2 सितम्बर 1997 की अधिसूचना संख्या 48/97-सीई (एनटी) के माध्यम से सरकार को देय किसी भी राशि के भुगतान में विफल हुआ हो।

यदि विभागीय प्रयासों से कोई वसूली नहीं की गई हो, मामले को वसूली सेल को हस्तांतरित किया जाना चाहिये, जिसके पास चूककर्ता की संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूली हेतु कार्यवाही करने का अधिकार है।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड की मांग¹² है (अक्टूबर 2000) कि 1999 और पूर्व वर्षों में जिला प्राधिकरण को पहले से संदर्भित, सभी मामले, जहां कोई भी प्रभावी कार्यवाही या प्रतिक्रिया नहीं की गई है, उनको कमिश्नरी के वसूली सेल को संदर्भित किया जाना चाहिये जहां निर्धारित के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुछ चल/अचल संपत्ति हो सकती है ताकि दिनांक 15 दिसम्बर 1997 के परिपत्र संख्या 365/81/97-सीएक्स के अनुसार कार्यवाही की जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016) कि नमूना जांच किए गए 32 आयुक्तालयों में से केवल तीन आयुक्तालयों में नामशः कोलकाता-III, बोलपुर और हैदराबाद ने 2014-15 के दौरान वसूली सेल को ₹ 437.41 करोड़ राशि वाले 234 मामले स्थानांतरित किए।

2014-15 के दौरान 23 आयुक्तालयों¹³ में वसूली सेल को कोई भी मामले नहीं भेजे गए थे। 23 आयुक्तालयों में से 20 आयुक्तालयों में जिन्होंने बकाए के आंकड़े उपलब्ध कराए थे, उनमें ₹ 18,700.27 करोड़ के 15,388 मामले वसूली हेतु लंबित थे। 32 आयुक्तालयों में से छः¹⁴ ने वसूली सेल को स्थानांतरित मामलों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। इसके अतिरिक्त, 20 आयुक्तालयों में से वसूली सेल को स्थानांतरित मामलों के संबंध में डाटा प्रदान करने वाले तीन¹⁵ आयुक्तालयों द्वारा प्रस्तुत डाटा में यह उल्लेख था कि बकाया राजस्व शून्य था, जबकि इन आयुक्तालयों में ₹ 913.82 करोड़ के राजस्व वाले 1,235 मामले थे।

इस प्रकार, मामलों के गैर-हस्तांतरण से न केवल वसूली सेल बनाना निरर्थक हो गया बल्कि वसूलियों का ढेर लग गया और उनकी बहुत कम वसूली हुई।

¹² परिपत्र सं. 552/48/2000-सी दिनांक 4-10-2000 द्वारा

¹³ पुडुचेरी, एलटीयू चेन्नई, चेन्नई-1, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़-1, चंडीगढ़-2, लुधियाना, पंचकुला, गुवाहाटी बंगलोर-1, बंगलोर-2, मंगलौर, पटना, दिल्ली-1, भावनगर, जयपुर, राजकोट, सूरत-1, वडोदरा-1, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर-1, थाणे-1, नागपुर-1

¹⁴ गाजियाबाद, हापुड़, जमशेदपुर, ग्वालियर, रायपुर, एलटीयू दिल्ली

¹⁵ एलटीयू चेन्नई, पुडुचेरी, पटना

29 आयुक्तालयों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर इस प्रकार था (दिसम्बर 2016):

सात मामलों में यह बताया गया कि कोई भी वसूली सेल नहीं था और डिवीज़न स्तर पर वसूली की निगरानी की जा रही है। 12 मामलों में वसूली सेल हैं लेकिन डिवीज़नों द्वारा अभी भी वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

तीन मामलों में यह बताया गया कि मामलें वसूली सेल को हस्तांतरित किए गए हैं, हालांकि, 2 मामलों में हस्तांतरित मामलों का विवरण नहीं प्रदान किया गया।

दो मामलों में, यह बताया कि वसूली सेल को भेजे जाने हेतु कोई भी मामला उपयुक्त नहीं पाया गया।

दो मामलों में, यह बताया कि वसूली सेल को स्थानांतरित किए जाने हेतु अनुदेश जारी किए गए है/प्रयास किए जा रहे हैं।

एक मामले में यह बताया गया कि वसूली सेल को मामले स्थानांतरित किए जा रहे हैं, हालांकि स्थानांतरित मामलों का कोई भी विवरण नहीं उपलब्ध कराया गया।

एक मामले में यह बताया गया कि ₹ 50 लाख से अधिक के बकाए वाले मामलों की निगरानी वसूली सेल द्वारा की जा रही है।

एक मामले में भी उत्तर वही था कि बकायों की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

एक मामले में यह बताया गया कि लेखापरीक्षा की आपत्ति को नोट कर लिया गया था।

एक मामले में यह बताया गया कि परिपत्र 368/81/97-CX, दिनांक 15 दिसम्बर 1997 में सुझाव है कि वसूली सेल को उन्हीं मामलों की भेजा जाए जहां निर्धारिती के पास कुछ चल/अचल संपत्ति हो। इसलिए वसूली सेल से अपेक्षा की जाती है कि अन्य आयुक्तालयों से परिशिष्ट-1 के रूप में प्राप्त संदर्भों को देखे जिसमें इस आयुक्तालय में चल और अचल संपत्ति का

विवरण दिया गया हो। इसलिए आयुक्तालय के सभी बकाये को वसूली सेल को स्थानांतरित करना अपेक्षित नहीं है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि परिपत्र 368/81/97-CX, दिनांक 15 दिसम्बर 1997 में अन्य आयुक्तालयों के वसूली सेल को मामलों को स्थानांतरित करने की कोई सीमा नहीं है। ऐसे भी मामले हैं जहां चूककर्ताओं की संपत्ति उसी आयुक्तालय में मौजूद हो सकती है और प्राधिकृत अधिकारी को तदनुसार परिशिष्ट-II जारी करनी चाहिए। इस प्रकार, आयुक्तालय को ऐसे मामलों की पहचान करनी चाहिए जहां विभागीय प्रयासों द्वारा कोई वसूली नहीं की गई हो और ऐसे सभी मामलों को उसी या अन्य आयुक्तालयों के वसूली सेल को स्थानांतरित करना चाहिए जहां चूककर्ता की कोई चल/अचल संपत्ति उपलब्ध हो।

उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि अधिकांश आयुक्तालयों में वसूली सेल हैं लेकिन ये कार्य नहीं कर रहे हैं और अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों के वसूली सेल के कार्यों पर अलग-अलग मत हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बिना विश्लेषण किए ही क्षेत्रीय कार्यालयों के इन भिन्न-भिन्न मतों को केवल अग्रेषित कर दिया है। पुदुच्चेरी आयुक्तालय, जिसे यह भी जानकारी नहीं है कि वसूली सेल क्या कार्य करता है, के मामले में मंत्रालय अपने क्षेत्रीय कार्यालय को वसूली सेल की भूमिका स्पष्ट करने में विफल रहा। चूंकि वसूली सेल बनाने का उद्देश्य संपत्ति की नीलामी या उसे बेचकर वसूली करना है, बोर्ड वसूली सेल के प्रभावी कार्य-कलाप के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी करे और इसकी निगरानी करे।

2.9 आन्तरिक नियंत्रण

2.9.1 बकाया मामलों की स्थिति का गैर-अद्यतन

हमने देखा कि कुछ मामलों में विभाग मामलों की निगरानी नहीं कर रहा था और परिणामस्वरूप मामलों का ठीक से वर्गीकरण नहीं किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इन मामलों की समुचित निगरानी के अभाव में मामलों से ध्यान हटने का जोखिम था, यद्यपि वसूलीयोग्य मामले लंबित पड़े थे जिसके कारण बकायों की वसूली नहीं हुई।

i) हमने देखा (जनवरी 2016) कि हापुड़ आयुक्तालय में बीआईएफआर शीर्ष के तहत मासिक तकनीकी रिपोर्ट (एमटीआर) में मै. श्री एसिड्स एण्ड केमिकल्स के मामले में ₹ 54.92 लाख दर्शाया गया था, जबकि मामले पर 2011 द्वारा पहले ही रोक लगा दी गई थी। बीआईएफआर ने 21 दिसम्बर 2011 के अपने आदेश द्वारा सरकारी विभागों को सक्षम न्यायालय में मुकदमा दाखिल करने/उसे देखने, यदि पहले ही दाखिल किए गए हों, का भी निर्देश दिया। हालांकि, विभाग ने वसूली के लिए कोई मुकदमा नहीं दायर किया और मामले को लगातार “बीआईएफआर” मामलों के तहत दर्शाता रहा। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि मामले को बीआईएफआर सूची से हटा दिया गया है और तदनुसार स्थिति को अद्यतित कर लिया गया है। वसूली हेतु कदम उठाया जा रहा है।

ii) हमने देखा (दिसम्बर 2015) कि पटना आयुक्तालय के नवम्बर 2015 के एमटीआर हेतु ₹ 28.48 लाख की राशि वाले मै. पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि. के तीन मामलों को बीआईएफआर (अवरोधित बकाये) के तहत दर्शाया जा रहा था लेकिन इन्हें निर्धारितियों के अनुरोध पर वास्तव में विपंजीकृत कर दिया गया था और वे गैर-अवरोधित बकाए थे। तदनुसार, इकाइयाँ लम्बे समय तक बीआईएफआर के अंतर्गत नहीं थी और विभाग ₹ 28.48 लाख के बकाए की वसूली हेतु कदम उठाने के लिए स्वतंत्र था लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज तक भी सभी तीन मामलों को बीआईएफआर मामलों के तहत दर्शाया गया था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि बीआईएफआर के तहत दर्शाए गए तीनों मामलों को विपंजीकृत कर दिया गया था। आगे यह भी बताया गया कि दो मामलों पर निर्धारितियों के पक्ष में निर्णय दिया गया है और एक मामले में कुल वसूलीयोग्य राशि में से केवल ₹ 0.72 लाख शेष था और इसकी भी वसूली की कार्रवाई भी की जा रही है।

iii) भुवनेश्वर आयुक्तालय में कटक और रायगढ़ डिवीज़नों में हमने देखा (जनवरी 2016) कि ₹ 12.32 करोड़ और ₹ 2.26 करोड़ वाले 21 और सात मामलों को क्रमशः एमटीआर में सेसटैट और आयुक्त (अपील) में लंबित दर्शाया गया था। हालांकि, अधिकरण में रोक वाले लंबित बकायों की स्थिति

के प्रति-सत्यापन से पता चला कि वे मामले वास्तव में सेसटैट एवं आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित थे ही नहीं। मिलान न करने के कारण इन मामलों को लंबित दर्शाया जा रहा था और वसूली रूक गई जिसके कारण ₹ 14.57 करोड़ के सरकारी बकाए की वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि विभिन्न सांख्यिकीय रिपोर्टों में अंतर का मिलान करने के प्रयास किए जा रहे थे।

iv) हमने देखा (जनवरी 2016) कि पटना आयुक्तालय में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क डिवीज़न पटना-1 में ₹ 1.40 लाख बकाया वाले मै. राधे फोर्जिंग वाले मामले को मार्च 2015 के एमटीआर में माननीय उच्च न्यायालय पटना में अपील के तहत दर्शाया गया था। पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट से प्रति सत्यापन करने पर यह पाया कि 3 अगस्त 2010 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा मामले को रद्द कर दिया गया था। राजस्व के पक्ष में मामले के निपटान के पश्चात् मामला वसूलीयोग्य बकाए का था, लेकिन विभाग ने इस मामले को लगातार अवरूद्ध बकाए के रूप में रखा पांच वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी बकाए की वसूली हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि निर्धारिती को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142(1)(सी)(ii) के तहत नोटिस जारी किया गया था। विभाग की ओर से जवाबदेही तय किए जाने की आवश्यकता है।

2.9.2 बढे हुए बकाया

महीने की समाप्ति पर चूककर्ता के विरुद्ध बकाए की राशि मासिक कर बकाया रिपोर्ट में दर्शाई जाती है। नमूना जांच में हमने देखा कि टीएआर/एमटीआर का अद्यतन नहीं किया जा रहा था इसलिए बकाए की गलत स्थिति प्रदर्शित हो रही थी, जिसका विवरण इस प्रकार है:

i) हमने देखा (दिसम्बर 2015) कि त्रिवेन्द्रम आयुक्तालय में मै. रेनबो रूफिंग इंडिया प्रा. लि. के संबंध में बकाया ₹ 12.71 करोड़ दर्शाया गया था जिसमें ₹ 59.90 लाख ओआईओ में ही विनियोजित कर लिया गया था (दिसम्बर 2013) और बकाया शेष राशि ₹ 12.11 करोड़ थी। हालांकि, विभाग

ने अपने टीएआर (सितम्बर 2015) में राशि को अद्यतित नहीं किया था और पूरी राशि ₹ 12.71 करोड़ का बकाया लगातार दर्शाया गया; जिसके परिणामस्वरूप ₹ 59.90 लाख की बकाया राशि का गलत विवरण हुआ।

ii) हमने देखा (जनवरी 2016) कि हापुड़ आयुक्तालय में मै. सरल वायर¹⁶ के मामले में आयुक्त (अपील) द्वारा ₹ 17.50 लाख की मांग को रद्द कर दिया गया (अक्टूबर 2012) लेकिन डिवीज़न की कर बकाया रिपोर्ट (टीएआर) (अक्टूबर 2015) में मामले को बकाए के रूप में दर्शाया जा रहा था। इसलिए ₹ 17.50 लाख का बकाया बढ़ गया।

दोनों मामलों में मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि गलत विवरण हटाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं।

2.10 निगरानी

2.10.1 निर्धारितियों की गतिविधियों का पता न लगाना

बोर्ड के परिपत्र सं. 224/37/2005-CX-6, दिनांक 24 दिसम्बर 2008 में यह प्रावधान है कि क्षेत्रीय निरीक्षकों को ऐसे निर्धारितियों द्वारा संचालन के हस्तांतरण या समिति से संबंधित किसी भी प्रगति के बारे में साथ-साथ अवगत रहना होगा जिनके विरुद्ध राजस्व बकाया हो तथा रैंज अधिकारियों को इस बारे में बताना होगा।

हमने देखा कि उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था। कुछ निर्देशी मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

i) हमने देखा (नवम्बर 2015) कि ₹ 65.30 लाख, ₹ 4.46 करोड़ तथा ₹ 39.55 लाख के क्रमशः तीन मामलों में यथा; मै. भगवती इंपेक्स, मै. लेंसर टेलीकॉम (इंडिया) और मै. एल.बी. इलेक्ट्रॉनिक्स को गाजियाबाद आयुक्तालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इन निर्धारितियों ने क्रमशः अक्टूबर 2004, जुलाई 2006 और जनवरी 2009 से विवरणी दाखिल करना बंद कर दिया था। लेकिन विभाग ने गतिविधियों पर रखने के लिए परिसर का

¹⁶ ओआईओ संख्या 132(42/11, 59/11, 88/11, 111/11, एवं 37/12) AC /HLD /2012 दिनांक: 16.08.2012 (मांग: ₹ 35 लाख)

दौरा नहीं किया। उस अवधि के दौरान निर्धारितियों ने अपने परिसर बेच दिये और लापता हो गए।

मंत्रालय ने आपत्ति मान ली (दिसम्बर 2016) और बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत कराया गया है और नियमित आधार पर निर्धारितियों की निगरानी के निर्देश दिए जा चुके हैं। हालांकि उत्तर में यह उल्लेख नहीं था कि चूककर्ता कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई अथवा नहीं।

ii) हमने देखा (दिसम्बर 2015) कि मई 2010 में हापुड़ आयुक्तालय में मै. दुधेश्वर स्टील्स एण्ड एलॉय प्रा. लि. के प्रति ₹ 52.28 लाख की मांग की पुष्टि की गई। विभागीय अधिकारी ने परिसर का दौरा किया (नवम्बर 2013) और पाया कि वहां केवल क्षतिग्रस्त चहारदीवारी थी और स्थल पर कोई संयंत्र और मशीनरी उपलब्ध नहीं थे। शीघ्र कार्रवाई जैसे कि तत्काल स्थल का दौरा करने से वसूली की संभावना बढ़ सकती थी।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि इकाई की परिसंपत्तियों पर केनरा बैंक द्वारा कब्जा कर लिया गया था और बैंक ने बताया कि इसने बकाए की वसूली हेतु ऋण वसूली (डीआरटी) अधिकरण का रुख किया था। विभाग ने 10 अक्टूबर 2016 को डीआरटी के पास अपना दावा भी दाखिल कर दिया। इस प्रकार विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाए जाने के बाद ही कदम उठाया। यद्यपि मंत्रालय ने विफलता स्वीकार कर लिया, लेकिन यह जवाबदेही तय करने में विफल रहा।

2.10.2 मामलों की स्थिति का अद्यतन

लेखापरीक्षा ने देखा कि क्षेत्रीय कार्यालयों में वसूली मामलों की स्थिति जानने का कोई तंत्र नहीं है। अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि अधिकांश मामलों में विभाग ने मामले की स्वयं निगरानी करने की बजाए सेसटैट में लंबित मामलों की स्थिति बताने के लिए निर्धारितियों से अनुरोध किया। कुछ घटनाओं का उल्लेख नीचे किया गया है:

i) एलटीयू चेन्नई आयुक्तालय में मै. सेंट गोबियन ग्लास इंडिया लि. के प्रति ₹ 1.52 करोड़ और इतने ही जुर्माने की पुष्टि की गई

(मार्च 2011)। आयुक्तालय के अभिलेखों से हमने देखा कि उन्होंने निर्धारिती से यह बताने का अनुरोध किया था (अप्रैल 2013) कि क्या मामले पर रोक लगाई गई थी, जबकि उन्हें स्वयं मामले की निगरानी करनी चाहिए थी।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि मामलों की स्थिति सेसटैट की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसका सत्यापन किया जा रहा है। लेखापरीक्षा आपत्तियों को भी आगामी अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

ii) पुदुच्चेरी आयुक्तालय में मै. नेक्सस इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, इकाई-1 के प्रति ₹ 19.17 लाख की मांग की पुष्टि की गई (अप्रैल 2009)। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि रैंज अधिकारी ने निर्धारिती से मामले की “वर्तमान स्थिति” बताने का अनुरोध किया था (30 जून 2011)।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि यह एकमात्र ऐसा मामला था जहां मामले की स्थिति के बारे में निर्धारिती से पूंछा गया था और इसे सेसटैट की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता था।

iii) हापुड़ आयुक्तालय में मै. जिंदल पाइप्स के प्रति ₹ 4.89 करोड़ के मांग की पुष्टि की गई (अक्टूबर 2009)। निर्धारिती ने सेसटैट में अपील कर दिया (फरवरी 2010) और उसे स्टे मिल गया (अगस्त 2010)। रैंज अधिकारी ने निर्धारिती से मामले की वर्तमान स्थिति बताने के लिए 29 दिसम्बर 2014 और 23 दिसम्बर 2015 को निर्धारिती को पत्र लिखे।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि लेखापरीक्षा आपत्ति को नोट कर लिया गया है और बकाए से संबंधित अभिलेखों को अद्यतित कर दिया गया था लेकिन मंत्रालय ऐसे ढीले रवैये के लिए जवाबदेही तय करने में विफल रहा जिससे करदाताओं की नजरों में विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में गलत प्रभाव पड़ा।

2.10.3 बकायों की वसूली की निगरानी हेतु विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग

यद्यपि वसूलियों की स्थितियाँ कर बकाया रिपोर्टों में दर्शाई गई हैं, बकाया संकलन और निगरानी हेतु कोई विशेष सॉफ्टवेयर/माइज़ूल नहीं है। बकायों की वसूली हेतु विभाग में आईटी प्रणाली/कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/प्रोग्राम का प्रयोग एक प्रभावी तंत्र बन सकता है। प्रणाली की पर्याप्तता, एप्लिकेशन एवं प्रक्रियागत नियंत्रण, प्रबंधन हेतु एमआईएस रिपोर्टों की उपलब्धता और सूचना का साझाकरण ऐसी आईटी प्रणाली/कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/प्रोग्राम के अभाव में सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

लेखापरीयक्षा ने देखा कि 15 आयुक्तालयों में ऐसा कोई कम्प्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर/प्रोग्राम अथवा प्रणाली नहीं है जिससे बकाया राजस्वों की स्थिति, निष्पादन के विभिन्न स्तरों पर निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन इत्यादि की निगरानी; विभाग द्वारा दक्ष एवं प्रभावी तरीके से बकायों की वसूली सुनिश्चित किया जा सके। शेष 17 आयुक्तालयों से सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

आईटी सक्षम प्रणाली की कमी के परिणामस्वरूप वसूली प्रक्रिया की खराब मॉनिटरिंग हुई।

हमने इस बारे में जनवरी तथा मार्च 2016 के बीच बताया था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि विभाग कर बकाया की वसूली की मॉनिटरिंग के लिए आधुनिक आईटी सक्षम प्रणालियों का अनुरक्षण कर रहा है। सीबीईसी ने एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की है ताकि कर बकाया की वसूली सहित मुख्य क्षेत्रों से संबंधित सूचना विश्वसनीय, कुशल तथा उपयोगी तरीके से एकत्र की जा सके। एमआईएस को दो चरणों में कार्यान्वयन के लिए डिजाइन किया गया है। चरण 1 में जून 2015 से प्रचालित क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्टों की अपलोडिंग के लिए वैब आधारित उपयोगिता शामिल की गई है। चरण 2 में हस्त्य रूप से तैयार किए गए रजिस्ट्रों, जिनसे एमपीआर तैयार करने के लिए सूचना ली जाती है,

को डिजिटल रजिस्ट्रों से प्रतिस्थापित किया जाना है। दूसरे चरण के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

यह आशा की जाती है कि डिजिटलीकरण से बकाया वसूली की मॉनिटरिंग में सुधार आएगा।

2.10.4 अपील रजिस्टर का रख-रखाव न करना

बोर्ड परिपत्र सं. 224/37/2005-सीएक्स-6, दिनांक 24 दिसम्बर 2008 में विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए थे, जैसाकि निर्धारिती द्वारा दायर की गई अपील पर ड्राफ्ट पैरा-वार टिप्पणियां तैयार करना तथा विधिक फोरम के पास लंबित मामलों की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए अभिलेखों की मासिक समीक्षा के माध्यम से रजिस्टर का नियमित रूप से अनुरक्षण करना।

हमने पाया (अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016) कि नौ कमिश्नरियों¹⁷ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 49 रैंजों में अपील रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।

मंत्रालय ने यह बताया (दिसम्बर 2016):

सात रैंजों के मामले में यह बताया गया कि क्षेत्रीय सरंचनाओं द्वारा प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

10 रैंजों के मामले में यह बताया गया कि अब अपील रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जा रहा है।

23 रैंजों के मामले में यह बताया गया कि अपील रजिस्ट्रों के रख-रखाव के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

नौ रैंजों के मामले में यह बताया गया कि अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा बिंदु को नोट कर लिया गया था।

¹⁷ त्रिवेंद्रम, कोलकाता-III, गुवाहटी, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, ग्वालियर, रायपुर, भावनगर, जयपुर

2.10.5 जब्त माल के अभिलेख का रख-रखाव न करना

हमने देखा (जनवरी 2016) कि हापुड़ कमिश्नरी में मैसर्स श्री एसिड्स एण्ड कैमिकल्स लि.¹⁸ के ₹ 45.87 लाख मूल्य के माल को अक्टूबर 2015 माह की कर बकाया रिपोर्ट के अनुसार विभाग ने जब्त कर लिया था। हालांकि, विभाग जब्त किए गए माल के कोई ब्यौरे या ठिकाना प्रस्तुत किरने में असमर्थ रहा। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि विभाग ने ₹ 45.87 लाख मूल्य का माल जब्त किया था। इसी बीच, निर्धारिती बीआईएफआर में चला गया तथा कम्पनी को एआरएसईसी (I) लि. ने टेक ओवर कर किया था जिसने कम्पनी की परिसम्पतियों की निलामी की थी। श्री डी के त्यागी, जिन्होंने परिसम्पत्तियां खरीदी थी, ने सूचना दी कि फैक्ट्री में कोई उत्पाद शुल्क योग्य माल नहीं पड़ा था। स्पष्टतया जब्त माल का विभाग की सील हटाने के बाद निपटान कर दिया गया था। श्री त्यागी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए राय मांगी गई है।

अतः जब्त माल का समय पर निपटान न करने के कारण जब्त माल की हानि हुई तथा किसी राशि की वसूली नहीं हुई। लेखापरीक्षा का मत है कि श्री त्यागी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करने की बजाय जब्त माल का समय पर निपटान न करने के लिए अपने स्वयं के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है।

2.10.6 मांग रजिस्ट्रों की समीक्षा न करना

सीबीईसी के अनुदेश सं. 224/37/2005-सीएक्स-6, दिनांक 24 दिसम्बर 2008 का पैरा 7.1 निश्चित रूप से बनाए गए मांग रजिस्टर के रख-रखाव के संबंध में रेंज अधिकारी के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व के बारे में बताता है। रेंज अधिकारी को निश्चित मांग के संबंध में रजिस्टर में प्रविष्टि की सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिए तथा प्रत्येक माह समीक्षा करनी चाहिए और रजिस्टर में मासिक सारांश तैयार करते समय इस पर प्रमाणपत्र जारी करना चाहिए।

¹⁸ ओआईओ सं. 09 जनवरी 2004 से 28 फरवरी 2005 के दौरान जारी किए गए 25 विभिन्न ओआईओज की क्लबिंग (मांग: ₹ 54.93 लाख)

हमने पाया (नवम्बर 2015 से फरवरी 2016) कि पाँच¹⁹ कमिश्नरियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 31 रेंजों में न तो रेंज अधिकारी ने मासिक समीक्षा की थी और न ही मासिक सारांश तैयार करने के बाद रजिस्ट्रों में इसके प्रभाव पर प्रमाणपत्र जारी किया था। मांग रजिस्टर की समीक्षा न करने के परिणामस्वरूप अप्रभावी मॉनीटरिंग हुई जिससे बकाया संग्रहण के जोखिम में वृद्धि हुई और यह अवसूलीयोग्य बन गए।

हमने इस बारे में बताया (जनवरी तथा मार्च 2016 के बीच)।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2016) कि छः रेंजों में मासिक समीक्षा की जा रही थी किंतु उक्त को रजिस्ट्रों में दर्ज नहीं किया जा रहा था। शेष सभी रेंजों को मासिक रूप से रजिस्टर की समीक्षा करने तथा उसको उचित रूप से दर्ज करने के लिए अनुदेश जारी कर दिया गए हैं।

2.11 वसूली हेतु कार्यबल की कार्यप्रणाली

2.11.1 क्षेत्रीय टीएआर द्वारा नीति तैयार न करना

बोर्ड ने बकायों की वसूली में सीमाशुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं के समन्वय, सुविधा, मॉनिटर तथा निगरानी के लिए केंद्रीकृत कार्यबल (सीटीएफ) का गठन (अगस्त 2004) किया था। सीटीएफ को लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क के राजस्व के बकाया की स्थिति की समीक्षा करने तथा बकाया की वसूली नीति को अंतिम रूप देने तथा इसे कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। इस नीति में सेसटेट, कमिश्नर (अपील) तथा समझौता आयोग के सभी मामलों को कवर किया गया है। इसके अलावा कमिश्नर के अविवादित बकाया के संबंध में सीटीएफ को संग्रहण नीति बनानी थी।

हमने पाया कि यद्यपि कार्यबल को बकाया की वसूली के लिए नीतियों को अंतिम रूप देने तथा कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया था फिर भी इसने बकाया की वसूली के लिए ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की थी। इसे इस तथ्य के साथ जोड़ा जाए कि स्थगन के लिए अनिश्चित समय सीमा के कारण सेसटेट

¹⁹ हैदराबाद I, विशाखापटनम, ग्वालियर, रायपुर, जयपुर

में काफी बकाया लंबित था, जबकि सीटीएफ ने किसी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया था तथा इस संदर्भ में निर्देश जारी नहीं किए थे। मार्च 2015 तक ₹ 63,925.42 करोड़²⁰ के कुल बकाया (सभी क्षेत्रों में) में से ₹ 44,747.82 करोड़, ₹ 1,485.15 करोड़ और ₹ 77.07 करोड़ के बकाया के मामले क्रमशः सेसटेट, कमिश्नर (अपील) तथा समझौता आयोग के पास लंबित थे जो वसूली हेतु कुल बकाया का 72.44 प्रतिशत बनता है।

इससे बढ़कर राजस्व के बकाया में वृद्धि का रुझान है तथा वसूली में कमी आ रही है जैसाकि पैरा 2.7.1 में दर्शाया गया था।

जब हमने इसे बारे में बताया (जनवरी 2016) तब मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि टीएआर द्वारा नीतियां तैयार कर ली गई हैं जिसमें कई पहले शामिल हैं तथा उक्त का कमिश्नरी द्वारा पालन तथा टीएआर द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है। विधिक सत्वों के समक्ष मामलों के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि यह स्वतंत्र सत्व है तथा विभागीय अनुदेश इनकी अवहेलना नहीं कर सकते।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने विधिक सत्वों को निर्देश देने पर बल नहीं दिया अपितु जल्दी सुनवाई, स्थगन के वेकेशन हेतु अनुरोध द्वारा विधिक सत्वों के साथ मामलों का अनुसरण करने की नीति बनाई है जैसाकि टीएआर कार्यों में परिकल्पित है।

2.11.2 टीएआर में संबंधित अभिलेखों/डाटा का रख-रखाव न करना

संबंधित डाटा का रख-रखाव, कार्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से करने के लिए रणनीति तथा कार्य योजना बनाने का आधार होता है। ओएम, दिनांक 11 अगस्त, 2004 के अनुसार क्षेत्रीय टीएआरज से इसके कार्यों के संपादन हेतु इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली क्षेत्रीय संरचनाओं के बकाया से संबंधित डाटा का रख-रखाव करना अपेक्षित है।

हमने देखा कि टीएआर नागपुर में, कार्यालय की पुनः संरचना तथा शिफ्टिंग के कारण सूचना का समेकन नहीं किया जा सका था।

²⁰ स्रोत: मासिक निष्पादन रिपोर्ट, टीएआर-सीई-1, मार्च 2015

विभाग ने टीएआर चेन्नई तथा वडोदरा के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की थी। चूंकि डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया था, अतः लेखापरीक्षा इन टीएआर की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी नहीं कर सकी थी।

हमने इस बारे में फरवरी 2016 में बताया था। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि टीएआर की पुनः संरचना अगस्त 2015 में की गई है जिसमें सीसी (टीएआर) का उत्तरदायित्व महानिदेशक निष्पादन प्रबंधन (डीजीपीएम) को सौंपा गया तथा क्षेत्रीय नोडल कार्यालयों को महानिदेशक करदाता सेवा (डीजीटीपीएस) के अधीन रखा गया था। यह अंतरण लेखापरीक्षा के समय हुआ था जिसके कारण लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रबंधन परिवर्तन/अंतरण के समय विभाग की कार्यप्रणाली में बाधा नहीं आई थी।

2.11.3 टीएआर द्वारा कमिशनरियों की गैर/अपर्याप्त निरीक्षण

ओएम सं. एफ सं. 296/34/2004-सीएक्स 9 (पीटी), दिनांक 11 अगस्त 2004 सभी कमिशनरियों में आरंभिक जांच द्वारा तथा इसके पश्चात क्षेत्राधिकारी अधिकारियों के साथ आवधिक जांच/अन्योन्य क्रिया द्वारा कमिशनरियों के निष्पादन की नमूना जांच का प्रावधान करता है।

हमने पाया (नवम्बर 2015) कि नोडल कार्यालय कोलकाता ने 2013-14 के दौरान कोई जांच नहीं की गई तथा 2014-15 में इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली 19 कमिशनरियों में से केवल तीन कमिशनरियों की जांच की गई थी।

अतः टीएआर कोलकाता के नोडल अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली कमिशनरियों की जांच के लिए बोर्ड के अनुदेशों का पालन नहीं किया था।

विभाग ने टीएआर चेन्नई तथा वडोदरा से संबंधित सूचना प्रदान नहीं की थी, अतः हम चेन्नई तथा वडोदरा के टीएआर की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।

हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2016) तब मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि नोडल अधिकारी द्वारा जांच नहीं की जा सकी थी क्योंकि टीएआर की पुनः संरचना/अंतरण के कारण स्टाफ की कमी थी।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह आपत्ति 2012-13 से 2014-15 की अवधि से संबंधित थी तथा पुनः संरचना अगस्त 2015 में हुई थी। इसके अलावा बोर्ड को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रबंधन में परिवर्तन/अंतरण के समय पर विभाग की कार्यप्रणाली में बाधा नहीं आई थी।

2.12 निष्कर्ष

बकाया की वसूली को बढ़ते हुए बकाया के बावजूद उचित महत्व नहीं दिया जा रहा है। बकाया की मॉनिटरिंग, प्रभावी उपाय करना जैसे शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध, मामलों को इकट्ठा करना और अपीलों को अंतिम रूप देने हेतु तुरंत कार्रवाई करना या सरकारी राजस्व को सुरक्षित रखने हेतु स्थगन को निष्प्रभावी करने के संबंध में बोर्ड के विस्तृत अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। विशेष संस्थानिक व्यवस्था, जैसे वसूली सैल और कार्यबल का गठन, के वसूली प्रक्रिया पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाला है। डिजिटल परिवेश के समय, बोर्ड बकाया की मॉनिटरिंग के लिए आईटी की क्षमता का लाभ उठाने में विफल रहा। बताए जाने के बावजूद विशिष्ट मामलों में कोई जवाबदेही निश्चित नहीं की जा रही है जो निवारक के रूप में काम कर सकती है।

अध्याय III

आन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

3.1 प्रस्तावना

आन्तरिक लेखापरीक्षा केंद्रीय उत्पाद शुल्क में स्व:निर्धारण के समय मुख्य अनुपालन सत्यापन तंत्रों में से एक है तथा यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 22 के तहत की जाती है। आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य में जोखिम पैरामीटरों के आधार पर निर्धारित यूनितों का चयन तथा लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार एकरूप, कुशल तथा व्यापक तरीके से निर्धारित के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल है। इस उद्देश्य हेतु, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क की लेखापरीक्षा के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक (सीईएएम), 2008 के रूप में विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं, जोकि लेखापरीक्षा करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं।

3.2 संगठनात्मक ढांचा

केंद्रीय उत्पाद शुल्क का पुनर्गठन अक्टूबर 2014 में किया गया था। पुनर्गठन से पूर्व, आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रत्येक कमिश्नरी में लेखापरीक्षा सैल करता था तथा इसकी अध्यक्षता अपर/संयुक्त कमिश्नर द्वारा की जाती थी।

पुनर्गठन के पश्चात, महानिदेशालय, लेखापरीक्षा (डीजी लेखापरीक्षा) के पर्यवेक्षण के तहत अलग लेखापरीक्षा कमिश्नरियों की रचना की गई थी। प्रत्येक लेखापरीक्षा कमिश्नरी को दो या तीन कार्यकारी कमिश्नरियों से जुड़े निर्धारितियों पर अधिकार प्रदान किए गए हैं।

महानिदेशालय, लेखापरीक्षा, सीमा एवं उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली (महानिदेशक की अध्यक्षता में) से अपर महानिदेशक की अध्यक्षता में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुंबई में इसकी सात जोनल यूनितों के साथ लेखापरीक्षा प्रणाली के कुशल तथा प्रभावी कार्यान्वयन (ईए 2000 कार्यप्रणाली के आधार पर) को सुनिश्चित करना अपेक्षित है तथा आवधिक

समीक्षा के माध्यम से लेखापरीक्षा तकनीकों तथा प्रक्रियाओं को विकसित करना एवं इनमें सुधार करना भी अपेक्षित है।

पुनर्गठित ढांचे में, लेखापरीक्षा कमिश्नरी में मुख्यालय जो कार्यकारी कमिश्नरी के समान है तथा अधीनस्थ कार्यालय नामतः सर्कल जो डिवीजनों के समान है, शामिल है। प्रत्येक सर्कल की अध्यक्षता उप/सहायक कमिश्नर करता है और इसमें लेखापरीक्षा समूह सम्मिलित है, यह रेंज कार्यालयों के समकक्ष है जहां अधीक्षक तथा निरीक्षक हों।

3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्न के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा कमिश्नरियों के अनुपालन की सीमा का सत्यापन करना था:-

- नियमावली/नियमपुस्तक/प्रतिमान/दिशानिर्देश और
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा उन पर परिशोधन कार्रवाई हेतु तंत्र।

3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोतों में निम्नलिखित अधिनियम, नियमपुस्तकों के प्रावधानों/दिशानिर्देशों तथा विभागों के परिपत्रों को शामिल किया गया है:-

- a) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 का नियम 22
- b) केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक, 2008
- c) गुणवत्ता आश्वासन समीक्षा हेतु नियमपुस्तक, 2007
- d) सीबीईसी द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएं, परिपत्र, अनुदेश, दिशानिर्देश आदि

3.5 कार्यक्षेत्र, कवरेज तथा लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

समस्त भारत में 124 कार्यकारी कमिश्नरियां तथा 45 लेखापरीक्षा कमिश्नरियां हैं जिनमें से कुल 15 लेखापरीक्षा कमिश्नरियों का लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया था।

हमने चयनित लेखापरीक्षा कमिशनरियों तथा कार्यकारी कमिशनरियों के पास उपलब्ध 2012-13 से 2014-15 की अवधि की निर्धारिती मास्टर फाइलों (एएमएफ), आंतरिक लेखापरीक्षा फाइलों (आईएएफ), लेखापरीक्षा योजना रजिस्टर (एपीआर) तथा लेखापरीक्षा फोलो-अप रजिस्टर (एएफआर) आदि की जांच की थी।

3.6 अभिलेखों को प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने 750 निर्धारिती मास्टर फाइलों की मांग की थी जिसके प्रति हमें 565 निर्धारिती मास्टर फाइलें प्राप्त हुई थी। हमने 1125 आंतरिक लेखापरीक्षा फाइलों की मांग की थी जिसमें से हमें 1039 आंतरिक लेखापरीक्षा फाइलें प्राप्त हुई थी। इसके अलावा, पांच कमिशनरियों²¹ में पूरी अवधि के एपीआर, एएफआर प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इन अभिलेखों के अभाव में, हम निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा अनुपालन की सीमा पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।

3.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने निर्धारिती मास्टर फाइलों, लेखापरीक्षा योजना रजिस्टर, लेखापरीक्षा फोलो-अप रजिस्टर आदि के गैर/अपूर्ण रख-रखाव के मामले देखे। इसके अलावा, नमूना आंतरिक लेखापरीक्षा फाइलों की संवीक्षा के दौरान, हमने डेस्क समीक्षा, लेखापरीक्षा योजना तथा सत्यापन रिपोर्ट के प्रलेखन की कमी देखी। अभ्युक्तियों पर अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.8 डेस्क समीक्षा तथा क्षेत्रीय लेखापरीक्षा का निष्पादन

3.8.1 निर्धारिती मास्टर फाइल

केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक (सीईएएम), 2008 के अध्याय 9 के अनुसार जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा हेतु प्रत्येक करदाता की प्रोफाइलिंग के लिए विस्तृत डाटा आधार की आवश्यकता होती है ताकि करदाता से

²¹ चेन्नई लेखापरीक्षा, कोचीन लेखापरीक्षा, हैदराबाद लेखापरीक्षा, भुवनेश्वर लेखापरीक्षा तथा कोलकाता लेखापरीक्षा ॥

संबंधित जोखिम कारकों को वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित किया जा सके तथा लेखापरीक्षा को तदनुसार नियोजित तथा कार्यान्वित किया जा सके। निर्धारितियों के विस्तृत डाटा आधार यूनिटों के चयन के साथ-साथ प्राथमिक डेस्क समीक्षा करने तथा लेखापरीक्षा के प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा है। सीईएएम, 2008 के अनुसार यह सूचना प्रत्येक निर्धारिती के लिए पृथक फाइल में एकत्र एवं सुरक्षित रखी जानी है, जिसे निर्धारिती मास्टर फाइल (एएमएफ) कहा जाता है। एएमएफ को कमिश्नरी में लेखापरीक्षा सैल द्वारा तैयार तथा अद्यतित किया जाता है। एएमएफ के डाटा प्रबंधन, अद्यतन तथा अनुरक्षण के लिए लेखापरीक्षा सैल उत्तरदायी होगा। इस फाइल को निरपवाद रूप से प्रत्येक निर्धारिती के लिए तैयार किया जाना चाहिए। यदि अगली लेखापरीक्षा करने से पूर्व किसी मामले में यह नहीं किया गया है, तब इसे तत्काल किया जाना चाहिए।

नियमपुस्तक के अनुबंध ए (पंजीकरण आवेदन, पिछले तीन वर्षों के रिटर्नों की प्रतियां, पिछले तीन वर्षों की लेखापरीक्षाओं की प्रति, लागत लेखापरीक्षा/कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरण) तथा अनुबंध बी (विनिर्मित तथा छूट प्राप्त माल के ब्यौरें, उत्पादन ब्यौरें, शुल्क भुगतान तथा पिछले तीन वर्षों में जारी एससीएन तथा अभियोग के ब्यौरें) में दर्शाए गए दस्तावेजों की सूची प्रत्येक एएमएफ में रखी जानी है। एएमएफ का अनुरक्षण हार्ड कॉपी के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी किया जाना है।

सीईआरए द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि जोखिम निर्धारण के लिए निर्धारितियों के अपेक्षित डाटाबेस का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, जोकि निम्नलिखित अभ्युक्तियों से स्पष्ट होता है।

- यद्यपि 14 कमिश्नरियों²² के अंतर्गत 62,993 पंजीकृत निर्धारिती थे, फिर भी 2012-13 से 2014-15 की अवधि हेतु केवल 11,184 निर्धारितियों (17.75 प्रतिशत) के लिए एएमएफ बनाए गए थे। पटना

²² बेंगलूर सीएक्स लेखापरीक्षा, (बेंगलूर, I,II,III), पुणे लेखापरीक्षा-I, कोलकाता लेखापरीक्षा-II, चंडीगढ़ लेखापरीक्षा, भोपाल लेखापरीक्षा I, भोपाल लेखापरीक्षा II(रायपुर), चेन्नई लेखापरीक्षा (चेन्नई I तथा III), कोचीन लेखापरीक्षा, अहमदाबाद लेखापरीक्षा-II, जयपुर लेखापरीक्षा, हैदराबाद लेखापरीक्षा, भुवनेश्वर लेखापरीक्षा, दिल्ली लेखापरीक्षा-I तथा लखनऊ लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा कमिश्नरी ने निर्धारितियों की कुल संख्या के बारे में सूचना नहीं दी थी।

- चयनित कमिश्नरियों में 565 एएमएफ के नमूनों में से 545 फाइलें पूर्ण नहीं थी तथा इनमें सीईएएम, 2008 के अनुबंध क/अनुबंध ख में उल्लिखित सभी दस्तावेज नहीं थे।
- नौ कमिश्नरियों²³ में, एएमएफ का अनुरक्षण/अद्यतन आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु यूनिटों के चयन के बाद ही किया गया था।
- सभी चयनित कमिश्नरियों में एएमएफ का इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रख-रखाव नहीं किया गया था जैसाकि सीईएएम, 2008 में निर्धारित किया गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016) तब मंत्रालय ने सभी मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2016) तथा नवनिर्मित लेखापरीक्षा कमिश्नरियों में उक्त हेतु मुख्य कारण श्रमबल की कमी को बताया। सभी कमिश्नरियों ने भावी अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया था। भुवनेश्वर लेखापरीक्षा कमिश्नरी ने आगे बताया कि लेखापरीक्षा कमिश्नरी की रचना के बाद जोखिम कारक की संगणना मुख्य रूप से डीजी, लेखापरीक्षा करता है तथा सभी लेखापरीक्षा कमिश्नरियों को उपलब्ध कराता है, जिन पर लेखापरीक्षा हेतु यूनिटों के चयन हेतु निर्भर किया जाता है।

लगभग सभी कमिश्नरियों द्वारा सभी निर्धारितियों के लिए एएमएफ के अनुरक्षण में व्यक्त की गई व्यावहारिक बाधाओं तथा निर्धारितियों के जोखिम स्कोर की संगणना में डीजी लेखापरीक्षा भी भूमिका के संबंध में भुवनेश्वर । कमिश्नरी की प्रतिक्रिया के मद्देनजर, मंत्रालय को कमिश्नरियों द्वारा निर्धारितियों की जोखिम प्रोफाइलिंग के लिए व्यावहारिक तरीका विकसित करना चाहिए जो स्थानीय जोखिम को कैप्चर करेगा तथा इसे डीजी लेखापरीक्षा द्वारा की गई केंद्रीकृत जोखिम स्कोरिंग के साथ उपयोग किया जा सकेगा।

²³ अहमदाबाद लेखापरीक्षा-II, जयपुर लेखापरीक्षा, चंडीगढ़ लेखापरीक्षा-II, हैदराबाद लेखापरीक्षा, भोपाल लेखापरीक्षा II, बेंगलोर सीएक्स लेखापरीक्षा, कोलकाता लेखापरीक्षा-II, पुणे लेखापरीक्षा-I तथा लखनऊ लेखापरीक्षा

3.8.2 कार्य पत्रों के साथ अपर्याप्त डेस्क समीक्षा/लेखापरीक्षा योजना/सत्यापन रिपोर्ट

सीईएएम के पैरा 10.4.1 के अनुसार डेस्क समीक्षा लेखापरीक्षा कार्यक्रम का पहला चरण है। इसका उद्देश्य यूनिट का दौरा करने से पूर्व निर्धारिती के बारे में यथा संभव अधिकाधिक जानकारी एकत्र करना है। डेस्क समीक्षा में, जांच की जाने वाली मुख्य मदों में निर्धारिती मास्टर फाइल, ट्रायल बैलेंस, वार्षिक वित्तीय विवरण (पीएण्डएल तथा तुलन पत्र), पिछली लेखापरीक्षा के परिणाम, छूटों की प्राप्ति, बिक्री कर, आय कर जैसे अन्य प्राधिकरणों के पास फाइल किए गए रिटर्न आदि शामिल हैं। डेस्क समीक्षा की तैयारी हेतु इस सूचना का विश्लेषण तथा उक्त के परिणामों को अनुमोदन हेतु उप/सहायक कमिश्नर (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सीईएएम, 2008 के पैरा 10.4.14 के अनुसार लेखापरीक्षा योजना में प्रत्येक निर्धारिती के संबंध में विस्तृत जांच के लिए चयनित मामलों का सटीक निरूपण शामिल होगा तथा इसे अपर कमिश्नर/संयुक्त कमिश्नर (लेखापरीक्षा) के अनुमोदन के बाद अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसे सीईएएम, 2008²⁴ के अनुबंध एच के फॉर्म में तैयार किया जाना है। लेखापरीक्षा पार्टी लेखापरीक्षा योजना में निर्दिष्ट बिंदुओं की जांच द्वारा सत्यापन (निर्धारिती के परिसर में) करती है तथा लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा योजना में लेखापरीक्षा जांच, प्रत्येक जांच में किए गए सत्यापन तथा लेखापरीक्षक की अभ्युक्तियों को संक्षिप्त में दर्शाते हुए "सत्यापन पत्र" तैयार करना चाहिए जैसाकि सीईएएम, 2008²⁵ के अनुबंध-1 में निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त तीन प्रक्रियाओं अर्थात् डेस्क समीक्षा, लेखापरीक्षा योजना तथा सत्यापन रिपोर्ट के अनुपालन मूल्यांकन करने के लिए लेखापरीक्षा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क की 15 लेखापरीक्षा कमिश्नरियों में 1039 निर्धारिती लेखापरीक्षा

²⁴ अनुबंध एच का प्रारूप है विषय, विशिष्ट मामला, स्रोत दस्तावेज, बैंक-अप दस्तावेज, कवरेज अवधि तथा चयन मानदंड

²⁵ अनुबंध आई का प्रारूप है सत्यापन की तिथि, मामले का सत्यापन करने वाले लेखापरीक्षक का नाम, संक्षिप्त में मामला, लेखापरीक्षा योजना की संदर्भ सं., सत्यापित दस्तावेज, सत्यापन की प्रक्रिया एवं सीमा का संक्षिप्त लेखा, लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति तथा निष्कर्ष संक्षिप्त में, राजस्व का प्रमाणन, यदि कोई है तथा निर्भर किए जाने वाले दस्तावेज

फाइलों की नमूना जांच की थी तथा नौ कमिश्नरियों²⁶ में 166 फाइलों में अपर्याप्त प्रलेखन पाया। अभ्युक्ति का सार निम्नानुसार है:

- डेस्क समीक्षा छह कमिश्नरियों²⁷ में 53 आंतरिक लेखापरीक्षा फाइलों में संलग्न नहीं पाई गई या खराब तरीके से तैयार की गई थी।
- लेखापरीक्षा योजना चार कमिश्नरियों²⁸ में 81 आंतरिक लेखापरीक्षा फाइलों में संलग्न नहीं पाई गई या सीईएएम, 2008 के अनुबंध एच के निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं की गई थी।
- सत्यापन रिपोर्ट आठ कमिश्नरियों²⁹ में 121 आंतरिक लेखापरीक्षा फाइलों में संलग्न नहीं पाई गई जैसाकि सीईएएम, 2008 के अनुबंध-I में अनिवार्य था।

कुछ महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां निम्नानुसार हैं:

- कोचीन लेखापरीक्षा कमिश्नरियों (कोचीन, कालीकट तथा त्रिवेंद्रम कार्यकारी कमिश्नरियों सहित) में हमने पाया कि नमूना जांच की गई 67 फाइलों में से 34 में कार्य पत्र तैयार नहीं किए गए थे। इन मामलों में, लेखापरीक्षा पार्टियों ने 'डेस्क समीक्षा' नामक शीर्षक से केवल एक टिप्पणी तैयार की थी जिसमें लेखापरीक्षा की तिथियों और लेखापरीक्षा के दौरान जांच हेतु प्रस्तावित सामान्य क्षेत्रों तथा कुछ मूल डाटा जैसे तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता, ईआर-1 रिटर्न आदि को इनके विश्लेषण के बिना ही दर्शाया गया था। चूंकि कार्य पत्र तैयार नहीं किए गए थे, अतः कोई साक्ष्य नहीं है कि विभिन्न वित्तीय विवरणों की उचित जांच, विभिन्न वित्तीय अनुपातों की गणना तथा ट्रेंड विश्लेषण किया गया था। इससे पता चला कि इन मामलों में कोई उचित डेस्क

²⁶ कोचीन लेखापरीक्षा, बेंगलोर सीएक्स लेखापरीक्षा, चंडीगढ़ लेखापरीक्षा, हैदराबाद लेखापरीक्षा, कोलकाता लेखापरीक्षा ॥, लखनऊ लेखापरीक्षा, पटना लेखापरीक्षा, पुणे लेखापरीक्षा । तथा जयपुर लेखापरीक्षा

²⁷ कोचीन लेखापरीक्षा, चंडीगढ़ लेखापरीक्षा, बेंगलोर सीएक्स लेखापरीक्षा, कोलकाता लेखापरीक्षा ॥, लखनऊ लेखापरीक्षा तथा जयपुर लेखापरीक्षा

²⁸ कोचीन लेखापरीक्षा, चंडीगढ़ लेखापरीक्षा, कोलकाता लेखापरीक्षा ॥, तथा पटना लेखापरीक्षा

²⁹ कोचीन लेखापरीक्षा, चंडीगढ़ लेखापरीक्षा, हैदराबाद लेखापरीक्षा, कोलकाता लेखापरीक्षा ॥, लखनऊ लेखापरीक्षा, पटना लेखापरीक्षा, पुणे लेखापरीक्षा । तथा जयपुर लेखापरीक्षा

समीक्षा नहीं की गई थी जिससे अच्छी गुणवत्ता की लेखापरीक्षा योजनाओं की तैयारी प्रभावित हुई।

- कोलकाता लेखापरीक्षा ॥ कमिश्नरी में हमने देखा कि नमूना जांच की गई 51 फाइलों में से 6 फाइलो में डेस्क समीक्षा के संक्षिप्त परिणाम उपलब्ध नहीं थे, एक फाइल में लेखापरीक्षा योजना उपलब्ध नहीं थी तथा 34 फाइलों में सत्यापन पत्र उपलब्ध नहीं थे।
- पटना लेखापरीक्षा कमिश्नरी (पटना, रांची । एवं ॥ तथा धनबाद कार्यकारी कमिश्नरी सहित) में, हमने देखा कि नमूना जांच की गई 75 फाइलों में से 45 में लेखापरीक्षा योजना नियमपुस्तक के अनुबंध एच के अनुसार नहीं थी।
- लखनऊ लेखापरीक्षा कमिश्नरी (आगरा, कानपुर, लखनऊ तथा इलाहाबाद कार्यकारी कमिश्नरियों सहित) में हमने देखा कि नमूना जांच की गई 75 फाइलों में से नौ फाइलों में डेस्क समीक्षा सलंगन नहीं पाई गई तथा 39 फाइलों में सत्यापन पत्र उपलब्ध नहीं थे।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016) तब मंत्रालय ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि (दिसम्बर 2016) आवश्यक परिशोधन उपाय उचित अवधि में कर लिए गए हैं/कर लिए जाएंगे।

3.8.3 आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों द्वारा पता न लगाई गई चूकें

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता न लगाई चूकों का बाद में भारत के सीएजी द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लेखापरीक्षा (सीईआरए) में पता चला

तीन लेखापरीक्षा कमिश्नरियों³⁰ में 7 मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा के बाद की गई सीईआरए लेखापरीक्षा में चूकों/अनियमितताओं का पता चला जिसमें ₹ 86.18 लाख का राजस्व शामिल है जिसका कमिश्नरी की आंतरिक लेखापरीक्षा में पता नहीं चला था। अभ्युक्तियां शुल्क के गैर/कम भुगतान, सेनवेट क्रेडिट की अनियमित रूप से प्राप्ति, ब्याज के कम भुगतान आदि से संबंधित है।

³⁰ भोपाल लेखापरीक्षा ॥, हैदराबाद लेखापरीक्षा तथा पटना लेखापरीक्षा

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2016) में छह मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा एक मामले में उत्तर नहीं दिया था।

खराब डेस्क समीक्षा तथा लेखापरीक्षा योजना से आंतरिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी। इसके अलावा, सत्यापन रिपोर्ट तथा कार्य पत्रों की अनुपलब्धता के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टी की उचित जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

3.9 आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की निगरानी

3.9.1 लेखापरीक्षा योजना रजिस्टर (एपीआर) का अनुरक्षण

सीईएएम 2008 के पैरा 12.3.1 के अनुसार लेखापरीक्षा योजना रजिस्टर³¹ का अनुरक्षण निर्धारित प्रारूप में किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने कि सुविधा देगा कि: (i) लेखापरीक्षा समूह को आबंटित की गई सभी यूनिटों की लेखापरीक्षा हो चुकी है; तथा (ii) जहां भी लेखापरीक्षा पूरी हो गई है, वहां लेखापरीक्षा रिपोर्टें समय पर जारी की गई हैं तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि यदि किसी यूनिट की लेखापरीक्षा नहीं हो सकी थी, तब उसको आगामी अवधि की सभी शामिल किया जा सकता है।

हमने नौ कमिश्नरियों³² में देखा कि एपीआर का रख-रखाव सीईएएम, 2008 के अनुसार नहीं किया गया था तथा लेखापरीक्षा सैल को आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (आईआर) की प्रस्तुति की तिथि, लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या तथा आईएआर जारी करने की तिथि जैसी प्रविष्टियां भरी नहीं गई थी। इसके परिणामस्वरूप, इन रजिस्ट्रों से मॉनीटर करना संभव नहीं था कि क्या लेखापरीक्षा रिपोर्टें समय पर जारी की गई थीं।

³¹ लेखापरीक्षा योजना रजिस्टर का प्रारूप क्रम सं., यूनिट का नाम, आईएपी सं., लेखापरीक्षा का प्रस्ताव माह, लेखापरीक्षा की वास्तविक तिथि, लेखापरीक्षा सैल को डीएआर की प्रस्तुति, लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं., जारी करने की तिथि आदि हैं।

³² दिल्ली लेखापरीक्षा-I, बेंगलूर लेखापरीक्षा I, जयपुर लेखापरीक्षा, चंडीगढ़ लेखापरीक्षा, लखनऊ लेखापरीक्षा, पटना लेखापरीक्षा, कोचीन लेखापरीक्षा, भोपाल-II, पुणे लेखापरीक्षा।

चेन्नई । तथा III कमिशनरियों में तीन वर्षों (अर्थात् 2012-13 से 2014-15) की योजना फाइलें/रजिस्टर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अतः रजिस्ट्रों के रख-रखाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016) तब मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि (दिसम्बर 2016) अब रजिस्ट्रों का रख-रखाव उचित रूप से नई लेखापरीक्षा नियमपुस्तक के अनुसार किया जा रहा है।

3.9.2 लेखापरीक्षा अनुसरण रजिस्टर का रख-रखाव

सीईएएम, 2008 के खण्ड 12.1.3 के अनुसार मॉनीटरिंग बैठक द्वारा चर्चा की गई लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ब्यौरे, बैठक में लिए गए निर्णय तथा अगली अनुवर्ती कार्रवाई को लेखापरीक्षा अनुसरण रजिस्टर³³ (नियमपुस्तक में दिए गए प्रारूप में अनुरक्षित) में दर्ज किया जाना चाहिए, जैसे ही लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुमोदित हो। प्रत्येक माह के सारांश लेखापरीक्षा सैल द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक अपर/संयुक्त कमिशनर (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

हमने नौ कमिशनरियों³⁴ में पाया कि लेखापरीक्षा अनुसरण रजिस्ट्रों में अधिकतर कॉलमों को भरा नहीं गया था।

‘लेखापरीक्षा अनुसरण रजिस्टर का मासिक सारांश’ चार कमिशनरियों³⁵ में तैयार/अपर संयुक्त कमिशनर (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था।

³³ लेखापरीक्षा अनुसरण रजिस्टर का प्रारूप है, एआर संख्या, निर्धारिती का नाम, रेंज तथा डिविजन, निर्धारिती की पंजीकरण संख्या, लेखापरीक्षा की अवधि, लेखापरीक्षा की तिथि, आईएपी सं., पैरा सं., क्या एमसीएम द्वारा स्वीकृत है, शामिल इयूटी, स्पॉट वूसली, एससीएन जारी करने से पूर्व स्पॉट वूसली के अन्यथा वूसली, डिविजन फाइल सं., एससीएन सं.; तथा तिथि, एससीएन में राशि, पैरा समापन के कारण तथा पैरा समापन की तिथि

³⁴ अहमदाबाद लेखापरीक्षा-II, चंडीगढ़ लेखापरीक्षा, लखनऊ लेखापरीक्षा, पटना लेखापरीक्षा, पुणे लेखापरीक्षा-I, दिल्ली लेखापरीक्षा-I, भोपाल II, हैदराबाद लेखापरीक्षा, चेन्नई लेखापरीक्षा।

³⁵ लखनऊ लेखापरीक्षा, पटना लेखापरीक्षा, दिल्ली लेखापरीक्षा I, पुणे लेखापरीक्षा-I

जब हमने इस बारे में बताया (अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016) तक मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि (दिसम्बर 2016) अब नई लेखापरीक्षा नियमपुस्तक के अनुसार रजिस्टर का अनुरक्षण किया जा रहा है।

3.9.3 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट (डीएआर) की प्रस्तुति

बोर्ड के परिपत्र दिनांक 16 फरवरी 2000³⁶ के साथ पठित पैरा 12.1.3 तथा पैरा 12.2.1 के अनुसार ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट को मॉनिटरिंग बैठक में विचार हेतु लेखापरीक्षा सैल को अनुलग्नकों सहित मानकीकृत प्रारूप (नियमपुस्तक का अनुबंध एन) में परिकल्पित समय सीमा अर्थात् निर्धारिती की यूनिट में लेखापरीक्षा शुरू करने के 20-25 दिनों के अंदर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। लेखापरीक्षक को जांच तथा पुनरीक्षा हेतु सभी अनुलग्नकों सहित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहायक कमिश्नर/उप कमिश्नर (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करनी चाहिए।

हमने आठ कमिश्नरियों³⁷ में देखा कि नमूना जांच की गई 497 फाइलों में से 122 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्टों के संबंध में तीन माह तक का विलंब हुआ था तथा 43 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्टों की प्रस्तुति में तीन माह से अधिक का विलम्ब हुआ था।

कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

- कोलकाता लेखापरीक्षा ॥ कमिश्नरी में मैसर्स यंग इंडिया प्रीसट्रेस प्रा. लि. के मामले में डीएआर 241 दिनों के विलंब से प्रस्तुत की गई थी।
- धनबाद कार्यकारी कमिश्नरी में मैसर्स बीसीसीएल के मामले में डीएआर 193 दिनों के विलंब से प्रस्तुत की गई थी।
- चंडीगढ़ लेखापरीक्षा कमिश्नरी में, मैसर्स अमृतसर क्राउन कॉप्स (पी) लि. के मामले में डीएआर 331 दिनों के विलंब से प्रस्तुत की गई थी।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया (दिसम्बर 2016) कि

³⁶ सं. 514/10/2000-सीएक्स

³⁷ दिल्ली लेखापरीक्षा I, बेंगलूर सीएक्स लेखापरीक्षा, लखनऊ लेखापरीक्षा, पटना लेखापरीक्षा, कोलकाता लेखापरीक्षा II, चंडीगढ़ लेखापरीक्षा, कोचीन लेखापरीक्षा तथा पुणे लेखापरीक्षा I।

ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रस्तुति में विलंब दस्तावेजों/उत्तरों की प्राप्ति में विलंब या निर्धारितियों के असहयोग के कारण हुआ था।

3.9.4 लेखापरीक्षा रिपोर्टों का मूल्यांकन

सीईएएम 2008 का खण्ड 12.2.4 प्रावधान करता है कि मॉनिटरिंग समिति बैठक (एमसीएम) प्रत्येक लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन भी करेगी। लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा कार्य पत्रों की स्कोरिंग कमिश्नर और अपर कमिश्नर/संयुक्त कमिश्नर (लेखापरीक्षा) को करनी चाहिए। मंत्रालय के परिपत्र सं. 514/10/2000-सीएक्स दिनांक 16 फरवरी 2000 के अनुदेशानुसार स्कोरिंग समिति को नियमपुस्तक के अनुबंध-ओ के अनुसार निष्पादित लेखापरीक्षा के मानदंड का मूल्यांकन करने के मद्देनजर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा कार्यपत्रों को स्कोर देना चाहिए।

हमने आठ कमिश्नरियों³⁸ में देखा कि कुल 580 आंतरिक लेखापरीक्षा फाइलों में से 434 फाइलों (74.83 प्रतिशत) में कोई स्कोरिंग नहीं की गई थी। तीन कमिश्नरियों³⁹ में जांच की गई किसी भी आंतरिक लेखापरीक्षा फाइल में कोई स्कोरिंग नहीं की गई थी।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016) तब मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि (दिसम्बर 2016) लेखापरीक्षा टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा रिपोर्टों की स्कोरिंग के अभाव में आंतरिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

3.9.5 अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देना तथा जारी करना

ईए 2000 के पैरा 12.2.3 के अनुसार एमसीएम के निर्णय के आधार पर ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट को लेखापरीक्षा सैल द्वारा एमसीएम की तिथि से पंद्रह दिनों के अंदर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

³⁸ जयपुर लेखापरीक्षा, बेंगलूर सीएक्स लेखापरीक्षा, चेन्नई लेखापरीक्षा-I, दिल्ली लेखापरीक्षा-I कोलकाता लेखापरीक्षा-II, लखनऊ लेखापरीक्षा, पटना लेखापरीक्षा तथा कोचीन लेखापरीक्षा

³⁹ दिल्ली लेखापरीक्षा I, जयपुर लेखापरीक्षा तथा कोलकाता लेखापरीक्षा II

हमने सभी चयनित कमिश्नरियों में देखा कि नमूना जांच की गई 1039 फाइलों में से 356 अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्टों के संबंध में तीन माह तक का विलंब हुआ था तथा 121 अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्टों को जारी करने में तीन माह से अधिक का विलंब हुआ था।

कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

- दिल्ली लेखापरीक्षा । कमिश्नरी में मैसर्स त्रिमूर्ति फ्रंगरेंस प्रा. लि. के मामले में यह विलंब 206 दिनों का था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 19 फाइलों में एमसीएम की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था तथा एक फाइल में जांच रिपोर्ट जारी करने की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था। दो फाइलों में जांच रिपोर्टें उपलब्ध नहीं थीं।
- कोलकाता लेखापरीक्षा ॥ कमिश्नरी में चयनित नमूनों में से किसी भी फाइल में एफएआर दर्ज नहीं पाए गए थे। एमसीएम में लिए गए निर्णयों के आधार पर किसी भी डीएआर को वास्तविक रूप में एफएआर में रूपांतरित नहीं पाया गया था।
- कोचीन लेखापरीक्षा । कमिश्नरी में मैसर्स केन्कोर इन्ग्रीडिएण्ट्स लि. के मामले में निर्धारिती की यूनिट पर लेखापरीक्षा के निष्कर्ष के पश्चात अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने में यह विलंब 589 दिनों का था।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा बताया (दिसम्बर 2016) कि ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में विलंब निर्धारितियों द्वारा स्वीकार की गई अभ्युक्तियों या एमसीएम समितियों में उठाए प्रश्नों के अनुपालन से संबंधित वसूली के विवरणों की कमी के कारण था।

लेखापरीक्षा योजना तथा फोलों-अप रजिस्ट्रों के अनुचित रख-रखाव का आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया पर प्रभाव पूर्ण निगरानी रखने पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, निर्धारिती को एफएआर जारी करने में सामयिकता का अनुरक्षण न करना विभाग की अच्छी छवि नहीं दर्शाता।

3.10 विविध मुद्दे

3.10.1 कम्प्यूटर एसिस्टेड लेखापरीक्षा कार्यक्रम (सीएएपी) के तहत आने वाली इकाइयों की लेखापरीक्षा

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा कर बोर्ड ने विभाग में “ई-शासन” शुरू करने के लिए गत समय में कई कदम उठाए हैं। कम्प्यूटर एसिस्टेड लेखापरीक्षा कार्यक्रम (सीएएपी) एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो ईए-2000 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित के इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय अभिलेखों के लेखापरीक्षा सत्यापन करने के लिए बनाया गया था। कम्प्यूटर एसिस्टेड लेखापरीक्षाओं (सीएए) में उन व्यवसाय (निजी) अभिलेखों की जांच तथा विश्लेषण शामिल है जिनका इलेक्ट्रॉनिक रूप से रख-रखाव किया गया है। डीजीआईसीसीई द्वारा डीओएफ सं. 503/32/2007/पीटी-॥ दिनांक 5 जुलाई 2012 द्वारा परिपत्रित परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेजों (आरएफडी) में प्रावधान है कि सभी अनिवार्य यूनिटों की सीएएपी के माध्यम से लेखापरीक्षा की जानी है।

हमने जयपुर लेखापरीक्षा कमिश्नरी में देखा कि कुल 464 अनिवार्य यूनिटों में से केंद्रीय उत्पाद शुल्क की कुल 21 यूनिटों की वर्ष 2014-15 के दौरान सीएएपी के तहत लेखापरीक्षा की गई थी।

जब हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2015) तब मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि अधिकारियों के लिए सीएएपी प्रशिक्षण का नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है।

3.10.2 मासिक निष्पादन रिपोर्ट (एमपीआर) में आंकड़ों/सूचना का गलत वर्णन

हमने दिसम्बर 2014 तथा जनवरी 2015 माह के लिए दिल्ली लेखापरीक्षा-कमिश्नरी के एमपीआर में निम्नलिखित विसंगतियां देखी थी:-

- दिसम्बर 2014 में एमपीआर के अनुबंध 7 में पैरा के अंत शेष की राशि ₹ 92.58 करोड़ की बजाय ₹ 94.56 करोड़ दर्शाई गई थी।
- दिसम्बर 2014 के एमपीआर के अनुबंध 7 (पैरा बी) में तीन पैराओं के सही आंकड़े जो ₹ 1.77 लाख बनता है, की बजाय अंत शेष में शून्य पैरा दर्शाया गया था।

- जनवरी 2015 के एमपीआर के अनुबंध 7(पैरा बी) में तीन पैराओं के सही आंकड़े, जो ₹ 2.83 करोड़ बनता है, की बजाय अंत शेष में शून्य पैरा दर्शाए गए थे।

जब हमने इस बारे में बताया (नवम्बर 2015) तथा मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (दिसम्बर 2016) कि देखी गई विसंगतियों का परिशोधन कर दिया गया है तथा वास्तविक आंकड़े निर्धारित रिपोर्टों में दर्शाए जा रहे हैं। असावधानीवश हुई त्रुटि के लिए क्षमाप्रार्थी हैं।

3.11 निष्कर्ष

जोखिम आधारित लेखापरीक्षा अधिकतर मामलों में निर्धारित मास्टर फाइलों के गैर/अपूर्ण रख-रखाव के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। खराब डेस्क समीक्षा, लेखापरीक्षा योजना तथा सत्यापन रिपोर्टों के गैर प्रलेखन से आईएपी द्वारा किए गए कार्य पर संदेह उत्पन्न होता है।

आगे, ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट बहुत अधिक विलम्ब के बाद निर्धारित की गई और समय सीमा की कोई निगरानी नहीं की जा रही। एक विंग द्वारा अभिलेखों का खराब रखरखाव जो कि अनुपालन सत्यापन तंत्र की रीढ़ है, विभाग के खराब कार्यान्वयन को दर्शाती है।

अध्याय IV

नियमों एवं विनियमों का गैर-अनुपालन

4.1 प्रस्तावना

हमने अभिलेखों की परीक्षण जाँच में, सेनवेट क्रेडिट के गलत लाभ उठाने/ उपयोग के 35 मामले, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के गैर/ कम भुगतान और ब्याज के गैर भुगतान के ₹ 73.99 करोड़ के राजस्व वाले 35 मामले देखें। 6 मामले नीचे दर्शाये गए हैं और 29 मामले परिशिष्ट II में सूचीबद्ध हैं।

4.2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क का गैर/ कम भुगतान

हमने 15 मामले देखे जहाँ शुल्क का भुगतान नहीं किया गया/कम किया गया था। मंत्रालय/विभाग ने सभी मामलों में अवलोकन को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ/की। 2 मामले नीचे दर्शाये गए हैं। शेष 13 मामलों का विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है।

4.2.1 बेची गई/ हटाई गई/ रद्दी परिसम्पत्तियों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का गैर- भुगतान

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 (सीसीआर) के नियम 3 (5ए) के अनुसार, यदि पूँजीगत माल कम्प्यूटर और कम्प्यूटर से जुड़ी चीजों के अलावा जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, उपयोग के बाद हटाया जाता है, आऊटपुट सेवाओं का निर्माता या प्रदाता, प्रतिशत बिन्दू से घटा हुआ, स्ट्रेट लाइन पद्धति द्वारा गणित प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के 2.5 प्रतिशत की दर पर, सेनवेट क्रेडिट लेने की तिथि से उक्त पूँजीगत माल पर लिये गये सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा। यदि गणना की गई राशि संव्यवहार मूल्य पर करारोपित शुल्क से कम होगी तो भुगतेय राशि संव्यवहार मूल्य पर करारोपित राशि बराबर होगी। आगे, सीसीआर के नियम 3(5बी) के अनुसार, उपयोग से पूर्व इनपुट या पूँजीगत माल जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, लेखा बही में पूर्ण या आंशिक रूप से खारिज किये गए हैं या जहाँ पूर्ण या आंशिक रूप से खारिज किये जाने का प्रावधान है, तब निर्माता या सेवा

प्रदाता, जैसी भी स्थिति हो, उक्त इनपुट या पूँजीगत माल के संबंध में लिए गए सेनवेट क्रेडिट के समतुल्य राशि का भुगतान करेगा।

एलटीयू कमिश्नरी में मेसर्स बजाज ऑटो लि., केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 1985 के अध्याय शीर्ष 87 के तहत दो और तीन पहिया के निर्माता हैं। वित्तीय अधिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि बेची गई, नष्ट की गई, हटाई गई और रद्दी परिसम्पत्तियों की ओर 2010-12 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान, निर्धारिती ने अपने लाभ एवं हानि लेखे में ₹ 20.12 करोड़ ₹ 7.49 करोड़ और ₹ 7.04 करोड़ क्रमानुसार नामे किए।

तथापि, यह साबित करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं रखे गए कि क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क यदि कोई है को, पूर्वोक्त प्रावधानों को देखते हुए इन परिसम्पत्तियों में शामिल निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया है। जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2013), विभाग ने (दिसम्बर 2015 और मार्च 2016) आपत्ति को स्वीकार करने के दौरान कहा कि 2010-11 से 2013-14 की अवधि वाला ₹ 47.24 लाख की राशि का एससीएन, और 2014-15 की अवधि के लिए ₹ 44.01 लाख की राशि का आवधिक एससीएन निर्धारिती को जारी किया गया है।

4.2.2 सहयोगी इकाई को बेचे गए माल पर शुल्क का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल के निर्धारण) नियमावली, 2000 के नियम 9 के परंतुक के साथ पठित नियम 8 गौर करता है कि जहाँ उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा बेचा नहीं जाता किंतु इसके इसके द्वारा खपत किया जाता है या अन्य सामग्री के निर्माता में निर्धारिती संबंधित व्यक्ति, ऐसे माल का निर्धारण योग्य मूल्य ऐसे माल के उत्पादन या निर्माण की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा। विलम्बित भुगतान, यदि कोई हो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के अनुसार ब्याज भुगतेय है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुम्बई-1 कमिश्नरी में मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. की महल रिफाइनरी सीईटीए 1985 के अध्याय 27 के तहत आने वालेमाल के निर्माण में कार्यरत है। 2010-11 से 2012-13 की अवधि के

दौरान अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि निर्धारिती ने ₹ 2,640.32 करोड़ की राशि का बेस ऑयल इसकी सहयोगी इकाई जो कि ल्यूब प्लॉट बडीबंडर है को हस्तांतरित कर दिया। तथापि, निर्धारिती द्वारा उत्पादन की लागत निर्धारित करने के लिए कोई भी लागत निर्धारण रिकॉर्ड नहीं रखे गए थे। निर्धारिती को सीएस-4 के अनुसार उत्पादन लागत का निर्धारण करना था और तदनुसार विभेदक शुल्क का भुगतान करना था। इस प्रकार, संबंधित इकाई को निकासी पर सही निर्धारणीय मूल्य का गैर-अंगीकरण के परिणामस्वरूप शुल्क का कम भुगतान हुआ जिसे ब्याज के साथ वसूला जाना था।

जब हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2013) विभाग ने सूचित किया (मार्च 2016) कि 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए ₹ 5.07 करोड़ के ब्याज के साथ ₹ 20.16 करोड़ के शुल्क की माँग करते हुए एससीएन जारी किया गया।

4.3 सेनवेट क्रेडिट

हमने निर्धारिती द्वारा सेनवेट क्रेडिट के गलत लाभ उठाने/ उपयोग के 17 मामले देखे। 3 मामले निम्न पैराग्राफ में दर्शाए गए हैं। शेष 14 मामलों का परिशिष्ट II में विवरण दिया गया है।

4.3.1 छूट प्राप्त इनपुट पर क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

अधिसूचना सं. 4/2006 सीई दिनांक मार्च 2006 जैसा कि संशोधित है के साथ पठित, केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के टैरिफ मद 26.01 के अनुसार, लौह अयस्क पर शून्य शुल्क दर आरोपित है और अधिसूचना सं. 13/2001 के अनुसार, लौह अयस्क एवं लोह अयस्क कान्सेन्ट्रेट एकीकृत स्टील प्लॉट के लिए समान है। अधिकरण ने यह भी माना कि खानो से लौह अयस्क की माइनिंग खानो से और तब क्रशिंग, ग्राइडिंग आदि की प्रक्रिया के अधीन विदेशी सामग्री और कान्सेन्ट्रेट को हटाने के लिए, के परिणामस्वरूप किसी भी वाणिज्यिक वस्तु का निर्माण नहीं होता। इस कारण से, लौह अयस्क कान्सेन्ट्रेट पर कोई केंद्रीय उत्पाद शुल्क आरोपित नहीं होता है।

आगे दिनांक 14 जनवरी 2011 परिपत्रसं. 940/01/2011 के अनुसार, बिना शर्त रूप से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त माल के संबंध में निर्माता शुल्क के भुगतान का चयन नहीं कर सकते और वे इनपुट पर प्रदत्त शुल्क के सेनवेट क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकते।

जमशेदपुर कमिश्नरी के तहत मेसर्स शाह स्पंज एंड पावर लि और मेसर्स कोहिनूर स्टील प्राइवेट लि. ने 2011-12 और 2012-13 के दौरान लौह अयस्क पेलेट पर ₹ 3.71 करोड़ (₹ 42.48 लाख और ₹ 3.28 करोड़ क्रमानुसार) पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया और उपयोग किया। चूँकि लौह अयस्क पेलेट पर कोई केंद्रीय उत्पाद शुल्क आरोपित नहीं था, सेनवेट क्रेडिट की उपयोगिता अनियमित थी और निर्धारिती से ब्याज और दंड के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2013), विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2015) कि अप्रैल 2010 से जनवरी 2015 तक कि अवधि के लिए ₹ 11.15 करोड़ की राशि का एससीएन मेसर्स कोहिनूर स्टील प्राइवेट लि. जमशेदपुर को जारी किया गया था जबकि मेसर्स शाह स्पंज एंड पावर लि. को अन्य एससीएन जारी करना प्रक्रियाधीन था।

4.3.2 सेस के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित उपयोगिता

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(7)(बी), जैसा कि दिनांक 30 अप्रैल 2015 अधिसूचना सं. 12/20152 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन-टी) में संशोधित किया गया है, निर्धारित करता है कि मार्च 2015 के पहले दिन या उसके बाद शिक्षा उपकर का क्रेडिट और इनपुट पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, पूँजी अंतिम उत्पाद के निर्माण के कारखाने में प्राप्त माल या इनपुट सेवाएँ का उपयोग केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में किया जा सकता है। अधिसूचना, उक्त तिथि से पूर्व लिये गए और उक्त दिनांक को उपलब्ध क्रेडिट के उपयोग की अनुमति नहीं देता।

बैंगलुरु-1 कमिश्नरी में मेसर्स बॉश ऑटोमोटिव इलैक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लि. बैंगलुरु केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 85 और 90 के तहत इलैक्ट्रिक और इलैक्ट्रिकल उपकरणों के

निर्माण में कार्यरत है। निर्धारिती के पास 1 मार्च 2015 तक शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के सेनवेट क्रेडिट के ₹ 104.71 लाख का अनुपयोगित शेष था, जिसे उक्त दिनांक से पूर्व लिया गया था। निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट नियमों के उल्लंघन में जून 2015 से अगस्त 2015 तक की अवधि के दौरान शुल्क के भुगतान के लिए उक्त क्रेडिट का उपयोग किया।

जब हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2015) कमिश्नरी ने कहा (अप्रैल 2016) कि निर्धारिती ने ₹ 104.71 लाख के सेनवेट क्रेडिट को लौटा दिया और लेखापरीक्षा अवलोकन के आधार पर ₹ 6.49 लाख के ब्याज का (दिसम्बर 2015) भुगतान किया।

4.3.3 नष्ट इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(के)(i) के अनुसार, इनपुट का अर्थ है अंतिम उत्पादों के निर्माण के संबंध में प्रयुक्त सभी माल चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और चाहे अंतिम उत्पाद में निहित हो या नहीं। आगे, उक्त नियमावली के नियम 3(5बी) (i) के अनुसार, यदि किसी की इनपुट का मूल्य जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, पूरी तरह खारिज किया गया है या जहाँ लेखा बही में पूर्ण रूप से खारिज किये जाने के लिए कोई प्रावधान किया गया है, तो निर्माता उक्त इनपुट के संबंध में लिए गए सेनवेट क्रेडिट की समतुल्य राशि का भुगतान करेगा।

विशाखापट्टनम कमिश्नरी में मेसर्स बेरी एलॉए लि. बोबिली, जो सीईटीए-1985 के अध्याय 72 के तहत सिलिकॉन मँगनीज़ के निर्माण में कार्यरत है, के वर्ष 2014-15 के लिए लाभ एवं हानि लेखे से यह देखा गया कि ₹ 227.31 लाख की कच्ची सामग्री इनपुट चक्रवात में नष्ट हो गई थी। तथापि, बीमा दावा की प्राप्ति के बाद भी इन इनपुटों पर लिये गये सेनवेट क्रेडिट को निर्धारिती ने वापस नहीं किया। पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार, निर्धारिती को इनपुट जो कि नष्ट को गए थे पर लिये गए ₹ 28.10 लाख के सेनवेट क्रेडिट को लौटाने की आवश्यकता थी।

जब हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2015) कमिश्नरी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया था और आवश्यक

दस्तावेजों की माँग की गई थी, ताकि नष्ट हुई बताई गयी कच्ची सामग्री के मूल्य का पता लगाया जाये।

4.4 ब्याज का गैर/कम भुगतान

हमने निर्धारितियों द्वारा ब्याज के गैर-भुगतान के तीन मामले देखे। एक मामला नीचे दर्शाया गया है। शेष 2 मामलों का विवरण परिशिष्ट-11 में दिया गया है।

4.4.1 शुल्क के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज का गैर-भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 8 के अनुसार, किसी माह के दौरान फैक्ट्री से हटाये गये माल पर शुल्क अगले महीने की 6 तारीख तक भुगतेय होगा और मार्च के दौरान हटाये गये माल पर शुल्क 31 मार्च तक भुगतेय होगा। आगे, नियम के नियम 8ए(3) अनुबंध करता है कि यदि नियत तारीख तक निर्धारित शुल्क की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो, उसे बकाया राशि के वास्तविक भुगतान तक नियत तारीख के बाद पहले दिन से आरंभ अवधि के लिए बकाया राशि पर अधिनियम की धारा 11ए के तहत जारी अधिसूचना में केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर बकाया राशि का भुगतान ब्याज के साथ करना होगा।

बेलापुर कमिश्नरी में, मेसर्स रेक्सम एचटीडब्ल्यू बेवरेज कैन (इंडिया) लि. ने मई 2014 के महीने में पूँजीगत माल का निपटान किया और मंजूरी दी जिस पर ₹ 4.21 करोड़ का केंद्रीय उत्पाद शुल्क भुगतेय था। तथापि, अभिलेखों के सत्यापन ने दर्शाया कि पूँजीगत माल (मई 2014) के निपटान के दौरान निर्धारित ने केवल ₹ 1.14 करोड़ का भुगतान किया था और ₹ 2.80 करोड़ के शेष विभेदक शुल्क को सेनवेट रजिस्टर (दिसम्बर 2014) में नामे किया। इसके परिणामस्वरूप शुल्क का विलम्बित भुगतान हुआ जिस पर ₹ 27.85 लाख के ब्याज की वसूली की जानी थी।

जब हमने इसे इंगित किया (मार्च 2015), विभाग ने पैरा स्वीकार (जून 2015) किया और कहा कि निर्धारित ने मार्च 2015 में ₹ 27.85 लाख के ब्याज का भुगतान किया था।

अध्याय V

आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

5.1 आन्तरिक नियंत्रण

आन्तरिक नियंत्रण एक एकीकृत प्रक्रिया है जो एक इकाई के प्रबंधन और कर्मियों से प्रभावित होती है और जोखिमों से निपटने के लिए तैयार की जाती है और इकाई के उद्देश्य को प्राप्त करने में यथोचित आश्वासन प्रदान करती है, अग्रलिखित सामान्य उद्देश्य प्राप्त किये गये हैं:

- सुव्यवस्थित, नैतिक, आर्थिक, कुशल और प्रभावी प्रचालन कार्यान्वित करना;
- जवाबदेही दायित्वों का पूरा करना;
- लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन;
- हानि, दुरुपयोग और नुकसान के प्रति संसाधनों की सुरक्षा।

5.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग दो कार्यों द्वारा आन्तरिक नियंत्रण लगाता है जो कि विवरणियों की संवीक्षा और आन्तरिक लेखापरीक्षा। हमने अभिलेखों की परीक्षण जाँच में, 104.68 करोड़ के राजस्व अनुमान के आन्तरिक नियंत्रण की निष्फलता के 56 मामले पाये जो कि नीचे दर्शाये गये हैं।

5.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा का गैर-संचालन

हमने 9 मामले देखे, जहाँ आन्तरिक लेखापरीक्षा शेष थी किंतु विभाग द्वारा नहीं की गई थी, जो कि नीचे दर्शाए गए हैं।

5.3.1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान

5.3.1.1 कम मूल्यांकन के कारण शुल्क का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (मूल्यांकन) नियमावली, 2000 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(1) (बी) के अनुसार, जहाँ उत्पाद

शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा हटाये जाने के समय एवं स्थान पर बेचा नहीं जाता बल्कि एक परेषण एजेंट के डिपो, परिसर या किसी अन्य स्थान या परिसरों (इसके बाद से 'ऐसा अन्य स्थान') कहा जायेगा को हस्तांतरित किया जाता है जहाँ से उत्पाद शुल्क योग्य माल को उनके हटाये जाने के साथ से उनकी निकासी के बाद बेचा जाता है जहाँ उक्त माल के निर्धारिती एवं खरीदार संबंधित नहीं है तथा बिक्री के लिए एकमात्र कारण मूल्य है, ऐसे अन्य स्थान अथवा लगभग वही समय पर और जहाँ ऐसे माल को उसी स्थान या लगभग उसी समय पर, आंकलन के तहत माल का हटाने के समय के करीब मूल्य ऐसे माल का सामान्य संव्यवहार मूल्य होगा।

कोचीन कमिश्नरी के तहत मेसर्स एस्कवायर मल्टीप्लास्ट प्राइवेट लि. फैक्ट्री गेट के साथ-साथ उनके डिपो द्वारा प्लास्टिक फर्नीचर, खिलौने, संप्रेषण की सामग्री के निर्माण और बेचे गए प्लास्टिक के माल की पैकिंग में कार्यरत है। निर्धारिती डिपो से सहित सभी निर्गमों के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क का फैक्ट्री से जारी बीजकों के अनुसार मूल्य के आधार पर भुगतान कर रहा था। डिपो को हस्तांतरित माल उच्च मूल्य पर बेच गया था और औसत डिपो मूल्य फैक्ट्री से बिक्री के लिए बीजक मूल्य से 8.47 प्रतिशत से अधिक थे। वर्ष 2012-13 के लिए तुलन पत्र के अनुसार, डिपो की निकासी का मूल्य ₹ 16.67 करोड़ था और डिपो से निकासी किए गए माल का मूल्य ₹ 18.08 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप माल का कम मूल्यांकन और ₹ 17.45 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

हालाँकि निर्धारिती आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए द्विवर्षीय श्रेणी में आता है, दिसम्बर 2011 से कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

जब हमने इसे इंगित किया (मार्च 2014), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (सितम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 3.62 लाख के ब्याज के साथ ₹ 18.87 लाख की राशि जमा कराई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किये जाने पर, इसने कहा की श्रम शक्ति बाधाओं के कारण लेखापरीक्षा नहीं की गई।

5.3.1.2 उत्पाद शुल्क का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2002 का नियम 8 कहता है कि मार्च के महीने को छोड़कर जब शुल्क 31 मार्च तक भुगतेय होता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क मासिक आधार पर अनुवर्ती महीने की 5वें दिन (इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ई-भुगतान के मामले में अनुवर्ती महीने की 6वें दिन) भुगतान किया जाना चाहिए। आगे, अधिसूचना सं. 19/2014-सीई(एनटी) दिनांक 11 जुलाई 2014 में संशोधित उपरोक्त उल्लिखित नियम के नियम 8(3ए) के अनुसार, यदि प्रतिगम में नियत तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर निर्धारिती भुगतेय के तौर पर घोषित शुल्क का भुगतान करने में असफल होता है, तो वह अवधि जिसके दौरान निष्फलता निरंतर रहती है के लिए नियत तारीख से गणित प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए प्रदत्त नहीं शुल्क के राशि पर एक प्रतिशत की दर पर दण्ड का भुगतान करने के लिए देय होता है।

देहरादून कमिश्नरी के तहत मेसर्स ट्रेडिंग इंजीनियर (अंतर्राष्ट्रीय) लि. ईकाई-II, लाकेश्वरी, रुढ़की के ईआर-1 विवरणियों के साथ अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया (मई 2016) कि मार्च 2016 के महीने के दौरान, निर्धारिती ने ₹ 11.01 करोड़ की निर्धारणीय मूल्य के तैयार माल की निकासी की जिस पर ₹ 1.38 करोड़ का केंद्रीय उत्पाद शुल्क भुगतेय था। मार्च 2016 के महीने के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती ने केवल ₹ 34.55 लाख के उत्पाद शुल्क का भुगतान किया। इस प्रकार, निर्धारिती ने ₹ 1.03 करोड़ की सीमा तक उत्पाद शुल्क का कम भुगतान किया।

हालाँकि इस इकाई को अनिवार्य रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा में शामिल करना था, विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा नहीं की।

जब हमने इसे इंगित किया (मई 2016), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2016) कि ₹ 2.08 लाख के ब्याज और ₹ 2.06 लाख के दण्ड के साथ निर्धारिती ने ₹ 1.03 करोड़ के उत्पाद शुल्क को जमा कराया था। आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं करने पर इसने कहा कि नवम्बर 2014 तक इकाई की लेखापरीक्षा की गई थी और नवम्बर 2016 में अगली लेखापरीक्षा के लिए चयनित की गई थी।

5.3.2 सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

5.3.2.1 इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(के) के अनुसार “इनपुट” का अर्थ अंतिम उत्पाद के निर्माता द्वारा फैक्ट्री में प्रयुक्त सभी माल है। नियम का उप-नियम (के) “अंतिम उत्पादों” को इनपुट या इनपुट सेवा कर प्रयोग करते हुए निर्मित या उत्पादित उत्पाद शुल्क योग्य माल के तौर पर परिभषित करता है। आगे सेनवेट क्रेडिट नियम का नियम 3(1) अंतिम उत्पाद के एक निर्माता को इनपुट पर प्रदत्त विनिर्दिष्ट शुल्कों का क्रेडिट लेने के लिए अनुमत करता है।

मेसर्स बारामती एगो लि. पूने III कमिश्नरी में, उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद जैसे कि सीईटीए 1985 के शीर्ष 17 और 23 के अध्याय के तहत चीन, मोलेसिस और डिनेचर्ड इथाइल एलकोहॉल और गैर उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद जैसे कि रेक्टिफाइड स्प्रिट, एकस्ट्रा न्यूट्रल एलकोहोल (अन-डिनेचर्ड इथाइल एलकोहोल और अन-डिनेचर्ड स्प्रिट्स) दोनों उत्पादों का निर्माण होता है। अभिलेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि निर्धारिती ने कैप्टिवली कन्ज्यूम्ड मोलेसिस और बाहरी दलों से खरीदी गई मोलेसिस दोनों से गैर उत्पाद शुल्क योग्य माल का निर्माण किया।

आगे संवीक्षा ने दर्शाया कि निर्धारिती ने बाहरी दलों से खरीदे गए मोलेसिस पर प्रदत्त शुल्क पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया चूँकि मोलेसिस गैर उत्पाद शुल्क योग्य माल के निर्माण के लिए प्रयुक्त हुए थे, उपरोक्त प्रावधानों को देखते हुए खरीदे गए मोलोसिस पर सेनवेट क्रेडिट का उपयोग उचित नहीं था।

आगे, उक्त कमिश्नरी के रेंज V (वालचंद नगर) के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 14.95 करोड का एससीएन, इस आधार पर कि गैर उत्पाद शुल्क योग्य जैसे कि रेक्टिफाइड स्प्रिट, एकस्ट्रा न्यूट्रल एलकोहॉल के निर्माण के लिए मोलोसिस का प्रयोग किया गया था, कैप्टिवली खर्च किए गए मोलेसिस पर अधिसचना के तहत छूट को मना करने के लिए शुल्क के भुगतान के लिए नवम्बर 2009 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए, दिसम्बर 2014 तक की अवधि के लिए, दिसम्बर 2014 में निर्धारिती

को जारी किया गया था। यह भी देखा गया था ईकाई लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य इकाई है, यह 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2015) मंत्रालय ने अवलोकन का विरोध किया और कहा (दिसम्बर 2016) कि समान मामले सेसटेट और कर्नाटक उच्च न्यायालय में निर्धारित किए गए हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किये जाने पर इसने कहा कि समय बाधाओं के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा पूर्ण नहीं की जा सकी।

यदि कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय मंत्रालय द्वारा स्वीकार होता है, तो समान अनुपालन के लिए सभी फील्ड फॉर्मेशनों को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

5.3.2.2 इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का अनयमित लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 2(1) के अनुसार, 'इनपुट सेवाओं' की परिभाषा के दायरे से निम्न सेवाओं को हटाया गया है:

- (i) कार्य संविदा और निर्माण सेवाओं के निष्पादन में सेवा भाग में, वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 66ई के खंड(बी) के तहत सूचीबद्ध सेवा सहित, पूँजीगत माल के समर्थन के लिए जहाँ तक वे एक बिल्डिंग की कार्य संविदा के निर्माण या निष्पादन या एक सिविल ढाँचा या उसका एक भाग या आधार रखना या ढाँचे के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं।
- (ii) एक मोटर वाहन को किराये पर देने द्वारा प्रदान सेवा, जहाँ तक कि मोटर वाहन से संबंधित है जो कि एक पूँजी माल नहीं है।
- (iii) सामान्य बीमा व्यापार की सेवा, सर्विसिंग, मरम्मत एवं रखरखाव, जहाँ तक कि वे एक मोटर वाहन से संबंधित हो जो कि एक पूँजीमाल नहीं है, और
- (iv) जैसा कि आउटडोर केरटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएँ, कॉस्मेटिक्स और प्लास्टिक सर्जरी, एक क्लब की सदस्यता, स्वास्थ्य एवं फिटनेस केन्द्र, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा कर्मचारियों को

दिए गए यात्रा लाभ, जब ऐसी सेवाएँ प्राथमिक तौर पर व्यक्तिगत उपयोग या एक कर्मचारी के उपयोग के लिए प्रयुक्त होती हैं।

पटना कमिश्नरी में, मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.) रिफाइनरी डिवीज़न की लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया (मार्च 2016) की निर्धारिती ने सिविल कार्यों जो कि हैं बैरिकेडिंग, कमरों का निर्माण, कैन्टीन का नवीनीकरण के लिए प्रदत्त सेवा कर पर 2014-15 के दौरान ₹ 23.35 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया और उपयोग किया। प्रशासनिक बिल्डिंग एवं शौचालय, मरम्मत एवं रखरखाव, पेंटिंग कार्यों एवं बगीचे का रखरखाव आदि। चूँकी ये सभी सेवाएं इनपुट सेवा की परिभाषा के तहत नहीं आती, इन सेवाओं पर प्रदत्त सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट, स्वीकार्य नहीं था।

यद्यपि मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. बरौनी एक अनिवार्य इकाई थी, कमिश्नरी की आंतरिक लेखापरीक्षा ने 2014-15 अवधि के लिए लेखापरीक्षा नहीं की।

जब हमने इसे इंगित किया (मार्च 2016), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि ₹ 23.59 लाख के एससीएन जारी किए गए थे। आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किए जाने पर, इसने कहा कि लेखापरीक्षा कमिश्नरी पटना ने 2014-15 की अवधि को कवर करते हुए 2016 में इकाई की लेखापरीक्षा करने की योजना थी।

5.3.2.3 अनुचित दस्तावेजों पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियमावली 9 से साथ पठित नियम 3(1) शर्तें एवं दस्तावेज निर्धारित करता है, जिस पर अंतिम उत्पाद का निर्माता या उत्पादक या आउटपुट सेवाओं का प्रदाता को उसके तहत अंतिम उत्पाद के निर्माता के कारखाने में प्राप्त पूँजी माल या किसी भी इनपुट पर प्रदत्त या आउटपुट सेवा के प्रदाता के परिसर में विनिर्दिष्ट शुल्कों का क्रेडिट लेने के लिए अनुमत होगा।

मेसर्स कॉरटेक इंटरनेशनल (पी.) लि. अहमदाबाद सेवा कर कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले एक सेवा प्रदाता ने जैसा कि सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 में विनिर्दिष्ट है, बिना दस्तावेज, पूँजी माल के सेनवेट क्रेडिट

का लाभ उठाया (अगस्त 2010 से अक्टूबर 2012 तक)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.94 लाख तक के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया गया।

विभाग की निवारक विंग, निर्धारिती परिसर में गए और अगस्त 2013 तक की अवधि शामिल थी, किंतु मामले का पता लगाने में असफल रहा। इसके अलावा निर्धारिती की लेखापरीक्षा विभाग द्वारा समय पर नहीं की गई।

जब हमने इसे इंगित किया (मार्च 2015), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (दिसम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 14.94 लाख के सेनवेट क्रेडिट को लौटा दिया है। इसने आगे कहा कि निवारक विंग उपलब्ध संबंधित आसूचना/सूचना विनिर्दिष्ट मामलों तक प्रतिबंधित है, यह लेखापरीक्षा के समीकृत नहीं हो सकती। इसने आगे कहा कि निवारक जाँच और स्टाफ की कमी के कारण इकाई का चयन लेखापरीक्षा के लिए नहीं हुआ था।

5.3.2.4 शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

(vi) सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 3(1) कहता है कि अंतिम उत्पाद के एक निर्माता को 10 सितम्बर 2004 को या बाद में अंतिम उत्पाद के निर्माता की फैक्ट्री में प्राप्त कोई भी इनपुट या पूँजी माल पर प्रदत्त विनिर्दिष्ट शुल्कों का क्रेडिट लेने का अनुमत किया।

दिनांक 17 मार्च 2012 अधिसूचना संख्या 13/2012-सीमाशुल्क और 14/2012-सीमाशुल्क में भारत सरकार ने निर्यातित माल को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा(1) के तहत करारोप्य शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर के भुगतान में छूट दी थी।

हल्दिया कमिश्नरी के हल्दिया-II डिवीज़न के तहत रेंज IV में, विवरणियों की जाँच ने दर्शाया कि मेसर्स एन्नौर कोक लि. ने अप्रैल 2013 सितम्बर 2013 और नवम्बर 2013 के दौरान निर्यातित इनपुट पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया, जो कि पूर्ववर्ती अधिसूचना में छूट प्राप्त था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.49 लाख के सेनवेट क्रेडिट का नियमित लाभ उठाया गया जोकि लागू ब्याज के साथ निर्धारिती से वसूला जाना था।

आगे, निर्धारिती एक अनिवार्य इकाई है और विभागीय प्रतिमानों के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा में वार्षिक रूप से शामिल की जानी थी। किंतु विभाग ने मार्च 2013 से निर्धारिती की लेखापरीक्षा नहीं की। इस प्रकार, सेरा द्वारा इंगित किए जाने तक चूक का पता नहीं लगाया गया।

जब हमने इसे इंगित किया (मार्च 2015) मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 4.32 लाख के ब्याज के साथ ₹ 12.49 लाख के सेनवेट क्रेडिट को लौटा दिया था। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, इसके कहा कि, श्रमशक्ति बाध्यताओं के कारण लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

5.3.3 सेनवेट क्रेडिट का कम वापस करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(2) के अनुसार इनपुट अथवा इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने वाले निर्माता और ऐसे अंतिम उत्पाद का निर्माण कर रहे, जो कि छूट प्राप्त माल के साथ-साथ शुल्क पर प्रभारित हैं, प्राप्ति, खपत और इनपुट की मालसूची के लिए अलग-अलग लेखे बनाएगा और केवल उस मात्रा पर सेनवेट क्रेडिट लेगा, जोकि शुल्क देय माल के निर्माण में प्रयुक्त होने के लिए है। नियम 6(3) कहता है कि निर्माता, जो पृथक लेखों को नहीं रख रहे, या तो छूट प्राप्त माल एवं सेवाओं के मूल्य के छह प्रतिशत के बराबर राशि या उप नियम 3(ए) के तहत निर्धारित राशि का भुगतान करेगा। उपनियम 3(ए) प्राप्त माल के निर्माता के लिए सेनवेट क्रेडिट का वास्तविक वापस करना छूट को वित्तीय वर्ष के अंत पर प्रत्येक माह में निर्माता द्वारा सेनवेट क्रेडिट के अनंतिम वापस करने को अनुबंध करता है।

सिलिगुड़ी कमिश्नरी में मेसर्स सिपला लि. कमरेक ने सामान्य इनपुट एवं इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट का लाभ उठाते हुए शुल्क योग्य और छूट प्राप्त फार्मेस्यूटीकल उत्पादों दोनों का निर्माण किया। निर्धारिती ने इनपुट एवं इनपुट सेवाओं के लिए पृथक लेखे नहीं रखने का चयन किया और इस प्रकार सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) विकल्प (ii) का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक माह में निर्धारिती ने उक्त नियम के तहत राशि का भुगतान किया और वित्तीय वर्ष के अंत पर अवकल राशि का निर्धारण और भुगतान किया। वर्ष 2013-14 के दौरान, निर्धारिती ने इनपुट सेवाओं पर ₹ 590.29 लाख के

सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया जिस पर ₹ 38.66 लाख के अनुपातिक क्रेडिट को लौटाया जाना था। निर्धारिती ने ₹ 7.28 लाख को अस्थायी रूप से लौटाया और वर्ष के अंत पर फॉर्मूला यू/आर 6(एएस) के अनुसार छूट प्राप्त माल पर रोप्य इनपुट सेवा क्रेडिट की राशि को लौटाया, यद्यपि निर्धारिती को ₹ 31.38 लाख की अवकल राशि का वास्तविक तौर पर भुगतान करना है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.55 लाख के सेनवेट क्रेडिट की कम वापसी हुई जो कि जेसे की प्रयोज्य हो ब्याज के साथ निर्धारिती से वसूली योग्य थी।

निर्धारिती एक अनिवार्य इकाई है और वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा की जानी है किंतु दिसम्बर 2013 तक ईकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई। इस प्रकार, सेरा द्वारा इंगित किए जाने तक चूक का पता नहीं लगाया जा सका।

जब हमने इसे इंगित (मार्च 2015), मंत्रालय ने अवलोकन को दाखिल किया (नवम्बर 2016) और कहा कि ₹ 52.05 का एससीएन निर्धारिती को जारी किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किये जाने पर इसने कहा कि लेखापरीक्षा श्रमशक्ति बाध्यताओं के कारण नहीं की जा सकी।

5.3.4 ब्याज का गैर/कम भुगतान

5.3.4.1 ब्याज का कम-भुगतान

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 की धारा 3 एक निर्माता या आऊटपुट सेवा के प्रदाता को केंद्रीय उत्पाद शुल्क इनपुट, पूँजी माल या इनपुट सेवा के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए अनुमत करती है बशर्ते उक्त इनपुट, पूँजीमाल, इनपुट सेवा शुल्क योग्य उत्पादों के निर्माण या करारोप्य आऊटपुट सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त होनी चाहिए। आगे सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 14 कहता है कि गलत ढंग लाभ उठाए गए और उपयुक्त सेनवेट क्रेडिट पर ब्याज लगाया जाना है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दमन कमिश्नरी के तहत मेसर्स जय कॉर्प लिमिटेड को आग के कारण प्लांट एवं कच्ची सामग्री का स्टॉक, तैयार माल आदि की हानि हुई जो कि 11 अक्टूबर 2012 को फैक्ट्री में लगी और दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को पत्र में आग में नष्ट हुए इनपुट और पूँजीमाल पर लाभ उठाए गए क्रेडिट का विस्तृत विवरण दिया। आग में नष्ट हुए माल में निहित

₹ 2.66 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट का भुगतान लगभग एक वर्ष की अवधि के बाद पीएल और सेनवेट लेखे द्वारा 7 अक्टूबर 2013 को निर्धारिती द्वारा किया गया था।

इसके अलावा, समय पर विभाग द्वारा निर्धारिती की लेखापरीक्षा नहीं की गई। जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2015), मंत्रालय ने आंशिक तौर पर (नवम्बर 2016) अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि वास्तविक रूप से भुगतेय ब्याज ₹ 38.34 लाख था जिसका भुगतान निर्धारिती द्वारा किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं करने के लिए, मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

5.3.4.2 ब्याज का कम भुगतान

दिनांक 26 जून 2001 की अधिसूचना सं. 46/2001 सीई के अनुसार, केन्द्र सरकार ने बिना शुल्क का भुगतान किए उत्पाद की फैक्ट्री से वेयरहाउस तक उत्पाद शुल्क योग्य माल का हटाने की सुविधा का विस्तारण किए दिनांक 26 जून 2001 अधिसूचना सं. 46/2001-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) के साथ पढा गया 29 जून 2001 सीबीईसी परिपत्र सं. 581/18/2001 सीएक्स के पैरा 10.3 के अनुसार, जब उप/सहायक क्षेत्रीय आयुक्त की अनुमति से माल दूसरी और हटाया जाता है, शुल्क और निकासी दिनांक तक उत्पादन की फैक्ट्री से निकासी की दिनांक से गणना की गई, भुगतेय शुल्क पर प्रति वर्ष 24 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रदत्त होना चाहिए।

कोचीन आयुक्तालय के अंतर्गत, मै. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि. कोच्ची रिफाईनरी (बीपीसीएल-केआर) ने वेयर हाऊसिंग निर्यात हेतु बंकरिंग टर्मिनल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, शेवा, नवी मुंबई से एचवीएफओ (भट्टी तेल) के 8958 केएल की निकासी की। यह विदेशी यात्रा/समुद्री यात्रा पर जहाजों के लिए बंकर ईंधन के रूप में विक्रय के लिए निर्धारित थी। 8958 केएल में से, 1025 केएल और 3454 केएल की मात्रा शुल्क और ब्याज अदा करके क्रमशः 13 फरवरी 2014 और 3 मार्च 2015 तक घरेलु खपत के लिए रखा गया था। यद्यपि, 18 प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा किया गया था क्योंकि 3454 केएल की निकासी के मामले में 24 प्रतिशत देय के स्थान पर 18 प्रतिशत

की दर पर ब्याज अदा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.23 लाख के ब्याज का कम भुगतान किया।

यद्यपि, निर्धारिती आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक इकाई थी, परंतु मार्च 2014 तक कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2015), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 22.23 लाख की राशि जमा की थी। आंतरिक लेखापरीक्षा की कमी पर, यह कहा कि लेखापरीक्षा श्रमबल बाधाओं के कारण नहीं की गई थी।

5.4 आंतरिक लेखापरीक्षा के द्वारा अवधि को पूर्णतः कवर न करना

केंद्रीय उत्पादन शुल्क लेखापरीक्षा मैनुयल 2008 में बताया गया है कि लेखापरीक्षा मौजूदा लेखापरीक्षा की तिथि से पूर्व एक महीना पूरा होने तक की जानी चाहिए। हमने दो मामले देखे जहां लेखापरीक्षा उचित अवधि तक नहीं की गई थी जिसे नीचे दर्शाया गया है।

5.4.1 अमान्य दस्तावेजों पर सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति

दिनांक 27 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं. 26/2014-सीई(एन.टी.) के साथ पठित सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 9 यह दर्शाता है कि सेनवेट क्रेडिट एसटीटीजी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रेलवे प्राप्तियों की प्रतियों के साथ भारतीय रेलवे द्वारा जारी की गई रेल द्वारा माल के परिवहन हेतु सेवा कर प्रमाण पत्र (एसटीटीजी प्रमाण पत्र) पर अनुमत किया जाएगा।

बोलपुर आयुक्तालय में, मै. मैथन एलॉयज़ लिमि. और मै. इंपैक्स फ़ैरो टैक प्रा. लिमि. ने रेलवे पावती की प्रतियों के आधार पर अगस्त 2014 से मार्च 2015 के दौरान क्रमशः ₹ 9.39 लाख और ₹ 6.05 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया परंतु ऐसे क्रेडिट के लिए अपेक्षित सांविधिक एसटीटीजी प्रमाण पत्र उसके पास नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.44 लाख के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति हुई जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

दोनों निर्धारिती आवश्यक इकाईयां थी और 2013-14 की अवधि कवर करते हुए लेखा परीक्षा ने मई 2015 के दौरान पहली इकाई की लेखापरीक्षा और

मार्च 2015 के दौरान दूसरी इकाई की लेखापरीक्षा की, यद्यपि केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा मैनुयल 2008 के प्रावधान यह दर्शाते हैं कि लेखापरीक्षा मौजूदा लेखापरीक्षा की तिथि से पूर्व एक महीने पूर्ण होने तक की जानी चाहिए। इस चूक का पता नहीं लगाया गया था जब तक कि सेरा द्वारा उसे बताया नहीं गया था।

जब हमने यह इंगित किया (सितम्बर 2015), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह स्वीकार किया (दिसम्बर 2016) कि अनियमित रूप से प्राप्त किये क्रेडिट सितम्बर 2015 में निर्धारितियों द्वारा वापस किये गये थे। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि लेखापरीक्षकों ने 2013-14 के लिए अनुमोदित योजना के अनुसार लेखापरीक्षा की थी और सेरा द्वारा उठाई गई आपत्तियां 2014-15 से संबंधित थी। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि सेरा की आपत्ति भावी मार्गदर्शन के लिए ध्यान में रखी जाएंगी।

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति को कवर न करने के संबंध में मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क मैनुयल 2008 यह दर्शाता है कि लेखापरीक्षा मौजूदा लेखापरीक्षा की तिथि के पूर्व एक महीने पूर्ण होने तक की जानी चाहिए।

5.4.2 सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 6(3) यह दर्शाता है कि यदि सेनवेट क्रेडिट सामान्य इनपुट्स/इनपुट सेवाओं जो शुल्क योग्य सामान होने के साथ-साथ छूट प्राप्त सामान के निर्माण में प्रयुक्त की गई है, पर प्राप्त किया गया है और इनपुट्स के लिए अलग लेखे तैयार नहीं किये गये हैं, तब निर्माणकर्ता या तो छूट प्राप्त सामान के मूल्य के छः प्रतिशत (31 मार्च 2012 तक पांच प्रतिशत) के समान राशि पर अदा करेगा या इनपुट्स और इनपुट सेवाओं के लिए या छूट प्राप्त सामान या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के निर्माण के संदर्भ में प्राप्त सेनवेट क्रेडिट के समान राशि अदा करेगा।

कोलकाता-V आयुक्तालय (पूर्व कोलकाता VIII आयुक्तालय के अंतर्गत) में, मै. डाबर इंडिया लिमिटेड ने उक्त छूट प्राप्त सामान के उत्पादन के लिए सामान्य

इनपुट सेवाएं जैसे बीएसएस, प्रबंधन परामर्श सेवाएं, सीएफए सेवाएं आदि का प्रयोग करते हुए 2011-12 के दौरान ₹ 14.39 करोड़ की राशि के छूट प्राप्त शहद/मधु की निकासी की। यद्यपि, निर्धारिती ने न तो इनपुट्स और/या इनपुट सेवाओं के लिए अलग लेखे तैयार किये न ही छूट प्राप्त माल के मूल्य के छः/पांच प्रतिशत के समान राशि अदा की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 71.95 लाख का भुगतान नहीं किया गया जो लागू दरों पर ब्याज सहित वसूली योग्य था।

निर्धारिती एक आवश्यक इकाई थी और दिसम्बर 2011 में आंतरिक लेखापरीक्षा की गई। केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा मैनुयल 2008 के प्रावधान दर्शाते हैं कि लेखापरीक्षा मौजूदा लेखापरीक्षा की तिथि के पूर्व एक महीने पूर्ण होने तक की होनी चाहिए।

जब इमने इंगित किया (अगस्त 2012), आपत्ति को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने सूचित (दिसम्बर 2016) किया कि चूक की पूर्ण अवधि को आवधिक रूप से कवर करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं और इनमें से दो एससीएन की मांग की पुष्टि की जा चुकी है। आंतरिक लेखापरीक्षा की विफलता के संबंध में, कहा गया कि दिसम्बर 2012 में 2011-12 की अवधि हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी जिसके दौरान विषय की जाँच की गई थी और एससीएन के रूप में आवश्यक कार्रवाई की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन के लिए तर्कपूर्ण नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2011 में की गई आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान मामले के पता न लगने को इंगित किया।

5.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारितियों की चूकों का पता न लगाना

हमने 41 मामले पाये जहां विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी परंतु वे निर्धारितियों द्वारा की गई चूकों को पता लगाने में असफल रहे, जिन्हें नीचे दर्शाया गया है।

5.5.1 शुल्क का गैर-भुगतान

5.5.1.1 विभेदीय शुल्क का गैर-भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 4 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो कोई उत्पाद शुल्क योग्य सामान उत्पादित करता है या निर्माण करता है, नियम 8 के अनुसार इस प्रकार के सामान पर शुल्क अदा करेगा। नियम 6 दर्शाता है कि निर्धारिती किसी उत्पाद शुल्क योग्य सामान पर देय शुल्क का स्वयं निर्धारण करेगा। नियम 5 के अनुसार, किसी उत्पाद शुल्क सामान पर लागू शुल्क की दर उस तिथि को लागू होगी जिस तिथि को फेक्ट्री से ऐसा सामान हटाया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11ए(1) (बी)(i) दर्शाती है कि धोखा-धड़ी या साँठ-गाँठ को छोड़कर किसी अन्य कारण हेतु जहां उत्पादक के किसी शुल्क की उगाही की गई या अदा की गई या कम उगाही की गई है या कम अदा किया गया या गलती से प्रतिदाय किया गया है, खंड (क) के अंतर्गत नोटिस देने से पूर्व प्रभार योग्य शुल्क, ऐसा व्यक्ति धारा 11ए के अंतर्गत देय ब्याज सहित शुल्क की राशि, ऐसे शुल्क के स्वयं अन्वेषण के आधार पर अदा कर सकता है।

कोचीन आयुक्तालय में केंद्रीय उत्पाद निर्धारिती, मै. ट्रेको केबल्स क. लिमि., विद्युत तारें, केबल, टेलीफोन केबल आदि का निर्माण कर रहा है, जिसने विभेदीय शुल्क ₹ 25.81 लाख की राशि अदा नहीं की जो 2013-14 से 2014-15 की अवधि के दौरान केरल स्टेट इलैक्ट्रीसीटी बोर्ड (केएसईबी) और मै. बीइएससीओएम को बेचे गये सामान के बिक्री मूल्य के वृद्धि संशोधन के कारण देय थी। ब्याज भी देय था।

यद्यपि, मार्च 2014 तक की अवधि को कवर करते हुए जुलाई 2014 में आंतरिक लेखापरीक्षा की गई, सेरा द्वारा पता लगाई गई चूक का पता नहीं लगाया गया था।

जब हमने इसे इंगित किया (अगस्त 2015), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 5.32 लाख के ब्याज सहित ₹ 25.81 लाख का विभेदीय शुल्क अदा किया (सितम्बर 2015 और नवम्बर 2015)। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, यह कहा गया कि

लेखापरीक्षा अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि हेतु की गई थी, जबकि सेरा लेखापरीक्षा में की गई आपत्ति के अनुसार ₹ 23.80 लाख के सामान की अधिकतर बिक्री अप्रैल 2014 से नवम्बर 2014 के बीच की गई थी। केवल ₹ 2.02 लाख की बिक्री ही आंतरिक लेखापरीक्षा में कवर की गई अवधि से जुड़ी थी। यद्यपि, चूक के पता न लगाने के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

5.5.1.2 पूंजीगत माल की निकासी पर शुल्क का गैर-भुगतान

सेनवेट क्रेडिट नियमावली का नियम 3(5) यह दर्शाता है कि यदि पूंजीगत सामान जिस पर क्रेडिट लिया गया है वह प्रयोग करने के बाद हटा दिया जाता है, तो निर्माता या आऊटपुट सेवा के प्रदाता एक वर्ष की प्रत्येक तिमाही हेतु 2.5 प्रतिशत तक कम करके उक्त पूंजीगत माल पर लिये गये सेनवेट क्रेडिट के समान राशि अदा करेंगे। इसके अतिरिक्त, यदि पूंजीगत माल अपशिष्ट और अवशेष है, निर्माता लेन-देन मूल्य पर देय शुल्क के समान राशि अदा करेगा।

वलसाद आयुक्तालय के अंतर्गत मै. बिलग इंडस्ट्रीज लिमि. (अब बेयर वापी प्रा. लिमि.) जो पूंजीगत सामान पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त कर रही थी, ने 2008-09 से 2011-12 की अवधि हेतु अपने तुलन पत्र में कुल ₹ 12.79 करोड़ की राशि “संयंत्र और मशीनरी को हटाया जाना” में दर्शाई थी। चूंकि लेखापरीक्षित निकाय ने अपने पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था, तो ऐसे अवशेष या पूंजीगत माल की उनकी निकासी पर शुल्क अदा करना अपेक्षित था। यद्यपि, इसने अपने लेखे से हटाई गई संयंत्र और मशीनरी की राशि पर किये गये अपने शुल्क भुगतान के कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये। अवशेष और उपरोक्त मशीनरी पर देय शुल्क की वास्तविक राशि प्राप्त करने के अनुरोध के साथ हमने यह मामला विभाग (दिसम्बर 2012) को बताया था।

जब हमने यह इंगित किया (दिसम्बर 2012), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती को जारी किये गये दो एससीएन पर निर्णय लिया जा चुका है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.67 करोड़ की मांग की पुष्टि हुई। निर्धारिती ने सेसटैट में अपील की, जो लंबित है।

आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

5.5.1.3 मध्यवर्ती सामान पर शुल्क का गैर-भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 का नियम 12बीबी बिना शुल्क भुगतान के एक पंजीकृत परिसर से दूसरे पंजीकृत परिसर से उत्पाद शुल्क योग्य माल को हटाने के लिए कर दाताओं को अनुमत करता है बशर्ते कि ऐसे मध्यवर्ती उत्पादों से निर्मित अंतिम उत्पाद की निकासी प्राप्तकर्ता के परिसर में मध्यवर्ती माल की प्राप्ति की तिथि से छः महीनों की अवधि के अंदर शुल्क अदा करने पर की गई हो। यदि, ऐसे अंतिम उत्पाद का छः महीनों की विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्राप्तकर्ता के परिसर से निकास नहीं किया जाता तो उक्त मध्यवर्ती माल पर ब्याज सहित शुल्क प्राप्तकर्ता द्वारा अदा किया जाएगा।

लार्ज टैक्सपेयर यूनिट (एलटीयू) बेंगलूर के अंतर्गत मै. कर्नाटक शॉप डिटरजेंट्स लिमि., बेंगलूर ने अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए पूर्वोक्त नियम 12बीबी के अंतर्गत शुल्क अदा किये बिना अपनी सैंडलवुड ऑयल डिवीजन, मैसूर से सैंडलवुड ऑयल अंश खरीदे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अगस्त 2016 तक की अवधि के दौरान प्राप्त किये गये 451.704 कि.ग्रा. तेल (1 अप्रैल 2012 तक 114.904 कि.ग्रा. के आदि शेष सहित) में से छः महीनों की विनिर्दिष्ट अवधि में निर्माता के लिए केवल 19.491 कि.ग्रा. ही प्रयोग किया गया। 285.139 कि.ग्रा. छः महीनों के बाद प्रयोग किया गया और शेष 147.074 कि.ग्रा. अभी तक (अगस्त 2016) तक प्रयोग किया जाना है। इस प्रकार, निर्धारिती को छः महीनों के बाद भी प्रयुक्त तेल पर ब्याज के अतिरिक्त अप्रयुक्त तेल पर ब्याज सहित ₹ 19.94 लाख का शुल्क अदा करने थे। एलटीयू बेंगलूर की आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2014 तक की अवधि को कवर करते हुए अपनी लेखापरीक्षा (जुलाई-सितम्बर 2014) के दौरान इस गैर भुगतान का पता नहीं लगा सकी।

जब हमने यह इंगित किया (मई 2015), मंत्रालय ने आपत्ति (नवम्बर 2016) स्वीकार की और कहा कि ₹ 19.94 लाख के एससीएन निर्धारिती को जारी किये गये थे। इसके अतिरिक्त यह कहा मंत्रालय ने कहा कि निर्धारिती नियम

12बीबी के नियम की अनुपालना कर रहा है क्योंकि अंतिम उत्पाद की छः महीनों के अंदर ही निकास की गई है। यद्यपि, सैंडलवुड ऑयल अंश की शेष मात्रा छः महीनों की अवधि के बाद तक स्टॉक में है परंतु यह एक केवल प्रक्रियात्मक चूक है, चूँकी शुल्क मैसूर इकाई द्वारा अदा किया जाना है, अंत का क्रेडिट बेंगलोर इकाई द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट छः महीनों की अवधि तैयार माल की निकासी के लिए निर्माता को दिया गया पर्याप्त समय है। निर्धारिती को इस अवधि के बाद प्रक्रिया को अपनाना चाहिए और विभाग को अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए, चाहे प्रक्रिया राजस्व से संबंधित नहीं है।

5.5.1.4 छूट प्राप्ति के साथ-साथ शुल्क योग्य माल की निकासी पर शुल्क का गैर-भुगतान

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(2) के अनुसार, जहां और किसी इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने वाले निर्माता या आऊटपुट सेवा प्रदाता या ऐसे अंतिम उत्पाद के निर्माता या कोई सेवा प्रदान करता है जो छूट प्राप्त माल या सेवा के साथ-साथ शुल्क या कर के लिए प्रभार योग्य है, वहां आऊटपुट सेवा के निर्माता या प्रदाता शुल्क योग्य तैयार उत्पाद के निर्माण में प्रयोग के लिए या आऊटपुट सेवा प्रदान करने में और छूट प्राप्त माल तैयार करने या सेवाओं के प्रयोग हेतु इनपुट की मात्रा, इनपुट और इनपुट सेवा की प्राप्ति, खपत और सूची के लिए अलग लेखे तैयार करेंगे। इसके अतिरिक्त, नियम 6(3) के अनुसार, यदि निर्धारिती एक अलग खाता नहीं रखता तब निर्धारिती को छूट प्राप्त माल के मूल्य से (16 मार्च 2012 तक) 5 प्रतिशत और 17 मार्च 2012 से 6 प्रतिशत के समान राशि अदा करनी पड़ती है।

मै. डोमीनो प्रिनटैक इंडिया लिमिटेड, प्लॉट सं. 299 सेक्टर 6, आईएमटी मानेसर, गुडगांव अध्याय शीर्ष 32159090 और 29141990 के अंतर्गत प्रिंटिंग - इंक रिजर्वार, प्रिंटिंग-इंक - कार्ट्रिज, प्रिंटिंग-इंक-कांटेंट, प्रिंटिंग इंक-मेड अप-कार्ट्रिज और वाश साल्युशन के निर्माण से जुड़ी है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए इआर-1 की प्रारंभिक समीक्षा के दौरान, यह पाया गया था कि निर्धारिती शुल्क योग्य माल के साथ-साथ छूट प्राप्त माल का उत्पादन

और निकासी कर रहा था और प्रयुक्त सामान्य इनपुट या शुल्क योग्य और छूट प्राप्त माल के निर्माण के संबंध में कोई अलग लेखे नहीं रखे गये थे। निर्धारिती ने 2011-12 में ₹ 27.45 करोड़ और 2012-13 में ₹ 31.11 करोड़ मूल्य के छूट प्राप्त माल की निकासी की, परंतु निर्धारिती ने 2011-12 में ₹ 1.37 करोड़ (₹ 27.45 करोड़ x 5 प्रतिशत) और 2012-13 में ₹ 1.86 करोड़ (₹ 31.11 करोड़ x 6 प्रतिशत) की शुल्क राशि अदा नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.24 करोड़ के शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सका। 2011-12 और 2013-14 की अवधि के दौरान की गई आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता लगाई गई चूक को इंगित नहीं किया।

जब हमने इसे इंगित किया (नवम्बर 2013), मंत्रालय ने आपत्ति को अस्वीकार करते हुए सूचित किया (दिसम्बर 2016) कि शुल्क योग्य और छूट प्राप्त माल के निर्माण के लिए प्रयुक्त इनपुटस अलग हैं। इसलिए, निर्धारिती छूट प्राप्त माल में प्रयुक्त इनपुटस पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त नहीं कर रहा है।

मंत्रालय के उत्तर में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा चूक के पाये जाने और निर्धारिती द्वारा अलग लेखे न रखने के आरोप के पहलू पर कोई वर्णन नहीं है।

5.5.2 शुल्क का कम भुगतान

5.5.2.1 विक्रय राशि में त्रुटियों के कारण पाई गई राशि का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप धारा 1 (ए) के अनुसार, उत्पाद शुल्क उन सभी उत्पाद माल जिसे भारत में उत्पादित या निर्मित किया गया है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में निर्धारित की गई दरों के अनुसार उद्ग्राह्य और संग्रहणीय होंगे।

वलसाद आयुक्तालय के अंतर्गत, मै. बिलय इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि. अब बेयर वापी प्रा. लिमि.) वापी में एक डीटीए इकाई थी और यह एक शत प्रतिशत ईओयू इकाई थी जिसके लिए यह समेकित तुलन पत्र अनुरक्षित कर रही थी हमने पाया कि लेखापरीक्षित निकाय के तुलन-पत्र और इआर-1 रिटर्न में

विक्रय आंकड़ों (ईकाई के निर्यात सहित) में असामान्य भिन्नता थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1: तुलन पत्र के अनुसार विक्रय

| | (राशि ₹ में) | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| वर्ष | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
| घरेलु विक्रय | 2,02,45,92,104 | 2,02,16,42,330 | 2,38,32,02,414 | 885,60,00,000 |
| निर्यात | 6,45,97,74,670 | 5,86,79,62,966 | 5,08,58,30,464 | (वर्गीकरण नहीं दिया गया) |
| कुल | 8,48,43,66,774 | 7,88,96,05,296 | 7,46,90,32,878 | 885,60,00,000 |

तालिका 3.2: इआर-1 के अनुसार विक्रय

| | (राशि ₹ में) | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| वर्ष | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
| घरेलु विक्रय | 1,74,65,89,247 | 1,49,29,98,057 | 1,79,39,88,348 | 2,13,93,36,279 |
| निर्यात | 3,14,99,37,217 | 3,60,93,29,323 | 3,71,93,05,348 | 4,37,04,79,245 |
| कुल | 4,89,65,26,464 | 5,10,23,27,380 | 5,51,32,93,696 | 6,50,98,15,524 |

निर्धारिती इआर-1 और इआर-2 रिटर्न के साथ तुलन-पत्र के विक्रय आंकड़ों में विसंगतियों का पुनर्मिलान उपलब्ध नहीं करा सका। विभाग ने पाई गई विसंगति के सत्यापन और अंतरीय देय शुल्क, यदि कोई है तो, की वसूली का अनुरोध (दिसम्बर 2012) किया था।

2011-12 तक की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी परंतु सेरा लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई आपत्तियों का पता नहीं लगा सकी।

जब इसे हमने इंगित किया (दिसम्बर 2012), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि ₹ 7.62 करोड की मांग की पुष्टि की गई (मार्च 2016) थी। आदेश के प्रति निर्धारिती की अपील सेसटैट में लंबित थी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा की ओर से चूक पर खेद है तथा संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

5.5.2.2 शुल्क की गलत दर के कारण शुल्क का कम भुगतान

(i) दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीई की क्र.सं. 292ए के रूप में संशोधित दिनांक 1 मार्च 2013 की अधिसूचना सं. 12/2013-सीई यह दर्शाती है कि टैरिफ मद 87060029 के अंतर्गत आने वाली बस चैसी और अन्य माल की निकासी 14 प्रतिशत आधारभूत उत्पाद शुल्क निर्धारित करती है।

एलटीयू बेंगलोर आयुक्तालय में एक बड़ी करदाता इकाई मै. वॉल्वो इंडिया प्रा. लिमि. केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहले अनुसूची के अध्याय 87 के अंतर्गत टिपर्स, ट्रैक्टर्स, ट्रैलर्स और चैसी का निर्माण करता है। निर्धारितियों के केंद्रीय उत्पाद शुल्क रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 28.95 करोड़ की निर्धारण योग्य मूल्य पर मार्च 2012 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान 14 प्रतिशत के स्थान पर 13 प्रतिशत की दर पर आधारभूत उत्पाद शुल्क अदा करके टैरिफ मद 87060029 के अंतर्गत बस चैसी की निकासी की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 29.82 लाख शुल्क (सैस सहित) का कम भुगतान किया गया।

यद्यपि लार्ज टैक्सपेयर यूनिट, बेंगलोर की आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंद ने इकाई की दो बार (जून-जुलाई 2013 और सितम्बर-अक्टूबर 2015 के दौरान) लेखापरीक्षा की, शुल्क के इस कम भुगतान का पता नहीं लगाया गया था।

जब हमने यह इंगित किया (जनवरी 2016), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2016) कि निर्धारिती ने ₹ 29.82 लाख शुल्क और ब्याज ₹ 13.76 लाख अदा किये। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा जून-जुलाई 2013 के दौरान की गई थी और मार्च 2013 की अवधि कवर की, इसलिए कम भुगतान का पता नहीं लग सका। अप्रैल 2013 से मार्च 2015 की अवधि हेतु बाद की आंतरिक लेखापरीक्षा को मार्च 2016 में अंतिम रूप दिया गया। चूंकि जनवरी 2016 में सेरा लेखापरीक्षा की गई थी और इसके द्वारा ही पहले ही शुल्क के कम भुगतान को कवर कर लिया गया था, उक्त को आंतरिक लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कपूर्ण नहीं था क्योंकि अप्रैल 2013 से मार्च 2015 की अवधि हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा 8 अक्टूबर 2015 तक पूरी की गई थी जो पता लगाने में असफल रही और कम भुगतान का पता नहीं लगाया गया था। केवल, लेखापरीक्षा आपत्ति पर विचार विमर्श करने और अंतिम रूप देने के लिए मार्च 2016 में निगरानी समिति की बैठक की गई थी।

इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा न केवल निर्धारिती की चूक का पता लगाने में असफल रही, बल्कि अपनी चूक को छिपाने के लिए गलत तथ्य देने का प्रयास किया। मंत्रालय तथ्यों की जांच कर सकता है और गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकता है।

(ii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 5 के अनुसार, किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल के लिए लागू टैरिफ मूल्य के शुल्क की दर वह दर होगी या ऐसे माल को किसी फैक्ट्री या किसी वेयरहाउस, जैसा भी मामला हो, से हटाये जाने की तिथि से मूल्य लागू होगा।

गांधीनगर रेंज में, उत्पाद शुल्क अधीक्षक कार्यालय के केंद्रीय उत्पाद शुल्क रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा किये जाने के दौरान, फरवरी 2014 से अप्रैल 2014 की अवधि हेतु मै. नूकॉन एरोस्पेस प्रा. लिमि. की इआर-1 रिटर्न से यह पाया गया कि निर्धारिती ने सीईटीएसएच-84792090 के अंतर्गत आने वाले माल पर 12.36 प्रतिशत की दर की अपेक्षा 10.30 प्रतिशत की दर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अदा किया। शुल्क की दर के गलत लागू किये जाने के कारण ₹ 41.62 लाख जोड़े गये परिशिष्ट-V में दिये गये विवरणानुसार) के शुल्क का कम भुगतान किया गया जिसे ब्याज सहित निर्धारिती से वसूल किये जाने की आवश्यकता है।

यद्यपि, एसीइएस ने प्रारंभिक संवीक्षा में यह त्रुटि बताई थी, परंतु विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद, विभाग ने अगस्त 2014 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा में भी इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2015), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (दिसम्बर 2016) कि निर्धारिती ने ₹ 14.02 लाख के ब्याज सहित ₹ 41.62 लाख शुल्क अदा किया। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर,

मंत्रालय ने कहा कि यादृच्छिक रूप से चयनित महीनों के कारण मामले का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि निर्धारिती ने अपनी रिटर्न भरते समय सूचना को छिपाया।

5.5.2.3 प्रयुक्त पूँजीगत माल की निकासी पर शुल्क का कम भूगतान

सेनवेट क्रेडिट नियमावली का नियम 3(5) दर्शाता है कि पूँजीगत माल जिस पर क्रेडिट लिया गया है, को प्रयोग के बाद हटाया गया है तो निर्माता या आऊट-पुट सेवा प्रदाता द्वारा वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए 2.5 प्रतिशत तक घटाकर उक्त पूँजीगत माल पर लिये गये सेनवेट क्रेडिट के समान राशि अदा करेंगे। सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3(5ए) के अंतर्गत शर्त के अनुसार, यदि पूर्वोक्त नियम के नियम 3(5ए) के अंतर्गत आंकी गई राशि लेन देन वाले मूल्य पर उद्ग्राह्य शुल्क के समान राशि से कम है, तो देय राशि लेन-देन मूल्य पर उद्ग्राह्य राशि शुल्क के समान होगी।

अलवर आयुक्तालय में मै. श्री सीमेंट लिमिटेड (ग्रिडिंग प्रोजैक्ट), भिवाड़ी ने ₹ 6.09 करोड़ के लेन-देन मूल्य पर पुरानी और प्रयुक्त मशीनरी की निकासी की जिसके लिए ₹ 75.30 लाख राशि पूर्वोक्त नियम की शर्त के अनुसार अदा की जानी थी, जबकि निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5ए) की गणना के अनुसार ₹ 49.69 लाख राशि अदा की। इसके कारण ₹ 25.62 लाख का कम भूगतान किया गया।

यद्यपि, की गई आंतरिक लेखापरीक्षा में मई 2014 तक की अवधि कवर की गई परंतु सेरा द्वारा पता लगाई गई चूक को इंगित नहीं किया।

जब हमने इसे इंगित किया (नवम्बर 2015), कि मंत्रालय ने आपत्ति (नवम्बर 2016) का विरोध किया और कहा कि पूँजीगत माल बेचा नहीं गया था बल्कि सहायक इकाई में केवल स्थानांतरित किया गया था, इसलिए लेन-देन मूल्य का सिद्धांत लागू नहीं होता था और देय शुल्क नियम 3(5ए)(ए)(ii) के अनुसार उचित था।

उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि निर्धारिती ने अपनी इकाई से पूँजीगत माल हटाने के लिए बीजक जारी किया था, इसलिए लेन-देन मूल्य घोषित किया

था। इसलिए निर्धारिती को नियम 3(5ए)बी अपनाते हुए देय राशि देना आवश्यक था।

5.5.2.4 कम मूल्य निर्धारण से कारण शुल्क का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 दर्शाती है कि 'लेन-देन मूल्य' वह है वास्तविक रूप से अदा की गई या माल, जो बेचा गया है; के लिए देय कीमत जिसमें खरीददार द्वारा या उसकी ओर से किसी कारणवश या विक्रय के कारण निर्धारिती की ओर से अदा किये जाने वाली राशि शामिल हो सकती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्य निर्धारण (उत्पाद शुल्क योग्य माल की कीमत का निर्धारण) नियमावली 2000 का नियम 6 दर्शाता है कि कीमत विक्रय के लिए एकमात्र निमित्त है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क उद्देश्य हेतु ऐसे माल को निर्धारिती से खरीददार तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चल रहे किसी अतिरिक्त निमित्त के ऐसे लेन-देन मूल्य और धन मूल्य राशि का औसत समझना चाहिए।

(i) जयपुर आयुक्तालय में, मै. स्वास्थ्य कॉपर प्रा. लिमि. ट्रांसफार्मर के निर्माण और प्रबंधन से जुड़ी है। निर्धारिती ने मरम्मत किये गये ट्रांसफार्मर की कुल लागत से मरम्मत के दौरान बने अवशेष का मूल्य कम करने के लिए प्रावधान बनाते हुए ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए एक ठेका किया। इसी प्रकार, निर्धारिती ने उत्पाद शुल्क के भुगतान पहले बीजकों में 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 168.57 लाख के मूल्य वाले अवशेष की राशि समायोजित की जिसके कारण अवशेष की लागत निर्धारण योग्य मूल्य कम हो गया। इसके कारण ₹ 20.05 लाख शुल्क का कम भुगतान किया गया जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

आपत्ति में विनिर्दिष्ट अवधि को आंशिक रूप से कवर करते हुए मार्च 2014 तक निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई परंतु यह चूक का पता लगाने में विफल रही।

जब हमने यह इंगित किया (मई 2015), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 6.17 लाख के ब्याज सहित ₹ 20.05 लाख का शुल्क जमा कराया था। आंतरिक लेखापरीक्षा ही

चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि संबंधित लेखापरीक्षा अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(ii) बेंगलोर एलटीयू आयुक्तालय में, मै. जिंदल एल्यूमीनीयम लिमिटेड बेंगलोर ग्राहकों की मांग के अनुसार सामान के लिए ग्राहक विशिष्ट डाई का निर्माण करती है। ग्राहक विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर विनिर्दिष्ट न्यूनतम मात्रा खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। निर्धारिती द्वारा जारी किये गये उद्धरण दर्शाते हैं कि नये अनुभाग के विकास की लागत 'नई डाई की सुरक्षा' के रूप में प्रभारित की जाएगी, जिसे विनिर्दिष्ट अवधि में सामान की न्यूनतम विनिर्दिष्ट मात्रा की खरीद में निर्धारिती द्वारा असफल रहने के मामले में जब्त कर लिया जाएगा। इस प्रकार, जब्त की गई राशि डाई की लागत और विक्रय के संबंध में होगी और खरीददार से निर्धारिती तक प्रत्यक्ष प्रवाह रूप से अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप माना जाना चाहिए। यद्यपि 2010-11 से 2013-14 के वर्षों के दौरान सुरक्षा जमा करके निर्धारिती ने ₹ 8.46 करोड़ लाख राशि वसूल की, निर्धारिती ने निर्धारण योग्य मूल्य में राशि शामिल नहीं की जिसके कारण उक्त अवधि के दौरान ₹ 96.43 लाख के केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सैस का कम भुगतान किया गया।

यद्यपि, 2010-11 से 2013-14 की अवधि कवर करते हुए विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई, सेरा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने तक चूक का पता नहीं लगाया जा सका।

जब हमने यह इंगित किया (दिसम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि जब्त किये गये प्रभार निर्णित हर्जानों के रूप में हैं जबकि बड़े करदाता को डाई निर्माण प्रभारों के लिए क्षतिपूर्ति की जाती है यदि ग्राहक निकासी की सहमत मात्रा उठाने में विफल रहता है। संग्रहित सुरक्षा जमा डाई की लागत नहीं होती है और ग्राहक को वापस कर दी जाती है, यदि ग्राहक द्वारा सहमत मात्रा प्राप्त की जाती है। मंत्रालय ने कहा कि मै. जिंदल पैराज़ियर ऑक्सीजन का. लिमि. [2007(208) इएलटी 181 (त्रि. बेंग)] के मामले में सेसटैट निर्णय मौजूदा मामले में भी मान्य था।

उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि नई डाई की आपूर्ति के लिए निबंधन और शर्तों में विनिर्दिष्ट है कि सुरक्षा जमा टुलिंग प्रभार, ग्राहक-निर्दिष्ट भाग/डाई के

निर्माण के लिए व्यय के प्रति संग्रहित किया जाता है। चूंकि ये अतिरिक्त प्रभार प्रत्यक्ष रूप से विक्रय से संबंधित होते हैं, उक्त निर्णित हर्जाने या सेवा कर को देय सेवा प्रभार के रूप में नहीं माना जा सकता है। मै. जिंदल पैराज़ियर ऑक्सीजन का. लिमि. के मामले में सेसटैट निर्णय मौजूदा मामले में भी मान्य नहीं था क्योंकि यह निर्णय 'सामान्य थोक कीमत' के आधार पर था और निर्धारण नियम, जो जुलाई 2000 से पहले से मौजूद थे, जबकि यह मामला 1 जुलाई 2000 से आये निर्धारण नियमों पर आधारित है।

(iii) राऊरकेला आयुक्तालय में, मै. महानदी कोल फिल्ड्स लिमि. (एमसीएल) जो कोयले का उत्पादक (अध्याय शीर्षक 27) है, ने अपने ग्राहकों से अतिरिक्त क्षतिपूर्ति (निष्पादन इंसेटिव) के रूप में मार्च 2011 में ₹ 19.46 करोड़ प्राप्त किये। यद्यपि, निर्धारिती ने निर्धारण योग्य मूल्य में इस अतिरिक्त क्षतिपूर्ति को शामिल नहीं किया जिसके कारण ₹ 1 करोड़ के केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया सका जो ₹ 46.31 लाख के ब्याज सहित वसूली योग्य था।

विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा में भी चूक का पता नहीं लगाया जा सका। जब हमने इसे इंगित किया (फरवरी 2013), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि ₹ 1 करोड़ की मांग की लागू ब्याज सहित पुष्टि की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, यह कहा गया कि मामले का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि लेखापरीक्षा नमूना जांच के आधार पर की गई थी।

5.5.2.5 माल के कम मूल्य निर्धारण के कारण शुल्क का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्य निर्धारण (उत्पाद शुल्क योग्य माल की कीमत का निर्धारण) के नियमावली, 2000 का नियम 5 दर्शाता है कि हटाये जाने के स्थान की अपेक्षा दूसरे स्थान से सुपुर्दगी के लिए उत्पाद शुल्क योग्य माल की अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर परिशिष्ट में जहाँ उत्पाद शुल्क योग्य माल बेचा गया है, वहां ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्य ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य माल की सुपुर्दगी के स्थान से परिवहन की लागत को छोड़कर लेन-देन मूल्य

समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त, उक्त नियम के अंतर्गत स्पष्टीकरण 2 में स्पष्ट किया कि हटाये जाने के स्थान जहां हटाये जाने के स्थान फैक्ट्री नहीं है; से फैक्ट्री से परिवहन की लागत उत्पाद शुल्क माल के मूल्य के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए छोड़ दिया जाएगा। मूल्य निर्धारण नियमों का नियम 6 दर्शाता है कि जहां विक्रय के लिए केवल कीमत एक मात्र निमित्त नहीं है, परंतु अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा(1) के खंड (क) की अन्य अपेक्षाएं पूरी होती हैं, तो मूल्य निर्धारण के नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(i) जयपुर आयुक्तालय में, मै. डायनामिक केबल्स प्रा. लिमि., ने गंतव्य आधार हेतु केबल/कंडक्टर की आपूर्ति के लिए विद्युत विवरण निगम/रेलवे के साथ समझौता किया। कीमत में पैकिंग और अग्रोषण प्रभार, उत्पाद शुल्क, वैंट और मालभाड़ा तथा खरीददार स्टोर पर सामग्री की सुपुर्दगी के लिए बीमा प्रभार शामिल होंगे। हमने पाया कि निर्धारिती ने खरीददार से मालभाड़ा और बीमा प्रभारों के प्रति 2011-12 से 2014-15 के दौरान ₹ 4.06 करोड़ की राशि प्राप्त की जो उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए माल के निर्धारण योग्य मूल्य में शामिल नहीं थी। इस प्रकार, निर्धारिती ने ₹ 4.06 करोड़ तक माल का कम मूल्य निर्धारण किया जिसके कारण ₹ 48.64 लाख शुल्क का कम भुगतान किया गया।

यद्यपि आंशिक रूप से अवधि कवर करते हुए अगस्त 2014 तक की गई आंतरिक लेखापरीक्षा सेरा लेखापरीक्षा आपत्ति में विनिर्दिष्ट चूक का पता लगाने में विफल रही।

हमने फरवरी 2016 में इसे इंगित किया। उत्तर में, आयुक्तालय ने सूचित किया (अप्रैल 2016) कि ₹ 48.64 लाख के एससीएन जारी किये गये थे।

जब हमने इसे इंगित किया (फरवरी 2016), मंत्रालय ने आपत्ति (सितम्बर 2016) स्वीकार की और कहा कि ब्याज और जुर्माने सहित ₹ 48.64 लाख के लिए एससीएन निर्धारिती को जारी किया गया। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि संबंधित लेखापरीक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

(ii) हैदराबाद-IV आयुक्तालय में, मै. श्री शक्ति सिलैंडर्स प्रा. लिमि. सेटा-1985 के अध्याय-73 के अंतर्गत आने वाले एलपीजी सिलैंडर्स के निर्माण से जुड़ी है, इसके 2013-14 और 2014-15 के दौरान मै. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई, मै. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई और मै. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड को आपूर्ति की। खरीद आदेशों और बिक्री बीजकों से यह पाया गया है कि निर्धारिती ने गंतव्य आधार हेतु उपरोक्त काल की निकासी की। इसलिए, माल का अधिकार गंतव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी पर केवल खरीददार को ही दिया जाएगा। इसलिए, निर्धारण योग्य मूल्य में परिवहन प्रभार और पारगमन बीमा प्रभार, यदि कोई है तो, शामिल होने चाहिए। यद्यपि, निर्धारिती ने व्यय किये गये माल भाड़ा प्रभारों को छोड़कर केवल माल की लागत पर उत्पाद शुल्क चुकाये। इस प्रकार, निर्धारण योग्य मूल्य में ₹ 1.79 करोड़ के आऊटवर्ड मालभाड़ा प्रभारों को न जोड़ने के कारण ₹ 22.17 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ जिसे ब्याज सहित निर्धारिती से वसूल किये जाने थे।

यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2014 तक की गई, यह पहलू नहीं देखा गया था।

जब हमने इसे इंगित किया (फरवरी 2016), मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार (सितम्बर 2016) की परंतु कहा कि मामला पहले ही विभाग को बताया गया था, क्योंकि सेरा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने से पूर्व मामले की जांच की जा चुकी थी। प्रति-अपवंचन स्कंद की जांच के आधार पर ₹ 42.43 लाख एससीएन अप्रैल 2016 में निर्धारिती को जारी किया। आंतरिक लेखापरीक्षा के विफलता के संबंध में यह कहा गया कि कानून की व्याख्या में विभिन्न निर्णय और मामले के मद्देनजर अलग विचार है।

उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि विभाग ने फरवरी 2016 में सेरा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद एससीएन जारी किये। विभिन्न व्याख्याओं के मामले के संदर्भ में, मंत्रालय द्वारा दोहरेपन को समाप्त करते हुए उचित स्पष्टीकरण जारी करने की आवश्यकता है।

(iii) हैदराबाद-IV आयुक्तालय में, मै. विद्युत कंट्रोल सिस्टमस प्रा. लिमि. सेटा 1985 के अध्याय-85 के अंतर्गत आने वाले 'इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफार्मर्स' के

निर्माण से जुड़ी थी, जिसने 2011-12 से 2014-15 के दौरान विभिन्न ग्राहक जैसे - एपी ट्रांस्को, टीएस ट्रांसको, एपी जैंको, टीएनएसइबी, केपीटीसीएल और केएसइबी को माल की आपूर्ति की। विक्रय बीजकों से यह पाया गया कि निर्धारिती ने प्रत्येक मद के आधारभूत मूल्य से अतिरिक्त मालभाड़ा प्रभार उद्धृत किये और गंतव्य आधार पर उपरोक्त ग्राहकों को माल की निकासी की तथा माल के परिवहन के दौरान निर्धारिती के पास रखे माल के परिवहन के जोखिम और स्वामित्व हैं। इस प्रकार, निर्धारिती ने उपरोक्त ग्राहकों से प्राप्त किये गये मालभाड़े, बीमा, अग्रेषण और बैंकिंग प्रभार भी प्राप्त किये। यद्यपि, निर्धारिती ने उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित उत्पाद शुल्क की गणना के लिए निर्धारण योग्य मूल्य में उक्त राशि शामिल नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.97 लाख (अर्थात ₹ 15.25 लाख शुल्क और ₹ 6.73 लाख ब्याज, जैसा कि 31 जनवरी 2016 तक गणना की गई थी) का कम भुगतान किया गया जिससे निर्धारिती से वसूल किये जाने की आवश्यकता है। यद्यपि, आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2014 तक की गई थी, इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया था।

जब हमने यह इंगित किया (फरवरी 2016), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 0.12 लाख के ब्याज सहित ₹ 0.23 लाख अदा किये थे और ब्याज ₹ 20.04 लाख हेतु एससीएन भी जारी किये थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की विफलता के संबंध में, यह कहा गया कि कानून की व्याख्या में विभिन्न निर्णय और मामले के मद्देनजर अलग विचार है।

उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि विभिन्न व्याख्याओं के मामलों के संदर्भ में मंत्रालय द्वारा तर्कपूर्ण परिणाम तक पहुँचाने के लिए मंत्रालय द्वारा दोहरेपन को समाप्त करते हुए उचित स्पष्टीकरण जारी करने की आवश्यकता है।

5.5.2.6 सहायक इकाई को निकास किये गये माल पर शुल्क का कम भुगतान

1 दिसम्बर 2013 से संशोधित किये गये केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्य निर्धारण (उत्पाद शुल्क माल के मूल्य के निर्धारण) का नियम 9, 01 दिसम्बर 2013

के संशोधन किये जाने के अनुसार दर्शाता है कि जहां उत्पाद शुल्क योग्य माल केंद्रीय उत्पाद शुल्क माल का पूर्ण या आंशिक भाग अधिनियम की धारा 4 के उप खंड (3) के किसी उप खंड (ii), (iii) या खंड (ख) (iv) के में किसी निर्धारिती या किसी व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट रूप से संबंधित हैं, के द्वारा बेचा गया है, माल का मूल्य सामान्य लेन-देन होगा जिस पर खरीददारों (संबंधित व्यक्ति नहीं) को या जहां ऐसा माल ऐसे खरीददारों को नहीं बेचा गया है, खरीददारों (संबंधित व्यक्ति), जो थोक में माल बेचता है, वह हटाये जाने के समय पर संबंधित व्यक्ति द्वारा बेचा गया है। बशर्ते कि किसी मामले में, जहां संबंधित व्यक्ति माल को नहीं बेचता परंतु सामान के उत्पादन या निर्माण में ऐसे माल का प्रयोग करता है और उपभोग करता है, तो मूल्य नियम 8 में विनिर्दिष्ट ढंग से निर्धारित किया जाएगा अर्थात् मूल्य ऐसे माल के उत्पादन या निर्माण की लागत पर एक सौ दस प्रतिशत होगा।

(i) जयपुर आयुक्तालय में, मै. मंगला प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने दिसम्बर 2013 से मार्च 2015 के दौरान ₹ 74.11 करोड़ लेन-देन मूल्य पर अपनी सहायक इकाई मै. मंगला इस्पात (जयपुर) लिमिटेड, जयपुर में तैयार माल बेचा। यद्यपि, पूर्वोक्त नियम 8 प्रावधानों के अनुसार, माल का मूल्य ₹ 78.00 करोड़ तक आंका गया। इस प्रकार, निर्धारिती ने ₹ 3.89 करोड़ तक माल का मूल्य छिपाया, जिस पर देय शुल्क ₹ 48.16 लाख तक आंका गया जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

अवधि को आंशिक रूप से कवर करते हुए अक्टूबर 2014 तक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई परंतु यह चूक का पता लगाने में विफल रही।

जब हमने यह इंगित किया (नवम्बर 2015), मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की (सितम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 10.62 लाख ब्याज सहित और ₹ 7.22 लाख के जुर्मान सहित ₹ 48.16 लाख का उत्पाद शुल्क जमा किया। जैसे ही वर्ष 2015-16 के वर्ष हेतु सीएस-4 प्रमाण-पत्र तैयार किया जाएगा, निर्धारिती अप्रैल 2015 से आगे का अंतरीय शुल्क अदा करने के लिए सहमत भी हो गया। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि संबंधित लेखापरीक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

(ii) रायगढ़ आयुक्तालय में, मै. पिडीलाईट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पंजीकरण सं. AAACP4156BXM002 और AAACP4156BXM011) की दो इकाईयां सेटा, 1985 के अध्याय 39 के अंतर्गत आने वाले माल के निर्माण से जुड़ी है। 2014-15 के बिक्री बीजकों की संवीक्षा से पता चला कि इकाईयों ने अपनी संबंधित इकाईयों से उत्पाद शुल्क माल की निकासी की। यद्यपि, उनके द्वारा उत्पादन की लागत निर्धारण के लिए कोई लागत रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। निर्धारिती की सीएस-4 के अनुसार उत्पादन की लागत निर्धारित करना और वर्ष 2014-15 के लिए अंतरीय शुल्क अदा करना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 41.79 लाख शुल्क का कम भुगतान हुआ जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

फरवरी 2014 से मार्च 2015 तक की अवधि कवर करते हुए जून 2015 में आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी, किन्तु, लेखापरीक्षा रिपोर्ट 'निरंक' आपत्ति सहित जारी की।

जब हमने इसे इंगित किया (अगस्त 2015), विभाग ने कहा कि ₹ 7.73 लाख ब्याज सहित ₹ 41.79 लाख का कुल शुल्क दोनों इकाईयों ने अदा किया था।

मंत्रालय ने आपत्ति का (नवम्बर 2016) विरोध करते हुए कहा कि मामला आवधिक था और निर्धारिती सीएस-4 प्रमाण-पत्र की उपलब्धता के बाद विगत वर्ष के लिए अक्टूबर महीने में वार्षिक रूप से अंतरीय शुल्क अदा कर रहा था। इसने एक इकाई द्वारा ₹ 5.76 लाख के ब्याज सहित ₹ 27.45 लाख की राशि वर्ष 2014-15 हेतु अंतरीय शुल्क के भुगतान की पुष्टि की। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान, निर्धारिती ने कहा कि सीएस-4 प्रमाण पत्र तैयार नहीं था और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है, क्योंकि सीएस-4 प्रमाण-पत्र तैयार किये बिना आवधिक रूप से माल की निकासी अनुमत करने का कोई प्रावधान नहीं है। निर्धारिती द्वारा सही ढंग से शुल्क का निर्णय करने के अक्षमता के मामले में, उसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 2002 के नियम 7 के अंतर्गत निर्धारण प्रावधान को चुनना चाहिए। यदि निर्धारिती ने आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान सीएस-4

प्रमाण-पत्र तैयार नहीं किया था, लेखापरीक्षा दल को उक्त मामले की निगरानी के लिए कदम उठाने चाहिए थे।

(iii) बेलापुर आयुक्तालय में, मै. बीएसएफ इंडिया लिमिटेड, सेटा 1985 के अध्याय 28 के अंतर्गत श्रेणीबद्ध योग्य उत्पाद शुल्क माल के निर्माण से जुड़ी है। 2012-13 और 2013-14 की अवधि हेतु विवरणों की मंजूरी की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अपनी संबंधित इकाईयों से क्रमशः ₹ 7.43 करोड़ और ₹ 8.68 करोड़ राशि के उत्पाद शुल्क योग्य माल की निकासी की थी। यद्यपि, उत्पादन की लागत निर्धारित करने के लिए कोई लागत रिकॉर्ड निर्धारिती द्वारा नहीं रखे गये थे। निर्धारिती द्वारा सीएस-4 के अनुसार उत्पादन की लागत निर्धारण और इसी प्रकार अंतरीय शुल्क अदा करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, अपनी संबंधित इकाई को की गई निकासी पर सही निर्धारण योग्य मूल्य को स्वीकार न करने के कारण शुल्क का कम भुगतान किया जो ब्याज सहित वूसली योग्य था।

यद्यपि, अप्रैल 2010 से मार्च 2013 की अवधि कवर करते हुए दिसम्बर 2013 में विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई, परंतु सेरा द्वारा इंगित की गई चूक का पता नहीं लगाया जा सका।

जब हमने यह इंगित किया (अप्रैल 2015), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 29.39 लाख के ब्याज सहित ₹ 87.36 लाख का अंतरीय शुल्क डेबिट किया था। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि सीएस-4 प्रमाण पत्र के अभाव में, शुल्क का सही भुगतान निर्धारिती द्वारा नहीं किया जा सका।

मंत्रालय का उत्तर यह दर्शाता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा उक्त की निगरानी के लिए मामले को उठाने में विफल रही।

(iv) मैसर्स टाटा मैटालिक्स लि., खडगपुर हल्दिया कमिश्नरी में उत्पादन की लागत का 10 प्रतिशत और एक हजार की तुलना में कम मूल्य पर इसकी संबंधित पार्टी मैसर्स टाटा मैटालिक्स डीआई पाइपस लि. के लिए 2013-14 की अवधि के दौरान ढलवां लोहे के निर्माण मोलटेन मेटल आदि पिघले हुए धातु को शुद्ध करने में सलंग्न है। यह पूर्व कथित नियम का उल्लंघन था,

परिणामस्वरूप 2013-14 के दौरान ₹ 18.34 लाख से उत्पाद शुल्क के भुगतान में कमी हुई है। समान राशि उपयुक्त ब्याज के साथ वसूली योग्य थी।

यद्यपि जुलाई 2014 में आन्तरिक लेखापरीक्षा की गयी थी, सीईआरए के द्वारा इंगित करने के बाद भी कमियों का पता नहीं लगाया गया था।

जब हमारे द्वारा यह इंगित किया गया था (अप्रैल 2015), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा था कि सम्पूर्ण राशि ब्याज के साथ वसूली योग्य थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा की चूक पर यह कहा गया कि 2013-14 की अवधि के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा जुलाई 2014 में आयोजित की गयी थी और वित्तीय दस्तावेज अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए तुलन-पत्रों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था, इसके कारण चूक का पता नहीं लगाया जा सका था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसा कि असम्मति मूल दस्तावेजों के आधार पर पता लगाया जा सकता था अर्थात् सीएस-4 प्रमाण पत्र की प्रति, मासिक आधार पर तैयार किये गये और पिघले हुए धातु की मंजूरी को बीजको में दर्शाया गया है।

(v) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के कार्यालय की लेखापरीक्षा, एन्नूर-1 रेंज, तिरुपुर प्रभाग कोयम्बूटर कमिश्नरी के तहत मई और जून 2014 के दौरान की गयी थी मैसर्स अनुग्रह वाल्व कास्टिंग लिमिटेड, यूनिट-IV और मैसर्स जयचन्द्रन एलॉय (प्र) लि. के अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारित स्वीकार्य दरों के द्वारा सीएस-4 विवरण के अनुसार अभिकलित की गयी, इस प्रकार के माल के उत्पादन की लागत का 10 प्रतिशत और हजार से कम था निर्धारित स्वीकार्य दरों के द्वारा सीमित उपभोग के लिए अपनी संबंधित सहयोगी संस्था के लिए माल की संस्वीकृति दी गयी थी निर्धारित लेन-देन मूल्य की गैर-स्वीकार्यता के परिणामस्वरूप माल का कम मूल्यांकन और फलस्वरूप शुल्क का कम भुगतान हुआ, जो कि ब्याज के साथ वसूली योग्य था। आन्तरिक लेखापरीक्षा ने अक्टूबर 2013 और फरवरी 2014 में ईकाईयों की लेखापरीक्षा की थी, परन्तु इन पक्षों को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जब हमारे द्वारा यह इंगित किया गया (जुलाई 2014), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और बताया था कि मैसर्स अनुग्रह वॉल्फ कास्टिंग ने ₹ 4.03 लाख ब्याज के साथ ₹ 7.09 लाख शुल्क का भुगतान किया और जयाचन्द्रन एलाय (प्रा.) लिमिटेड ने ₹ 0.65 लाख के ब्याज के साथ ₹ 3.47 लाख शुल्क का भुगतान किया है। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, यह कहा गया था कि मैसर्स जयाचन्द्रन एलाय के मामलों में, संबंधित अधिकारियों से पूछा जा रहा है। मैसर्स अनुग्रह वॉल्फ कास्टिंग के लिए, यह कहा गया कि 2012-13 से 2014-15 के दौरान कोई आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गयी थी और इस अवधि के लिए पूर्व सूचना उपलब्ध नहीं थी।

(vi) मैसर्स वीवीएफ (इंडिया), लिमिटेड, कोलकाता, कोलकाता-1 कमिश्नरी के अन्तर्गत है। (भूत पूर्व कोलकत्ता-V कमिश्नरी), टूथपेस्ट और साबुन के निर्माण में सलंगन थी, उन इकाईयों के द्वारा सीमित उपभोग के लिए अप्रैल 2011 से जून 2012 के दौरान, बंदी और कच्छ पर स्थित अपनी सहभागी इकाईयों को 4592.26 मिट्रिक टन के उत्पादित साबुन नुडल्स और स्वच्छ साबुन का हस्तान्तरण किया था, यद्यपि, निर्धारिती सीएस-4 के अनुसार निर्धारित उत्पादन की लागत का 110 प्रतिशत पर शुल्क का भुगतान करने के लिए देनदार था, थे जोकि इस मामले में नहीं किया गया था और मंजूरी को कम निर्धारणीय मूल्य पर दिया गया था। परिणामस्वरूप नवम्बर 2012 में, निर्धारिती द्वारा, उपरोक्त मंजूरी के लिए एक लागत पत्र तैयार किया गया था और नियम के तहत आवश्यक उचित उपांत को भी सम्मिलित नहीं किया गया था। अंतरीय शुल्क का भुगतान करने के लिए, साबुन नुडल्स के संबंध में निर्धारणीय मूल्य केवल 5 प्रतिशत के उपांत से निर्धारित किया गया था और स्वच्छ साबुन के मामले में उत्पादन की लागत में उपांत को जोड़ा नहीं गया था। इसके परिणामस्वरूप शुल्क के भुगतान में ₹ 10.31 लाख की कमी हुई, जो कि लागू ब्याज के साथ-साथ वसूली योग्य थी।

मार्च 2012 में विभाग के द्वारा इकाई की आन्तरिक लेखापरीक्षा की गयी थी। केंद्रीय उत्पाद लेखापरीक्षा नियमावली 2008 प्रावधान अनुबन्धित कहते हैं कि लेखापरीक्षा वर्तमान लेखापरीक्षा की तिथि से पूरा एक महीने तक विस्तारित

की जा सकती है। यद्यपि, सीईआरए के द्वारा इंगित किये जाने तक चूक का पता नहीं लगाया गया।

जब हमने इसे इंगित किया था (सितम्बर 2013), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (दिसम्बर 2016) और कहा कि ₹ 50.22 लाख के दण्ड और लागू ब्याज के साथ-साथ ₹ 84.24 लाख के लिए मांग की पुष्टि की गयी थी। निर्धारिती द्वारा ₹ 26.97 लाख के ब्याज के साथ ₹ 59.24 लाख का भुगतान किया गया था। आगे कहा गया कि नवम्बर 2013 में आन्तरिक लेखापरीक्षा के द्वारा भी इस विषय को पता लगाया गया था।

उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार नहीं है जो इंगित करता है कि मार्च 2012 में की गयी लेखापरीक्षा में इसका पता नहीं लगा था

5.5.2.7 छूट का गलत लाभ उठाने के कारण शुल्क भुगतान में कमी

दिनांक 1 मार्च 2013 की अधिसूचना के अनुसार यथा संसोधित, ईकाई जिसकी निकासी पूर्व वर्ष में ₹ 4 करोड़ से अधिक थी अधिसूचना के लिए परिशिष्ट में सुचीबद्ध विशिष्ट माल के संबंध में चालू वित्त वर्ष के दौरान ₹ 1.50 करोड़ तक की निकासी का पूरी छूट के अधिकारी है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त अधिसूचना के पैरा 2(i) के अनुसार, 'एक उत्पादक को इस अधिसूचना में समाहित छूट का लाभ उठाने और इसके स्थान पर उसके द्वारा माल की निकासी पर सामान्य दर शुल्क का भुगतान करने का विकल्प है इस प्रकार के विकल्प वित्तीय वर्ष' के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जायेगा। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 5ए (i) के अन्तर्गत निर्गत किसी भी प्रासंगिक अधिसूचना के साथ पठित, विशिष्ट अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उत्पाद शुल्क की विशेष शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की प्रथम अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शुल्क की सामान्य दर से तात्पर्य उत्पाद शुल्क के कुल शुल्क से है। अधिसूचना सं. 1/2011-सीएक्स दिनांक 1 मार्च 2011 को अधिनियम की धारा 5अ(i) के अधीन निर्गत किया गया था।

मैसर्स इंटलेक्चुअल बिल्डिंग सिस्टम प्राइवेट लि., पूने-1 कमिश्नरी में, कारखाने में निर्मित खोखले कोर स्लैब, कारखाने में निमित्त स्लैब, तैयार

मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) आदि के उत्पादन में लगे हैं। एसटी-3 रिटर्न की 2011-12 से 2012-13 की अवधि की संवीक्षा में पता चला कि निर्धारिती ने अधिसूचना 01/201-सीई यथा संशोधित दिनांक 01 मार्च 2011 का लाभ उठाकर 1 प्रतिशत दर और लागू 2 प्रतिशत दर पर शुल्क के भुगतान पर आरएमसी की निकासी की थी, जबकि अन्य माल की निकासी के लिए, निर्धारिती ने अधिसूचना 08/2003-सीई यथा संशोधित दिनांक 01 मार्च 2003 के अधीन मूल्य आधारित छूट का लाभ उठाया और परिणामस्वरूप इस प्रकार के माल को शुल्क का भुगतान किये बिना निकासी की गयी थी। क्योंकि निर्धारिती ने शुल्क के भुगतान पर आरएमसी की निकासी के विकल्प का चयन किया था, उपरोक्त अधिसूचना के पैरा 2(i) में अनुबन्धित के अनुसार सभी अन्य माल की निकासी के लिए इसको लागू किया जाना चाहिए था। उपरोक्त अधिसूचना के गैर-अनुपालन के परिणाम में ₹ 19.54 लाख की मूल्य राशि शुल्क के गैर-भुगतान हुआ जो कि ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

यद्यपि आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा सितम्बर 2010 से जून 2013 की अवधि को कवर करते हुए जुलाई 2013 में की गयी थी, लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने के बावजूद भी इसका पता नहीं लगाया गया।

जब हमारे द्वारा इंगित किया गया (सितम्बर 2014), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा था कि ₹ 9.78 लाख के दण्ड और ब्याज के साथ ₹ 19.56 की मांग की पुष्टि की गयी थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने बताया कि निर्धारिती द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये थे, यद्यपि विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न अन्य मामलों को पता लगाया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि निर्धारिती ने अधिसूचना सं. 8/2003 के अनुसार और अपनीई आर-3 रिटर्न में तैयार मिश्रित को कंकरीट पर भुगतान शुल्क का लाभ उठाने के लिए विवरणों को प्रस्तुत किया था। इसलिये विषय का डेस्क समीक्षा में ही पता लगाया जाना चाहिए था। कुछ विषयों का पता लगाने में, राजस्व की वसूली सहित, अन्य चूको को छोड़ने के लिए बहाना नहीं हो सकता।

5.5.2.8 छूट प्राप्त-वस्तुओं के स्वयं उपभोग के कारण शुल्क के भुगतान में कमी।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 4(1) के अनुसार, उत्पाद शुल्क योग्य माल का विनिर्माण कर रहा प्रत्येक व्यक्ति नियम 8 में दिए गए तरीके से शुल्क का भुगतान करेगा और कोई भी उत्पाद शुल्क योग्य माल, जिस पर शुल्क देय है, शुल्क के भुगतान के बिना नहीं हटाया जायेगा। सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2 (के) के अनुसार 'इनपुट्स' अन्तिम उत्पादों के विनिर्माता द्वारा प्रयुक्त सभी वस्तुओं उपसाधन रहित, धारा एवं बिजली उत्पन्न करने के लिए सभी वस्तुएं, किसी भी आउटपुट सेवा को प्रदान करने के लिए, लेकिन प्रयुक्त माल को छोड़कर, के लिए (अ) एक इमारत या एक सिविल संरचना या उसके एक हिस्से की संविदा कार्य के निष्पादन का निर्माण या (ब) पूंजीगत वस्तुओं की सहायता के लिए नीव डालना या संरचनाओं का निर्माण के लिए प्रयोक्त माल को अलग रखा गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 17 मार्च 2012 (यथा संशोधित) अधिसूचना सं. 12/2012-सीई के क्रम सं. 206 के अनुसार जहां माल निर्माण कार्य के स्थल पर निर्मित किये जा रहे हैं। अध्याय शीर्ष 7305 और 7308 के अन्तर्गत आने वाली सभी वस्तुएं शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त हैं।

मैसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि. अंगुल, भुवनेश्वर-II कमिश्नरी के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत, कैलक्लाइंड चूना, स्टील स्लैब और स्टील प्लेट के निर्माण में सलंगन है, 3443.29 और 7225.78 मि.ट. निर्मित स्टील संरचना में प्रयुक्त अर्थात् ग्राइन्डर, कोलम, ब्रेसिंग आदि 2013-14 और 2014-15 के दौरान शुल्क के भुगतान के बिना अपने स्वयं के उपभोग के लिए पूर्वोक्त, अधिसूचना के द्वारा छूट का दावा किया गया। विनिर्मित स्टील संरचनाओं इनपुटों की परिभाषा के अपवर्जन खंड के अन्तर्गत हैं क्योंकि वे फैक्ट्री के भीतर सरचनात्मक कार्य में उपभोग किये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने पूर्वोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत छूट का दावा किया था, जिसे केवल ऐसे स्थल पर कार्य निर्माण में प्रयुक्त करने के लिए कार्य के स्थल पर विनिर्मित माल के संबंध में लागू किया गया है। अतः निर्धारिती छूट का हकदार नहीं है और इस प्रकार के शुल्क के रूप में ₹ 5.45 करोड़ भुगतान

योग्य थे। यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा की गयी थी, केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा के द्वारा विषय को इंगित करने तक चूक का पता नहीं लगाया गया था।

जब हमारे द्वारा इंगित किया गया था (जुलाई 2015), मंत्रालय ने स्वामित्व में अवलोकन को स्वीकार किया था (दिसम्बर 2016) परन्तु कहा था कि विषय पहले ही विभाग के संज्ञान में था और मई 2015 में आंतरिक लेखापरीक्षा में इसे प्रस्तुत किया गया था। यह आगे कहा गया कि ₹ 6.26 करोड़ के लिए एससीएन निर्धारिती के लिए निर्गत किया गया था और अनुवर्ती अवधि के लिए एससीएन भी प्रक्रियाधीन था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है अप्रैल 2015 में सीईआरए लेखापरीक्षा आयोजित की गयी थी और सीईआरए लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने बाद इस विषय को आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

5.5.3 सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना

5.5.3.1 अमान्य सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 2(1) समय-समय पर यथा संशोधित परिभाषित करता है 'इनपुट सेवा' किसी भी सेवा के रूप में '(i) एक आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए कर योग्य सेवाओं के एक प्रदाता द्वारा प्रयोग किया जाता है, या (ii) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, विनिर्माता द्वारा प्रयोग किया जाता है, अन्तिम उत्पादों के निर्माण या हटाने के स्थल तक निकासी में; और उत्पादन सेवाओं के प्रदाता या इस प्रकार की फैक्ट्री या परिसर से संबंधित एक कार्यालय की फैक्ट्री परिसर की नवीकरण और मरम्मत, विज्ञापन और क्रयों के प्रचार, हटाये जाने के स्थल तक भण्डारण शोध बाजार, इनपुटों की अधिप्राप्ति, कारोबार से संबंधित गतिविधियों, जैसे-लेखांकन, लेखापरीक्षा, वित्तपोषण, नियुक्ति और गुणवत्ता नियंत्रण, परामर्श और प्रशिक्षण, कम्प्यूटर नेटवर्किंग, क्रेडिट रेटिंग, शेयर रजिस्ट्री और सुरक्षा, इनपुटों और पूंजीगत के आवक परिवहन और हटाये जाने के स्थान तक जावक परिवहन के संबंध में प्रयुक्त सेवाएं सम्मिलित हैं।

मैसर्स केईसी इन्टरनेशनल लि., सिलवासा, सिलवासा कमिश्नरी के तहत, भूमि विकास, हाउसकीपिंग, बागवानी, घास की कटाई आदि पर ₹ 32.12 लाख की धन राशि के लिए 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान भुगतान किए सेवा कर पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। जबकि ये सेवाएं उत्पादन-संबंधी गतिविधियों संबंधित से नहीं हैं, ₹ 32.12 लाख की धनराशि के लिए सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना अनियमित और ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

अप्रैल 2012 में 2011-12 तक की अवधि के लिए निर्धारिती की लेखापरीक्षा की गयी थी परन्तु सीईआरए लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर भी चूक का पता नहीं लगाया गया।

जब हमने इस विषय को इंगित किया था (सितम्बर 2013), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (सितम्बर 2016) और बताया था कि ब्याज और दण्ड के साथ ₹ 37.09 लाख की मांग की पुष्टि की गई थी। निर्धारिती द्वारा अधिनिर्णय आदेश के विरुद्ध अपील की गयी थी। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने बताया कि विवादित इनपुट सेवा की पात्रता वैधानिक विवेचन के अधीन है और विभिन्न न्यायालय बागवानी अनुरक्षण सेवा, भूनिर्माण सेवा और अंतिम उत्पादक से संबंधित हाउसकीपिंग सेवा आदि विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णय लिया गया था, यद्यपि इस प्रकार के विषयों के पता न लगाना कर्तव्य की चूक के रूप में माना नहीं जा सकता।

मंत्रालय का उत्तर विरोधाभासी प्रतीत होता है जैसा कि एक ओर यह अवलोकन को स्वीकार करता है और दूसरी ओर यह बताता है कि यह वैधानिक विवेचन का विषय है। लेखापरीक्षा का मानना है कि मंत्रालय को उपयुक्त सेवा के विषय पर अस्पष्टता समाप्त करने के लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण निर्गत करने की आवश्यकता है।

5.5.3.2 समय बाधित चालानों पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 4(1) के अनुसार, उत्पादक और आउटपुट सेवा के प्रदाता छह महीने पहले से अधिक निर्गत किये गए बीजकों पर सेनवेट क्रेडिट लेने के योग्य नहीं है। ये प्रावधान 1 सितम्बर 2014 से 28

फरवरी 2015 की अवधि के दौरान प्रभावी थे। इसके उपरान्त छह महीनों के प्रतिबंध को एक वर्ष में परिवर्तित किया गया था।

मैसर्स मैथन ऍलाय प्रा.लि., बोलपुर में सितम्बर 2014 और नवम्बर 2014 के दौरान बीजकों जो छह महीनों से भी अधिक पुराने थे पर ₹ 76.07 लाख का सेनवेट क्रेडिट लिया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 76.07 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया और यह प्रयोज्य ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

निर्धारिती एक अधिदेशी ईकाई है और विभाग द्वारा ईकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा 2013-14 तक की अवधि को कवर करते हुए मई 2015 में की गयी थी, यद्यपि, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2008 के प्रावधान अनुबन्धित करते हैं कि लेखापरीक्षा वर्तमान लेखापरीक्षा की तिथि से पूर्ववर्ती पूरे एक महीने तक के लिए विस्तार किया जाना चाहिए था। सीईआरए के द्वारा इंगित करने तक चूक का पता नहीं लगा था।

जब हमने इसको इंगित किया था (सितम्बर 2015), मंत्रालय ने निर्धारिती द्वारा ₹ 76.07 लाख के सूचित क्रेडिट निरसन अवलोकन को स्वीकार किया था (दिसम्बर 2016)। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया कि लेखापरीक्षको द्वारा 2014-15 से संबंधित सीईआरए द्वारा उठाये गयी आपत्ति और 2013-14 के लिए अनुमोदित योजना के अनुसार इस अवधि के लिए लेखापरीक्षा की गयी थी। इसके आगे बताया गया कि सीईआरए की आपत्तियों का भविष्य में मार्ग दर्शन के लिए नोट किया गया है।

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा विषयों के गैर-कवरेज के संबंध में मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2008, अनुबन्धित करती है कि वर्तमान लेखापरीक्षा की तिथि से पूर्वगामी पूरे एक महीने तक लेखापरीक्षा विस्तारित की जा सकती है। जैसा कि सीईआरए की आपत्ति अवधि अर्थात् 2014-15 निर्धारित प्रावधानों के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा के अनुसार कवर किया जाना चाहिए था।

5.5.3.3 केवल छूट प्राप्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोक्त इनपुट वस्तुओं पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(4) के अनुसार, छूट प्राप्त माल का विनिर्माण और छूट प्राप्त सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट के लिए पात्र नहीं है।

मैसर्स संगम (इंडिया) लि. जयपुर कमिश्नरी में पॉलिएस्टर विस्कोस यार्न, कपास और बुने हुए धागे के विनिर्माण में सलग्न है, 2013-14 के दौरान, छूट प्राप्त कपास धागे के विनिर्माण में विशेष रूप से प्रयुक्त, आयातित मशीनों पर ₹ 1.38 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया था। जैसा कि मशीनों को छूट प्राप्त माल के विनिर्माण करने में विशेष रूप से प्रयुक्त किया जा रहा था, उस पर ₹ 1.38 करोड़ की मूल्यराशि के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना अनियमित था।

विभाग द्वारा मार्च 2014 तक की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की गयी थी, लेखापरीक्षा के अवलोकन में उल्लेख अवधि को आंशिक रूप से कवर किया गया परन्तु चूक का पता नहीं लगाया गया।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (मार्च 2015), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (सितम्बर 2016) तथा कहा कि ₹ 4.90 करोड़ के लिए एससीएन निर्धारिती को निर्गत किये गये थे। जांच-पड़ताल के दौरान ₹50.00 लाख उसके द्वारा जमा भी कराये गये थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने बताया कि संबंधित लेखापरीक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

5.5.3.4 अन्य ईकाई से सम्बद्ध सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2 के उप-नियम (1) के अधीन 'इनपुट सेवा को' परिभाषित किया गया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अंतिम उत्पादों के उत्पादन के संबंध में और हटाये जाने के स्थल तक अंतिम उत्पादों की मंजूरी में उत्पादक द्वारा प्रयुक्त किसी भी सेवा से है। उपरोक्त नियमावली के नियम 14 के तहत गलत ढंग से लाभ लिये हुए सेनवेट क्रेडिट के विलम्बित वापसी/पुर्न भुगतान के लिए ब्याज उगाही करने योग्य है।

चैन्नई-IV कमिश्नरी में, यह नोटिस किया गया कि मैसर्स डायमोस लियर ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लि., इरुनगडूकोट्टई (इकाई-2) दूसरी इकाई अर्थात् इकाई-1 से संबंधित प्रजात्मक सम्पदा सेवा के (पुर्न प्रभार आधार पर भुगतान) संबंध में ₹ 17.89 लाख की इनपुट सेवा कर का (अक्टूबर 2010) गलत लाभ लिया था। सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना प्रयोज्य ब्याज की उगाही के साथ-साथ वापसी के लिए था। आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा मार्च 2011 में इकाई की लेखापरीक्षा की गयी थी, परन्तु इस तथ्य को प्रकट नहीं किया गया था।

हमारे द्वारा जब इसे इंगित किया गया (मार्च 2012), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा था कि निर्धारिती ने ₹ 4.47 लाख के दण्ड और ₹ 14.93 लाख के ब्याज के साथ ₹ 17.89 लाख के शुल्क का भुगतान किया था। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा था कि लेखापरीक्षा दल से चूक के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

5.5.3.5 तथ्यों के छिपाने के अन्तर्गत भुगतान किए गए शुल्क के सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ लेना।

सेनवे क्रेडिट नियमावली (सीसीआर), 2004 के नियम 9(1) (बीबी) अनुबन्धित करता है कि इनपुट सेवा के एक प्रदाता द्वारा निर्गत किये गये चालान और बिल, अनुपूरक बीजक के आधार पर, सेवा कर नियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार सेनवेट क्रेडिट लिया जाना चाहिए धोखाधड़ी, मिलीभगत एवं जान-बूझकर की गयी कोई गलत बयानी के कारण एवं कार्यो को छिपाना एवं वित्त अधिनियम मे किसी प्रावधान के उल्लंघन एवं सेवा कर के भुगतान से बचने के प्रयोजन के लिए इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम जहां इसके अतिरिक्त किसी भी गैर-उगाही या गैर भुगतान और अल्प भुगतान के कारण सेवा प्रदाता से कर की अतिरिक्त राशि वसूली योग्य बन जाती है।

मैसर्स वेलनॉन पोलियस्टर लि., दमन (इकाई-III) का मुम्बई मुख्यालय (एचओ) (इनपुट सेवा वितरक) दमन कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र के अधीन, ने जर्मनी से तीन ऋण (बाह्य व्यापर ऋण) प्राप्त किये और (2008-09 से 2010-11) इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए प्रवासी सेवा प्रदाता को निश्चित शुल्क (अर्थात् अग्रिम शुल्क, प्रबंधन शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, सुरक्षा एजेंट शुल्क,

मूल्यांकन शुल्क आदि) का भुगतान किया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय, अहमदाबाद ने वित्त अधिनियम की धारा 66 ए के प्रावधान के तहत प्रवासी सेवा प्रदाता से बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए निर्धारिती के प्रधान कार्यालय को ₹ 105.44 लाख का एससीएन निर्गत किया गया है, ₹ 30 लाख (दिनांक 9 अक्टूबर 2012 और 20 मार्च 2014 के चालानों के द्वारा) के कुल सेवा कर का भुगतान किया गया था। हमने नोटिस किया था कि निर्धारिती ने नवम्बर 2012 और मार्च 2014 में भुगतान की गयी राशि के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया था। जबसे तथ्यों को छिपाने के विषय सम्मिलित करते हुए उपरोक्त प्रावधान के सन्दर्भ में ₹ 30 लाख के सेनवेट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था इसके परिणामस्वरूप ₹ 30 लाख के सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लिया गया।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा सितम्बर 2014 तक की अवधि के लिए अक्टूबर 2014 में विभाग द्वारा की गयी परन्तु यह सीईआए लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये तथ्यों का पता लगाने में विफल रही थी।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2015) मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) तथा कहा था कि ₹ 30.58 लाख की एससीएन निर्धारिती को जारी किये गये थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, यह बताया गया कि नवम्बर 2012 और मार्च 2014 के महीने में गलत क्रेडिट लाभ उठाया था और ये महीनों को आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा चयनित नहीं किये गये थे, इसीलिए चूक का पता नहीं लगा था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसा कि अवलोकन डीजीसीईआई के द्वारा जारी किये गये एससीएन पर आधारित थे। यदि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पिछले तीन वर्षों के लिए जारी किए गये एससीएनस के बारे में सूचना एकत्र करके निर्धारिती मास्टर फाइल तैयार की जाती तो इस विषय का डेस्क समीक्षा के दौरान पता लगाया जा सकता था।

5.5.3.6 प्रतिदाय के विपरीत स्वतः क्रेडिट लेना

अधिसूचना 56/2003 सीई, दिनांक 25 जून 2003, यथा संशोधित प्रदान करता है सिक्किम राज्य से निकासित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए क्षेत्र

अधारित छूट प्रदान करता है, शुल्क की पुर्न-प्राप्ति के माध्यम से उपलब्ध सेनवेट क्रेडिट की अनिवार्य उपयोगिता के बाद ई-भुगतान के माध्यम से इसका भुगतान किया गया था। अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक माह में निर्माता भुगतान की गई राशि का क्रेडिट ले सकता है और वित्तीय वर्ष के अंत में यदि कोई राशि अन्तर हो तो आगामी वित्तीय वर्ष के मई के 15वें दिन तक केंद्रीय उत्पाद के उपायुक्त के सहायक आयुक्त द्वारा विषय के रूप में निर्धारित शर्तों के अनुसार वापस कर दी जायेगी विनिर्माता द्वारा अपने लिए इस प्रकार की अन्तर राशि का स्वयं क्रेडिट लेने की कोई गुंजाइश नहीं है।

मैसर्स सन फार्मा लेबोरेटरीस लि. और मैसर्स टोरेट फार्मास्युटिकल्स लि. गंगटोक सिलीगुड़ी कमिश्नरी के तहत, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद विभाग को अंतर राशि की पुर्न-प्राप्ति का दावा किया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुर्न-प्राप्ति के आदेश जारी किये बिना उत्तरवर्ती महीनों में इस प्रकार की अंतर राशि के निजी-क्रेडिट का लाभ लिया था। निर्धारिती के पुन-प्राप्ति दावों की न तो विभाग द्वारा संवीक्षा की गयी और न ही विभाग द्वारा अनुबन्धित समय में जैसा विधान के तहत आवश्यक था इन दावों के संबंध में कोई पुर्न-प्राप्ति आदेश जारी नहीं किये गये थे, अंतर राशि स्वयं क्रेडिट का लाभ उठाया गया और उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए इसकी उपयोगिता अनियमित थी। इसके परिणामस्वरूप 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 5.39 करोड़ के शुल्क का गैर-भुगतान हुआ, जो कि प्रयोज्य ब्याज सहित वसूली योग्य था।

मैसर्स सन फार्मा लेबोरेटरीस लि. की लेखापरीक्षा विभाग द्वारा दिसम्बर 2013 में की गयी थी जबकि मैसर्स टोरेट फार्मास्युटिकल्स लि. की लेखापरीक्षा फरवरी 2014 में की गयी थी। यद्यपि, दोनों ही मामलों में चूकों का सीईआरए के द्वारा बताये जाने तक पता नहीं चला था।

जब हमने इसके विषय में बताया था (मार्च 2015), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) तथा कहा था कि ₹ 4.06 करोड़ के लिए एससीएन निर्धारिती को जारी किये गये थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने बताया था कि निर्धारिती ने अंतर पुर्न-क्रेडिट सुओ-मोटो को लेने के

लिए रेंज अधीक्षक को सूचित नहीं किया था। तथापि, संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि निर्धारिती द्वारा अंतर शुल्क के स्व-क्रेडिट लेने के संबंध में गेंगटोक रेंज के अधीक्षक की प्रति के साथ गेंगटोक प्रभाग के उप-आयुक्त को सूचित किया था। इसलिए, विभाग स्व-क्रेडिट का लाभ उठाने की वास्तविकता के विषय से अवगत था।

5.5.4 सेनवेट क्रेडिट की गैर/ कम वापसी

5.5.4.1 अप्रचलित इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 3(5बी) प्रदान करता है कि यदि इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य, उपयोग में लाने से पहले, जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, पूर्ण या आंशिक निरस्तीकरण और जहां किसी भी प्रावधान को पूर्ण या आंशिक रूप से लिखने के लिए लेखा पुस्तकों को तैयार किया गया है, तब विनिर्माता एवं सेवा प्रदाता, जैसी स्थिति हो, उपरोक्त इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में लिये गये सेनवेट क्रेडिट के तुल्य मूल्य राशि का भुगतान करेगा।

(i) मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. (एचजेडएल), चंदेरिया उदयपुर कमिश्नरी में, अपनी लेखा-पुस्तकों में 2012-13 से 2013-14 के दौरान ₹ 11.71 करोड़ मूल्य के भण्डार वस्तुओं/इनपुटों की अ-गतिशील इन्वेंटरी का प्रावधान किया था। यद्यपि ये प्रावधान भण्डार वस्तुओं/इनपुट के उपयोग में लाने से पहले बनाए गए थे, निर्धारिती को पूर्वोक्त के प्रावधान के अनुसार ₹ 1.69 करोड़ की मूल्य राशि का भुगतान करना आवश्यक था, जिसका भुगतान नहीं किया गया था।

यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2013 तक कर ली गयी थी, एलडीपी में व्यक्त अवधि को आंशिक रूप से कवर किया गया, सीईआरए द्वारा पता लगायी गयी चूक को इंगित नहीं किया गया।

जब हमने इंगित किया था (जनवरी 2015), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती को ₹ 17.72 करोड़ के लिए

एससीएन जारी किये गये थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा था कि संबंधित लेखापरीक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

(ii) मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज़ लि. जयपुर कमिश्नरी में 2013-14 और 2014-15 के दौरान अप्रचलित इनपुटों के संबंध में लेखा-पुस्तको में ₹ 1.53 करोड़ के प्रावधान बताये गये थे। हालांकि, सेनवेट क्रेडिट ₹ 18.96 लाख की मूल्यराशि के लिए इन इनपुटों के लिए आरोप्य थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य था।

विभाग द्वारा निर्धारित की आंतरिक लेखापरीक्षा की गयी थी परन्तु लेखापरीक्षा द्वारा बताई गयी चूक का पता लगाने में यह विफल रहा।

जब हमने यह बताया था (जनवरी 2016), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा था कि निर्धारित ने मूल्यराशि को डेबिट किया था और ₹ 2.84 लाख दण्ड और ₹ 7.68 लाख ब्याज सहित ₹ 18.96 लाख जमा किये थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा था कि आंतरिक लेखापरीक्षा चयनित लेखापरीक्षा, अनुमोदित लेखापरीक्षा योजना पर आधारित जहां अप्रचलित इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट से संबंधित कोई भी बिंदु विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसा कि अप्रचलित इनपुट/पूँजीगत वस्तुओं के प्रावधान वार्षिक वित्तीय विवरण में उल्लेखित हैं और इन विवरणों की विस्तृत परीक्षण लेखापरीक्षा में अनिवार्य रूप से किया जा सकता है।

5.5.4.2 छूट प्राप्त निकासी पर सेनवेट क्रेडिट का गैर-वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियामावली, 2004 के नियम 6(1) विचार करता है कि जिनको इस प्रकार की इनपुट सेवा और इनपुट की मात्रा पर सेनवेट क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जायेगी, छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए छूट प्राप्त वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयोग किया गया है।:-

- (i) छूट प्राप्त वस्तुओं के मूल्य के छः प्रतिशत के बराबर मूल्यराशि का भुगतान किया जायेगा; और
- (ii) उप-नियम 6(3) के अधीन अवधारित रूप में छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण के संबंध में या प्रयोग में इनपुट और इनपुट सेवा के लिए

सेनवेट क्रेडिट आरोप्य के लिए एक समान राशि का भुगतान करेगा;
और

- (iii) इनपुटों के पृथक लेखे बनाए रखना और विनिर्माण शुल्क देय अंतिम उत्पादों के लिए प्रयुक्त केवल इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है और उपनियम 6(3) के तहत अवधारित रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण के संबंध में और प्रयुक्त इनपुट सेवाओं के लिए सेनवेट क्रेडिट आरोप्य के लिए समान मूल्य राशि का भुगतान किया।

इसके अतिरिक्त, सीसीआर, 2004 के नियम 6(2) के अनुसार, इनपुटों के लिए पृथक लेखों को बनाये रखना छूट प्राप्त वस्तुओं और शुल्क देय उत्पाद के संबंध में और रसीदों प्रयोग में, उपभोग और इनपुटों की इनवेन्ट्री के लिए पृथक खाते रखने पर जोर देता है। और केवल शुल्क देय माल में प्रयुक्त इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट लिया जा रहा है।

सिलीगुडी कमिश्नरी में मैसर्स सन फार्मा लेबोरेट्रीइस लि. गेंगटोक के अभिलेखों के सत्यापन से पता चलता है कि निर्धारिती ने शुल्क देय और छूट प्राप्त फार्मास्यूटिकल दोनों उत्पादों की निकासी और विनिर्माण किया और सीसीआर 2004 के नियम 6(3) (iii) के अनुसार इनपुटों के लिए पृथक लेखे बनाये रखने के लिए विकल्प का चयन किया था। तथापि, लेखापरीक्षा जांच से पता चलता है कि निर्धारिती द्वारा शुल्क देय और छूट प्राप्त उत्पादों के विनिर्माण के लिए फैक्ट्री में प्राप्त इनपुटों पर सम्पूर्ण क्रेडिट लेने और उपयोग करने के लिए एक प्रणाली को अपनाया था। बाद में छूट प्राप्त माल के विनिर्माण के पहले, निर्धारिती द्वारा निर्मित किये जा रहे के छूट प्राप्त माल के लिए आरोप्य सेनवेट क्रेडिट वापिस लिया गया। इस प्रकार, निर्धारिती सीसीआर 2004 के नियम 6(3) (iii) और 6(2) में अनुबन्धित के अनुसार इनपुटों के लिए पृथक लेखे बनाने/ रखने में विफल रहा और जबकि छूट प्राप्त माल के मूल्य के छह प्रतिशत का भुगतान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 2012-13 और 2013-14 के दौरान ₹ 9.34 करोड़ का अल्प भुगतान हुआ जो कि ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

निर्धारिती एक अनिवार्य ईकाई है और विभागीय मानदण्डों के अनुसार प्रति वर्ष आंतरिक लेखापरीक्षा में इसे कवर किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त

ईकाई की लेखापरीक्षा 2012-13 की अवधि को कवर करते हुए दिसम्बर 2013 में हुई थी। परन्तु सीईआरए द्वारा बताये जाने तक चूको का पता नहीं लगाया गया था।

जब हमने इसे इंगित किया (मार्च 2015), मंत्रालय ने अवलोकन का विरोध किया और कहा (दिसम्बर 2016) कि निर्धारिती के पास विकल्प हैं या तो वह पृथक लेखे तैयार करे या छूट प्राप्त वस्तुओं में प्रयुक्त इनपुटों के लिए आरोप्य सेनवेट क्रेडिट के समतुल्य एक मूल्यराशि का भुगतान करें। इस मामले में निर्धारिती द्वारा समानुपाती क्रेडिट को वापिस किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, नियम के अनुसार निर्धारिती के लिए आवश्यक है विकल्प के चयन के बारे में विभाग को सूचित करें और उसका पालन करें जिसका इस मामले में पालन नहीं किया गया है।

5.5.4.3 ट्रेडिंग में प्रयुक्त सेवाओं पर समानुपाती सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3) के अनुसार, वस्तुओं के विनिर्माता और सेवाओं के प्रदाता द्वारा, छूट प्राप्त वस्तुओं और शुल्क देय उत्पादों दोनों में इनपुट सेवाओं/इनपुटों के प्रयोग और प्राप्ति के लिए पृथक खाते बनाये रखने के लिए विकल्प का चयन नहीं किया गया और छूट प्राप्त सेवाओं और कर देय प्रॉवधान छूट प्राप्त वस्तुओं/छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य पर प्रतिशत निर्धारित करने पर नियम 6(3) (i) के तहत एक मूल्य राशि का भुगतान करने के लिए विकल्प प्राप्त करता है और नियम 6(3ए) के तहत निर्धारित पद्धति के द्वारा अभिनिश्चित एक मूल्यराशि का भुगतान किया गया। उपरोक्त नियमावली के नियम 2(ई) के तहत स्पष्टीकरण के अनुसार ट्रेडिंग छूट प्राप्त सेवा है।

मैसर्स स्प्रेडिंग सिस्टमस इंडिया प्रा. लि. बेंगलूर, बैंगलूरु-11 कमिश्नरी के तहत, उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण के लिए अतिरिक्त में विभिन्न माल की ट्रेडिंग के लिए अपनी पंजीकृत परिसर का प्रयोग किया कर रहा था। निर्धारिती द्वारा फैक्ट्री इमारत के किराये पर, सुरक्षा सेवाओं के लिए प्रभारो, चार्टर्ड एकाउन्टेन्स की सेवाओं आदि, ट्रेडिंग गतिविधियों और विनिर्माण करने के लिए जिस पर सामान्य रूप से सेवाओं पर उपयोग की गयी, उस पर सेवा कर

भुगतान के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया था। यद्यपि निर्धारिती ने छूट प्राप्त सेवाएँ (ट्रेडिंग) उपलब्ध कराने के लिए और माल पर शुल्क भुगतान के विनिर्माण के लिए इन इनपुट सेवाओं की उपयोगिता के संबंध में पृथक लेखों को नहीं बनाया था, निर्धारिती को छूट प्राप्त सेवा में समाहित सेनवेट क्रेडिट के लिए मूल्य राशि और छूट प्राप्त सेवा के मूल्य के 5/6 प्रतिशत का भुगतान किया जाना चाहिए था।

आंतरिक लेखापरीक्षा अगस्त 2013 तक की अवधि को कवर करते हुए दो बार की गयी थी, परन्तु इस चूक का पता लगाने में विफल रही थी।

जब हमने यह इंगित किया था (जून 2014) मंत्रालय ने बताया था कि (सितम्बर 2016), ₹ 47.41 लाख की मांग की पुष्टि की गयी थी और निर्धारिती द्वारा ₹ 18.94 लाख का भुगतान किया गया था।

आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक के लिए, मंत्रालय ने बताया था कि विभाग द्वारा 2012 और 2015 में आंतरिक लेखापरीक्षा की गयी थी और बहुत पहले ही इसके द्वारा इस विषय का पता लगाया जा चुका था तथा इसके संबंध में ₹ 18.94 लाख की वसूली की गयी थी।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसा कि निर्धारिती की संख्या 248/2012 दिनांक 28 अगस्त 2012 और 380/2013 दिनांक 4 दिसम्बर 2013 की लेखापरीक्षा टिप्पणी के साक्ष्य के अनुसार सीईआरए लेखापरीक्षा से पहले, दो बार लेखापरीक्षा की गयी थी लेकिन उनके द्वारा इस विषय का पता नहीं लगाया गया था तब, सीईआरए द्वारा निर्धारिती की लेखापरीक्षा अप्रैल-मई 2014 में की गयी और जून 2014 में इस विषय को उठाया गया था। तदनुसार, विभाग द्वारा तीसरी लेखापरीक्षा अक्टूबर 2014 में की गयी थी, जिसके द्वारा विषय का पता लगाया गया था और इस विषय पर एक अवलोकन को सम्मिलित करते हुए लेखापरीक्षा नोट सं.469/2014 जारी किया गया था और बताया गया कि ₹ 4.89 लाख वसूले गये थे। इस प्रकार, मंत्रालय का बयान इस विषय पर कि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा इसका बहुत पहले पता लगाया गया था, सही नहीं हैं।

इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा निर्धारिती की चूक का पता लगाने में न केवल विफल रही, बल्कि अपनी चूक को छिपाने के लिए गलत तथ्यों को देने का प्रयास भी किया था। मंत्रालय तथ्यों का परीक्षण करेगा और दोषी अधिकारियों के संबंध में उचित कार्रवाही करेगा।

5.5.4.4 विद्युत और प्रतिभूति ट्रेडिंग पर सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 (सीसीआर) के नियम 6 के अनुसार इनपुट एवं इनपुट सेवा की ऐसी मात्रा पर जो कि छूट दी गई वस्तुओं के विनिर्माण में अथवा छूट दी गयी सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रयोग की जाती है, उस पर सेनवेट क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जायेगी। जैसा नियम 2(इ) में परिभाषित किया गया है कि छूट दी गयी सेवाएं शब्द से तात्पर्य कर योग्य सेवाएं हैं जो उस पर लगाये गए सेवा कर के सम्पूर्ण से छूट प्राप्त हैं और सेवाओं को सम्मिलित करता है जिस पर वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66बी के तहत कोई सेवा कर उदग्राह्य नहीं है। जहां एक निर्माता एवं उत्पादन सेवा प्रदाता इनपुट और इनपुट सेवाओं का लाभ उठाता है और शुल्क देय के साथ-साथ छूट प्राप्त वस्तुओं का निर्माण करता है और कर योग्य के साथ-साथ छूट प्राप्त सेवाएं प्रदान करता है, प्रयुक्त इनपुटों की इन्वेन्ट्री और उपभोग, प्राप्ति के लिए पृथक लेखे बनाये जाने चाहिए और कर योग्य और छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए और शुल्क देय और छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण के संबंध में और इनपुट सेवा के उपयोग में प्रयुक्त किया जाता है। यदि उपरोक्त उल्लिखित पृथक खाते नहीं बनाये जाते हैं, तो विनिर्माता या सेवा प्रदाता सीसीआर, 2004 नियम 6(3) के प्रावधानों के अनुसार एक राशि का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रतिभूतियों के कारोबार के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर अथवा प्रतिभूतियों के क्रय मूल्य का एक प्रतिशत कारोबार जो भी अधिक हो, प्रतिभूतियों के कारोबार के मामलों में अधिसूचना 28/2012 (सीएक्स) के अनुसार छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के रूप में माना जायेगा।

मुम्बई-॥ कमिश्नरी में मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्री लि. सीईटीए 1985 के अध्याय शीर्षक 34, 38 और 39 के तहत आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण के काम में लगी हुई है। वित्तीय विवरण 2012-13 की संवीक्षा से

पता चलता है कि निर्धारिती ने अपनी रिटेल दुकान पर ₹ 13.83 करोड़ की कारोबार गतिविधि की थी और ₹ 4.26 करोड़ की मूल्यराशि का पवन चक्कियों से उत्पन्न विद्युत धारा का विक्रय भी किया था। यह भी देखा गया कि समान वर्ष के दौरान निर्धारिती ने ₹ 74.77 लाख के निवेश के विक्रय पर लाभ प्राप्त किया था। यद्यपि, निर्धारिती ने न तो पृथक खाते बनाए थे और न उपरोक्त प्रावधान के अनुसार सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) के तहत किसी भी राशि का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.59 करोड़ रुपये के लिए सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी हुई।

यद्यपि, आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2013 तक के लिए की गयी थी, सीईआरए द्वारा पता लगायी गयी चूक को सामने नहीं लाया गया था।

जब हमारे द्वारा यह इंगित किया गया (मार्च 2014), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि ₹ 14.59 करोड़ के लिए एससीएन निर्धारिती को निर्गत किये गये थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने बताया कि संबंधित लेखापरीक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

5.5.4.5 क्रेडिट नोट के द्वारा इनपुट मूल्य कम होने पर सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 14 अनुबन्धित करता है कि जहां सेनवेट क्रेडिट गलत ढंग से लिया और उपयोग किया गया है, विनिर्माता से उसे वसूल किया जायेगा। धारा 11 ए के प्रावधानों को इस प्रकार की वसूलियों को प्रभावी करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

चैन्नई-IV कमिश्नरी के अन्तर्गत आने वाले श्री पेरंबुदूर प्रभाग, इरुनगडूकुट्टी-III रेंज केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान, एक निर्धारिती के लेखे, मैसर्स सुरिन ऑटो मोटिव प्रा. लि. को विस्तृत संवीक्षा के लिए लिया गया था। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए बनाए गए सेनवेट अभिलेखों की संवीक्षा पर, यह देखा गया कि निर्धारिती ने अपने आपूर्तिकर्ता मैसर्स संगवु जीसटामैप हाईटेक लिमिटेड से आयातित/स्वेदेशी कच्चा माल प्राप्त किया था और प्रत्येक माह के अंत में आपूर्तिकर्ता द्वारा

जारी क्रेडिट टिप्पणियों को खाते में लिये बिना आपूर्तिकर्ता के द्वारा अंतिम रूप से पारित सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 27.93 लाख और वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 14.72 लाख की सेनवेट क्रेडिट मूल्यराशि की अतिरिक्त उपयोगिता और लाभ लिया गया था। ईकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा दिसम्बर 2014 में की गयी थी, लेकिन इस विषय को सामने नहीं लाया गया था।

जब हमने यह बताया था (दिसम्बर 2015), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा था कि ₹ 40.62 लाख के लिए एससीएन निर्धारिती को निर्गत किये गये थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने बताया कि कमिश्नर के द्वारा (लेखापरीक्षा) उन अधिकारियों पर कार्रवाही की जायेगी जिनके द्वारा चूक का पता नहीं लगाया गया था।

5.5.4.6 ऐसे ही निकासित इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट की अल्प-वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियामावली 2004 के नियम 3(5) के अनुसार, जब इनपुटों और पूंजीगत वस्तुओं जिन पर सेनवेट क्रेडिट लिये गये हैं, आउटपुट सेवा के प्रदाता के परिसर और फैक्ट्री से इस प्रकार से हटा दिये गये हैं अंतिम उत्पाद के विनिर्माता एवं आउटपुट सेवा के प्रदाता जैसी स्थिति हो, इस प्रकार की इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में लाभ प्राप्त क्रेडिट के समतुल्य एक मूल्यराशि का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, आई-बिड, नियमों के नियम-14 के अनुसार, जब सेनवेट क्रेडिट का गलत लिया और उपयोग किया जाता है और गलती से वापस किया जाता है, उसको विनिर्माता और आउटपुट सेवा के प्रदाता से ब्याज के साथ वसूल किया जायेगा।

राउरकेला कमिश्नरी के अधिकार-क्षेत्र के तहत एल्यूमीनियम फ्लैट रोल्ड उत्पादों (सीएच. 76069290) के विनिर्माता, वर्ष 2013-14 के लिए मैसर्स हिन्डालकों इंडस्ट्री लि. के सेनवेट क्रेडिट रजिस्टर, ईआर-1 लेखापरीक्षा बिक्री रजिस्टर से पता चलता है कि निर्धारिती ने इनपुटों अर्थात् सीजी इनपुटों पर ₹ 1.90 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया था। तथापि, इसे ₹ 1.52 करोड़ शुल्क के भुगतान पर ये इस प्रकार से ये हटा दिये गये थे, परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियम के उल्लंघन में सेनवेट क्रेडिट की ₹ 37.61 लाख अल्प वापसी हुई।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अगस्त 2015), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा था कि निर्धारिती द्वारा ₹ 10.53 लाख के ब्याज के साथ ₹ 37.61 लाख की मूल्यराशि वापस की गयी थी। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, यह बताया गया था कि आंतरिक लेखापरीक्षा नमूना जांच के आधार पर की गयी थी और आंतरिक लेखापरीक्षा के अवधान में विषय नहीं आया था।

5.5.4.7 आग में नष्ट आदानों पर लिये गये सेनवेट क्रेडिट की अल्प वापसी

केंद्रीय उत्पाद नियमावली, 2002 का नियम 21 प्रदान करता है कि जहां कमिश्नर की सन्तुष्टि के लिए यह प्रदर्शित किया जाता है कि अपरिहार्य दुर्घटना के द्वारा और प्राकृतिक कारण के द्वारा माल नष्ट या खो जाता है और हटाने से पहले किसी भी समय पर, विपणन के लिए और उपभोग के लिए विनिर्माता के द्वारा अनुपयोगी होने का दावा किया गया है, वह इस प्रकार के माल पर भुगतान योग्य शुल्क को परिहार कर सकता है, ऐसे विषय के लिए इस स्थिति में लिखित आदेश द्वारा उसके द्वारा लगाया जा सकता है। सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5सी) यह भी प्रदान करता है कि जहां एक निर्धारिती के द्वारा विनिर्माण एवं उत्पादित किसी माल पर, केंद्रीय उत्पाद नियमावली, 2002 के नियम 21 के तहत शुल्क के भुगतान को छोड़ने का आदेश दिया गया है, उपरोक्त माल के उत्पादन और विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुटों पर लिया गया सेनवेट क्रेडिट वापस किया जायेगा।

लुधियाना कमिश्नरी में, अध्याय 8504 के तहत ट्रांसफार्मरों के निर्माण में लगी हुई मैसर्स अकाल इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि. दोराहा के अभिलेखों की परीक्षण जांच से पता चला है कि इनपुट ट्रांसफार्मर ऑयल, कार्गो, एल्यूमिनियम, कॉपर जो अगस्त 2008 में आग की एक घटना में नष्ट हो गये थे, निर्धारिती द्वारा 2008-09 के दौरान बट्टे-खाते में डाल दिय गये थे और ₹ 33.38 लाख के सेनवेट क्रेडिट को वापस कर दिया गया था। यद्यपि, वापस की गयी सेनवेट क्रेडिट की मूल्यराशि ₹ 76.09 लाख संगणित की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 42.71 लाख की मूल्यराशि के सेनवेट क्रेडिट की कम वापसी हुई।

लेखापरीक्षा अवलोकन में उल्लेखित अवधि को कवर करते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा यद्यपि मई 2010 में की गयी, इसके द्वारा चूक का पता नहीं लगाया गया था।

जब हमारे इसे इंगित किया (अप्रैल 2010), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया था (नवम्बर 2016) तथा कहा था कि समान दण्ड और ब्याज के साथ ₹ 76.09 लाख की मांग की पुष्टि की गई थी। निर्धारिती द्वारा सीईएसटीएटी को अपील दायर की गयी जो विचाराधीन है। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, यह बताया गया था कि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा विषय की जांच की गयी थी परन्तु निर्धारिती द्वारा लेखापरीक्षा के समय बीमा कंपनी के साथ दायर दावे को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

5.5.4.8 प्रयुक्त पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट की अल्प वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5ए) प्रयुक्त पूंजीगत माल के हटाये जाने पर प्रक्रिया के लिए नियम प्रदान करता है, जिसमें एक निर्धारिती को प्रति तिमाही 2.5 प्रतिशत की दर पर मूल्यहास की अनुमति के बाद क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए एक बराबर मूल्यराशि का भुगतान आवश्यक है, इस शर्त पर कि यदि 'लेन-देन मूल्य' पर देय शुल्क गणना की गयी मूल्यराशि से कम है, तब 'लेन-देन मूल्य' पर शुल्क के बराबर मूल्यराशि का भुगतान किया जायेगा।

मैसर्स विशाखापट्टनम-। कमिश्नरी के अन्तर्गत, मैसर्स बोथरा शिपिंग सर्विस प्रा.लि. ने ₹ 1.94 करोड़ की लेन-देन मूल्य के लिए प्रयुक्त पूंजीगत माल का विक्रय किया था, जिसके लिए पूर्वोक्त नियम के अनुसार ₹ 23.98 लाख शुल्क का भुगतान किया गया था। हांलाकि, निर्धारिती ने प्रति तिमाही 2.5 प्रतिशत मूल्यहास का लाभ उठाने के बाद केवल ₹ 16.14 लाख के सेनवेट क्रेडिट का वापस किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.84 लाख सेनवेट क्रेडिट की कम वापसी हुई जो कि ₹ 3.60 लाख के ब्याज के साथ वसूली योग्य था। इसी प्रकार मैसर्स एचबीएल पावर सिस्टम लि. ने ₹ 98.08 लाख के लिए पूंजीगत माल का विक्रय किया जिस पर ₹ 12.12 लाख शुल्क देय था परन्तु निर्धारिती ने ₹ 8.54 लाख का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.59 लाख से क्रेडिट का कम भुगतान हुआ जो कि ₹ 2.12 लाख के ब्याज के साथ वसूली

योग्य था। देय ब्याज और सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी कुल एकत्र, ₹ 17.15 के लिए वसूली/योग्य थी।

यद्यपि, दो निर्धारितियों की आंतरिक लेखापरीक्षाएँ सितम्बर 2014 और जनवरी 2015 तक की गयी थी, कम वापसी को सूचित नहीं किया गया था।

जब हमने इसके बारे में बताया (जनवरी-फरवरी 2016) मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की (दिसम्बर 2016) और कहा कि मै. बोथरा शिपिंग सर्विसेस प्रा.लि. ने ₹ 3.60 लाख के ब्याज सहित ₹ 7.84 लाख का शुल्क वापिस कर दिया था और मै. एचबीएल पावर सिस्टमस प्रा. लि. ने ₹ 2.12 लाख के ब्याज के साथ ₹ 3.59 लाख का शुल्क वापिस कर दिया था। आन्तरिक लेखापरीक्षा की चूक पर उसने कहा कि आन्तरिक लेखापरीक्षा में सेनवैट मामलों को नमूना महीनों के लिए यादृच्छिक रूप से सत्यापित किया गया था और सीईआरए लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए महीनों को नमूने में कवर नहीं किया गया था।

5.5.4.9 समान इनपुट और इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट की अल्प वापसी

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3) (ii) के अनुसार माल का विनिर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता, जो प्राप्त के लिए पृथक लेखे का अनुरक्षण नहीं करने का विकल्प लेता है और शुल्क योग्य और छूट प्राप्त माल दोनों के विनिर्माण में इनपुट/सेवाओं का प्रयोग करता है, के पास नियम 6 (3ए) के अन्तर्गत निर्धारित फार्मूला द्वारा निर्धारित राशि के भुगतान का विकल्प है।

बैंगलोर-III कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. पेपसिको (आई) होल्डिंग्स प्रा. लि. बैंगलोर, जो कारबोनेटड साफ्ट ड्रिंक्स, मिनरल वाटर, फ्रूटजूस और सिरप के एक विनिर्माता है ने 2011-12 के दौरान 01 मार्च 2011 की अधिसूचना सं. 1/2011-सीई के तहत शुल्क के भुगतान पर अन्य अन्तिम उत्पादों की निकासी के अलावा छूट का लाभ लिया। निर्धारिती ने उन इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ लिया जो सामान्य रूप से शुल्क योग्य और छूट प्राप्त अन्तिम उत्पादों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त होती है, किन्तु उनके संबंध में पृथक लेखों का अनुरक्षण नहीं किया। निर्धारिती ने वर्ष 2011-12 के दौरान प्रतिवर्ती ₹ 1.24 करोड़ के प्रति ₹ 27.25 लाख की राशि

को नियम 6(3ए) के प्रावधानों के अनुसार सेनवेट क्रेडिट के भाग को वापिस किया जिसके परिणामस्वरूप ₹96.71 लाख की कम वापसी हुई जो ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

यद्यपि, आन्तरिक लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2012 से जनवरी 2013) 2011-12 की अवधि को कवर करते हुए की गई थी, परन्तु यह कम वापसी का पता लगाने में विफल रही।

जब हमने इसके बारे में बताया (दिसम्बर 2014) मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2016) कि निर्धारिती को ₹96.47 लाख के लिए एससीएन जारी कर दिया गया था और निर्धारिती ने सेसटेट के समक्ष अपील दाखिल की थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि विभाग ने पूर्व अनुमोदित लेखापरीक्षा योजना के अनुसार एक विशेष नमूना महीने के लिए केवल दस्तावेजों को सत्यापित किया था और यदि मामला उक्त नमूना जांच महीने के दौरान अस्तित्व में नहीं था, तो मामले का पता नहीं लग सकता था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सेरा ने वर्ष 2011-12 के सभी महीनों में सेनवेट क्रेडिट की कम वापसी पाई जिसे आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा 22 महीनों (जनवरी 2011 से अक्टूबर 2012) की अवधि में शामिल किया गया था।

अतः आन्तरिक लेखापरीक्षा न केवल निर्धारिती की चूक का पता लगाने में विफल रही किन्तु उसने इस चूक को छिपाने के लिए गलत तथ्य देने की भी कोशिश की थी। मंत्रालय तथ्यों की जांच करे और चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए।

5.5.5 ब्याज का भुगतान न करना

5.5.5.1 अन्तरीय शुल्क के भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 1944 की धारा 11ए में परिकल्पित है कि जहां कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है, तो वहां वह व्यक्ति शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान किए जाने की देय तिथि के बाद विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज के भुगतान का दायी है।

कोलकाता-V कमीशनरी में मै. बेस्को लि. (यूनिट-1) और मै. गॉटरमेन पाइपर्स (इंडिया) लि., हल्दिया कमिशनरी में मै. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लि. ने पहले की गई बिक्री के संबंध में अतिरिक्त राशि के संग्रहण के लिए बाद की तिथि में अंतरीय शुल्क का भुगतान किया। तथापि, निर्धारित ऐसे शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा। 2013-14 और 2014-15 की अवधि के लिए मै. बेस्को लि. के संबंध में ₹ 4.70 लाख, 2013-14 की अवधि के लिए गॉटरमेन पाइपर्स (इंडिया) लि. के संबंध में ऐसा ब्याज ₹ 8.53 लाख और 2013-14 और 2014-15 की अवधि के लिए मै. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लि. के लिए ₹ 4.98 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

विभाग द्वारा मै. बेस्को लि. (यूनिट-1) की लेखापरीक्षा जनवरी 2013 में की गई थी जिसमें 2011-12 की अवधि कवर की गई थी, यद्यपि, लेखापरीक्षा नियमावली के अनुसार इसे दिसम्बर 2012 तक कवर किया जाना चाहिए था। विभाग द्वारा जून 2015 में मै. गॉटरमेन-पाइपर्स (इंडिया) लि. की आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई थी जिसमें केवल 2013-14 की अवधि कवर की गई थी। यद्यपि, मै. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लि. एक अनिवार्य यूनिट थी और विभागीय मानदण्डों के अनुसार इसे आन्तरिक लेखापरीक्षा में वार्षिक रूप से कवर किया जाना अपेक्षित था। किन्तु यूनिट की जुलाई 2013 से लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

जब हमने इसके बारे में बताया (मार्च 2015 और सितम्बर 2015 के बीच) मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति का विरोध किया (अक्टूबर 2016) कि मै. सेल [(2015 (326) ईएलटी 450)] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि अन्तरीय शुल्क के भुगतान के मामले में ब्याज देय नहीं था। मामला बड़ी अदालत में भेजा गया और निर्णय लम्बित है। उसने आगे कहा कि चूंकि आपत्ति का विरोध किया गया है, आन्तरिक लेखापरीक्षा के भाग पर चूक का सवाल नहीं उठता।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, जैसा कि विचाराधीन मामले के मामलों में, आपत्ति उठाई जा सकती थी और एससीएन को काल बुक को हस्तांतरित किया जा सकता था, ताकि, यदि मामला विभाग के पक्ष में लिया जाता है तो कोई

राजस्व हानि नहीं है। मांग जारी करने के अभाव में, यदि मामला विभाग के पक्ष में भी लिया जाता तो भी मामला समयबाधित हो जाएगा। मंत्रालय को मामले की जांच और क्षेत्रीय संरचनाओं को उचित निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

5.6 विविध मामलें

5.6.1 शास्ति की गलत छूट और ब्याज के कम भुगतान का पता न लगाना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1944 की धारा 11 एसी के पहले परन्तुक के अनुसार, धारा 11ए की उप धारा 2 के तहत निर्धारित किसी शुल्क और धारा 11 एबी के तहत उस पर देय ब्याज, को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, जिसने ऐसे शुल्क का निर्धारण किया है, के आदेश की सूचना की तिथि से तीस दिन के अन्दर भुगतान किया जाना है, ऐसे व्यक्ति द्वारा शास्ति की राशि का भुगतान निर्धारित शुल्क का पच्चीस प्रतिशत होगा।

कालीकट कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. गाशा स्टील्स प्रा. लि. कान्जीकोड, मई 2004 से फरवरी 2005 की अवधि के दौरान समानांतर बीजकों पर सीटीडी/टीएमटी बार और स्क्रैप को गैर कानूनी रूप से हटाने में लगी थी। इस प्रकार के हटाव पर ₹ 67.77 लाख की राशि का शुल्क देय था और ब्याज भी देय था। उल्लंघन के मामले के आधार पर ब्याज और शास्ति सहित ₹ 67.77 लाख के शुल्क की मांग का एससीएन जारी किया गया जिसकी पुष्टि दिनांक 12 मई 2009 को ₹ 67.77 लाख के ब्याज और शास्ति सहित वास्तविक आदेश (ओ-आई-ओ) द्वारा की गई थी। निदेशक और प्रबंध निदेशक (एमडी) पर प्रत्येक ₹ 20,000 का व्यक्तिगत जुर्माना भी लगाया गया था।

ओ-आई-ओ के अनुसार यदि अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत शुल्क और ब्याज का भुगतान आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर होता है तो शास्ति की राशि, प्रमाणित शुल्क की राशि 25 प्रतिशत तक प्रतिबंधित होगी। निर्धारिती द्वारा प्रमाणित शुल्क की मांग के लिए फरवरी 2006 और जून 2006 में पहले से दत्त क्रमशः ₹30.00 लाख और ₹20.00 लाख को भी समायोजित करने का आदेश दिया गया था। निर्धारिती ने ₹ 17.78 लाख का बकाया शुल्क, ₹ 16.94 लाख की शास्ति, जो प्रमाणित शुल्क और ब्याज का 25 प्रतिशत थी, का भुगतान किया (जुलाई 2009)। तथापि, निर्धारिती ने मई

2004 से जुलाई 2009 के लिए देय ₹ 12.27 लाख के ब्याज के प्रति ₹ 0.19 लाख के ब्याज का भुगतान किया था। निर्धारिती ने सेसटेट में भी अपील की जिसमें गलतब्यानी की कि ब्याज सहित शुल्क की पूरी राशि और शास्ति जमा करवा दी गई और क्षेत्राधिकारी अधीक्षक को भी तदनुसार सूचना दी (जुलाई 2009)। तथापि, विभाग ने पूरे ब्याज का भुगतान न करने से संबंधित निर्धारिती द्वारा गलत ब्यानी की अनदेखी की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.08 लाख के ब्याज का कम भुगतान हुआ। इसके अलावा, निर्धारिती 25 प्रतिशत की कम शास्ति के लाभ का भी हकदार नहीं था क्योंकि वह पूरी ब्याज देयता का निर्वाह करने में विफल रहा। यद्यपि जून 2011 तक की अवधि को कवर करते हुए निर्धारिती की आन्तरिक लेखापरीक्षा जुलाई 2011 में की गई थी तो भी यह चूक नहीं पाई गई थी।

जब इसके बारे में बताया गया (दिसम्बर 2011) विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2012) कि देयों की वसूली के लिए कोई अनिवार्य कार्रवाई नहीं की गई थी जबकि सेसटेट द्वारा शास्तियों की वसूली के प्रति दो स्थगन आदेश जारी किए गए थे (जनवरी 2010 और फरवरी 2010)।

सीईआरए ने बताया (अक्टूबर 2012) कि स्थगन आदेश केवल एमडी और निदेशक पर लगाई गई व्यक्तिगत शास्ति के संबंध में थे और कि यह स्थगन जारी करते समय, अधिकरण ने पाया कि शुल्क, ब्याज और शास्ति की पूरी राशि मुख्य अपीलकर्ता द्वारा निश्चित रूप से जमा की गई। विभाग से पार्टी द्वारा ब्याज के कम भुगतान के बारे में सेसटेट को सूचना देने और तदनुसार कम शास्ति के लिए अयोग्यता से संबंधित स्पष्टीकरण भी मांगा गया था।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2014) कि सेसटेट में एक विविध आवेदन दाखिल किया गया था (जनवरी 2014) कि निर्धारिती को ₹ 12.08 लाख का ब्याज और ₹ 50.83 लाख की बकाया शास्ति का भुगतान करना था और कि निर्धारिती ने अधिकरण के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किए थे। विभाग ने अधिनियम की धारा 11(2)(i) के तहत ₹ 12.08 लाख के बकाया ब्याज की वसूली और ₹ 50.83 लाख की शास्ति के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने के बारे में बताया (दिसम्बर 2014)। सेसटेट ने विविध आवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया (मार्च 2014) कि इसे दिनांक 12 मई 2009 के ओ-आई-ओ 11/2009 के प्रति मै. गीशा स्टील्स द्वारा दाखिल अपील के संबंध में दर्ज

नहीं किया गया था किन्तु एमडी और एक निदेशक को दिए गए स्थगन आदेश के संबंध में पूर्व जमा से छूट और व्यक्तिगत शास्ति की वसूली के प्रति दर्ज किया गया था। अधिकरण ने विविध आवेदन दर्ज करने में लगभग चार वर्षों के विलम्ब के बारे में भी कहा और कहा कि ब्याज की पूरी राशि और बकाया शास्ति की वसूली के प्रति कोई स्थगन नहीं था और विभाग निर्धारिती/अपीलकर्ता में गीशा स्टील्स से इसकी वसूली कर सकता था।

विभाग ने आगे कहा (जुलाई 2015 और नवम्बर 2015) कि निर्धारिती ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन आवेदन सहित रिट याचिका ओआईओ अमान्य घोषित करने और ब्याज और शास्ति की शेष राशि की वसूली रोकने के लिए दाखिल की थी (जून 2015)।

विभाग इस प्रभाव के अन्तर्गत था कि निर्धारिती ने ब्याज की पूरी राशि का भुगतान कर दिया था और वह 25 प्रतिशत की कम शास्ति के योग्य था और कि सेसटेट ने ब्याज और शास्ति की वसूली रोक दी थी। इससे प्रणाली में उचित मानीटरिंग की जगह और अस्थगित पुष्टिकृत मांगों की वसूली की अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव था मामले के तथ्यों की समझ में विभाग की ओर से चूक और यह पता लगाने की स्थगन आदेश एमडी और एक निदेशक के विरुद्ध व्यक्तिगत शास्ति के संबंध में ही थे, के परिणामस्वरूप एक मामले में, जहां लगभग सात वर्षों की ₹ 12.08 लाख की ब्याज राशि और ₹ 50.83 लाख (75 प्रतिशत) की शेष शास्ति के संबंध में बकायों की वसूली पर कोई स्थगन नहीं था, कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप निर्धारिती को अनुचित वित्तीय सुविधा का विस्तारण भी हुआ क्योंकि मई 2004 से जुलाई 2009 की अवधि से संबंधित ब्याज राशि का कोई ब्याज उदग्राह्य नहीं था और क्योंकि अस्थगित ब्याज और शास्ति की वसूली के लिए लगभग सात वर्षों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) के सेरा की आपत्ति कि 'निर्धारिती को शास्ति की कटौती दी गई थी' सही नहीं थी क्योंकि विभाग ने सेसटेट को सूचना दी थी (जनवरी 2014) कि निर्धारिती को अभी ₹ 12.08 लाख की ब्याज देयता को पूरा करना था और वह 25 प्रतिशत की कम शास्ति हकदार नहीं था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने सेसटेट को ब्याज का भुगतान न करने के बारे में विभाग से सेरा द्वारा इस बारे में मांगे गए स्पष्टीकरण के बाद ही सूचना दी थी।

5.6.2 एससीएन में कम मांग उठाना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 11ए और 11ए के प्रावधानों के अन्तर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को निर्धारित सीमाओं की अवधि में ऐसे व्यक्ति को जिसने अपेक्षित प्रभार्य शुल्क का कम भुगतान किया हो, को कारण बताओ नोटिस देने की शक्ति है कि वह एससीएन में विनिर्दिष्ट कम दत्त शुल्क का भुगतान क्यों नहीं करेगा।

जून 2015 से सितम्बर 2015 में एलटीयू कमिश्नरी के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त कार्यालय एलटीजी III ग्रुप से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों और प्रतिदायों की लेखापरीक्षा की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-13 और 2013-14 के वर्षों के लिए मै. सीपीसीएल, मनाली, चैन्नई को जारी दो एससीएन कि छूट प्राप्त माल पर सेनवेट की वापसी के कारण निर्धारिती द्वारा देय अन्तरीय शुल्क उसमें गलती से विनिर्दिष्ट किया गया था जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 14.53 लाख और ₹ 62.02 लाख की राशि की कम मांग हुई। यह विभाग द्वारा निर्धारिती कमे दावे का सत्यापन न करने के कारण था जिसके परिणामस्वरूप कम मांग की गई।

जब हमने इसके बारे में बताया (अक्टूबर, दिसम्बर 2015), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2016) कि अन्तरीय शुल्क देय था, यद्यपि कुल मागों के संबंध में एससीएन में कोई त्रुटि नहीं थी। आगे यह भी कहा गया कि एससीएन जारी करने में प्रणाली में कमियों को नोट कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मामला कुल मागों के बारे में नहीं था बल्कि पहले से वापसी राशि को गलती से अपनाने के बाद देय शुद्ध राशि के निर्धारण के बारे में था। जिसका भुगतान निर्धारिती द्वारा अब किया जा चुका है।

5.6.3 एससीएन को अनियमित रूप से काल बुक को हस्तांतरित करना

दिनांक 14 दिसम्बर 1995 के सीबीईसी परिपत्र सं. 162/73/95-सीएक्स में ऐसी परिस्थितियां विनिर्दिष्ट की गई हैं जिनके अन्तर्गत एक मामला काल बुक को हस्तांतरित किया जा सकता है जैसा नीचे दिया गया है:-

- (i) मामले, जिनमें विभाग उचित प्राधिकार के पास अपील में गया था।
- (ii) मामले जहां आदेश सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/सीईजीएटी इत्यादि द्वारा जारी किए गए थे।
- (iii) मामले जहां लेखापरीक्षा आपत्तियों को चुनौती दी गई थी।
- (iv) मामले जहां बोर्ड ने विशिष्ट रूप से उन्हें लम्बित रखने और उन्हें काल बुक में प्रविष्ट करने का आदेश दिया था।

इसके अलावा कमिश्नरियों को निर्देश जारी किए जा रहे थे जिनमें लम्बित काल बुक मदों की आवधिक समीक्षा अपेक्षित थी।

बेंगलोर-III कमीशनरी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के कार्यालय में काल बुक्स (मई 2015) में लम्बित एससीएन की संवीक्षा से पता चला कि मै. विक्टोरिया मरीन एंड एगो एक्सपोर्ट्स लि. बेंगलोर को 01 फरवरी 2011 को अनियमित रूप से लाभ लिए गए/प्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट को ₹ 3.70 करोड़ की मांग वाला जारी किया गया एससीएन अधिनिर्णय हेतु लम्बित था। तथापि, एससीएन को काल बुक में इस टिप्पणी के साथ हस्तांतरित किया गया (अप्रैल/मई 2012) कि 'आगे सत्यापन अपेक्षित है' यद्यपि मामला उपरोक्त उल्लिखित वर्गों में से किसी में भी नहीं आता। विभाग द्वारा नोटिस पाए जाने के बाद भी (जनवरी 2014), काल बुक मामलों की उत्तरवर्ती संवीक्षा के दौरान, कि मामला काल बुक में रखने के योग्य नहीं है, उसे अधिनिर्णय के लिए काल बुक से बाहर नहीं निकाला गया।

जब हमने इसके बारे में बताया (मई 2015) मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2016) कि एससीएन काल बुक से बाहर निकाल ली गई थी और दिसम्बर 2015 में अधिनिर्णित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.70 करोड़ की मांग और ₹ 5.14 करोड़ की शास्ति की पुष्टि हुई। मंत्रालय ने आगे कहा कि मामला विभाग को काल बुक संवीक्षा में पता लग गया था और वह असावधानी के कारण काल बुक में पड़ा रहा।

यद्यपि, विभाग द्वारा काल बुक में गलत तरीके से एससीएन रखने का पहले ही पता लग चुका था, जब तक इस बारे में सेरा द्वारा बताया नहीं गया था कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई और मामले का निर्णय दिसम्बर 2015 में दिया गया था। यदि विभाग ने समय पर कार्रवाई की होती तो ₹8.84 करोड़ की मांग पर पहले ही निर्णय ले लिया जाता। मंत्रालय को मामले को देखने की आवश्यकता है और जैसा ठीक हो चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए और भविष्य में समान प्रकार की चूकों से बचने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

5.6.4 विद्युत शक्ति उपभोग के भुगतान पर परिहार्य व्यय

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी, बेलागावी के कार्यालय परिसर को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। कमिश्नरी ने कर्नाटक विद्युत बोर्ड मौजूदा हुबली विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि. (एचईएससीओएम), बेलागावी से 210 केवीए (करार मांग) विद्युत की आपूर्ति के लिए करार किया। समझौते के अनुसार, कमिश्नरी को 210 केवीए की करार मांग के 75 प्रतिशत का भुगतान करना था अर्थात् 158 केवीए (मांग करार) या वास्तविक उपयोग (दर्ज मांग) जो भी अधिक हो।

2007-08 से 2014-15 की अवधि के लिए बेलागावी कमिश्नरी की लेखापरीक्षा के दौरान विद्युत आपूर्ति बिलों और सम्बद्ध रिकार्डों की समीक्षा के दौरान, कमिश्नरी ने उक्त अवधि के दौरान प्रति माह 158 केवीए के लिए विद्युत प्रभारों का भुगतान किया, क्योंकि दर्ज की गई रेंज प्रतिमाह 38.42 केवीए और 68.94 केवीए थी। अतः वास्तविक विद्युत मांग 18 से 33 प्रतिशत के बीच थी। कमिश्नरी द्वारा 100 केवीए की स्वीकृति स्तर पर करार मांग को कम करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। करार मांग को कम करने के लिए सामयिक कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप 2007-08 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 15.13 लाख का अधिक व्यय हुआ जो परिहार्य था।

जब हमने इसके बारे में बताया (अप्रैल 2013), विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि एचईएससीओएम ने प्रति माह 100 केवीए की करार मांग को कम किया था (जून 2016)। मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि यह तकनीकी मामला था जिसमें सीपीडब्ल्यूडी बेंगलोर के कार्यकारी (विद्युत) का तकनीकी

मत अपेक्षित था। विद्युत आवश्यकता, नियोजन, डिजाइनिंग इत्यादि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया था और उनके द्वारा 210 केवीए की मांग भवन के निर्माण के समय निकाली गई थी। विभाग को मामले के बारे में पता नहीं था और सभी पहलू विद्युत आवश्यकता, मांग और आपूर्ति की व्यवस्था सीपीडब्ल्यूडी द्वारा की गई थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सीपीडब्ल्यूडी द्वारा की जा रही थी किन्तु बिजली के बिलों की प्राप्ति और उनका भुगतान कमिश्नरी द्वारा किया जा रहा था। चूंकि, कार्यालय द्वारा बिजली की खपत संविदाकृत मांग से कम थी, तो उस मांग को कम करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए थी। सेरा द्वारा मामले के बारे में बताए जाने के बाद विभाग ने कार्रवाई करने में तीन वर्षों से अधिक का समय लिया जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय जारी रहा।

5.6.5 आदिवासी क्षेत्र भत्ते का अनियमित भुगतान


वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश (अगस्त 2008) के अनुसार, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्र/आदिवासी क्षेत्र भत्ता (टीएए) की रियायत अस्थायी प्रकृति की है और संबंधित क्षेत्रों में राज्य सरकार के कार्मिकों को भत्ते की निरन्तर स्वीकार्यता या अन्यथा के प्रकाश में इसकी पुनरीक्षा सरकार द्वारा उचित समय में की जाएगी।

इसके अलावा, टीएए की उन राज्यों में अनुमति समाप्त कर दी जाएगी जहां इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 22 मार्च 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 17(1)/2008-ई.॥ (बी) में स्पष्ट किया गया था कि झारखण्ड में केन्द्र सरकार के कार्मिकों को आदिवासी क्षेत्र भत्ते का भुगतान अनियमित था।

यद्यपि, टीएए झारखण्ड में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं है, हमने पाया (2012-13 से 2015-16) कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर विभाग के कर्मचारियों को झारखण्ड के 10 कार्यालयों में 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 47.87 लाख के टीएए की राशि का भुगतान किया गया था।

जब हमने इसके बारे में बताया (दिसम्बर 2015 और मार्च 2016), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि विभाग, मुख्यालय और क्षेत्रीय संरचनाओं ने आदिवासी क्षेत्र भत्ते का भुगतान बंद कर दिया है और भुगतान किए गए टीएए की वसूली का आदेश जारी कर दिया गया था। अभी तक ₹ 0.06 लाख की राशि की वसूली की जा चुकी थी।

नई दिल्ली
दिनांक: 24 जनवरी 2017


(संजीव गोयल)
प्रधान निदेशक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित


नई दिल्ली
दिनांक: 24 जनवरी 2017


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

सीबीईसी की संगठनात्मक संरचना



परिशिष्ट II

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | डीएपी सं. | संक्षिप्त विषय | आपत्तिकृत राशि | स्वीकृत राशि | वसूली गई राशि | आयुक्तालय |
|---------|-----------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | 2बी | शुल्क के लंबित भुगतान पर ब्याज और जुर्माने का भुगतान न करना | 17.98 | 17.98 | 17.98 | हैदराबाद-I |
| 2 | 4बी | शुल्क की कम वसूली करना | 25.36 | 25.36 | 25.36 | जमशेदपुर |
| 3 | 5बी | तैयार उत्पाद के कम मूल्यांकन के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान | 81.90 | 81.90 | 81.90 | बैंगलौर-II |
| 4 | 6बी | वेस्ट और स्क्रेप पर उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना | 11.42 | 11.42 | 11.42 | त्रिवेन्द्रम |
| 5 | 7बी | निर्धारण नियम का पालन किये बिना माल की निकासी | 21.50 | 21.50 | 21.50 | कोल्हापुर |
| 6 | 8बी | सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ और उपयोग | 26.66 | 26.66 | 26.66 | नागपुर-II |
| 7 | 11बी | सेनवेट क्रेडिट का गैर उत्क्रमण | 15.11 | 15.11 | 13.13 | थाणे-I |
| 8 | 12बी | सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ और उपयोग | 24.78 | 24.78 | 24.78 | पुणे |
| 9 | 13बी | सामान्य सेवाओं में सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ और उपयोग | 62.39 | 62.39 | शून्य | हैदराबाद-I |
| 10 | 14बी | कम निर्धारण के कारण शुल्क की कम वसूली | 1056.00 | 1056.00 | शून्य | रांची |
| 11 | 15बी | उत्पाद शुल्क के लंबित भुगतान पर ब्याज की गैर-वसूली | 25.21 | 25.21 | शून्य | मुंबई-IV |
| 12 | 18बी | व्यापार गतिविधि के कारण इनपुट सेवा क्रेडिट का गैर | 25.95 | 25.95 | 25.95 | विशाखापटनम-II |

2017 का प्रतिवेदन सं. 3 (अप्रत्यक्ष कर - केंद्रीय उत्पाद शुल्क)

| क्र.सं. | डीएपी सं. | संक्षिप्त विषय | आपत्तिकृत राशि | स्वीकृत राशि | वसूली गई राशि | आयुक्तालय |
|---------|-----------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | उत्क्रमण | | | | |
| 13 | 19बी | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान | 80.62 | 80.62 | 80.62 | हैदराबाद-I |
| 14 | 20बी | निर्धारण योग्य मूल्य को गलत अपनाने के कारण शुल्क का कम भुगतान | 53.95 | 53.95 | 53.95 | त्रिचिपल्ली |
| 15 | 21बी | समय सीमा से परे सेनवैट क्रेडिट का अनुचित लाभ | 112.22 | 112.22 | 112.22 | चेन्नै एलटीयू |
| 16 | 23बी | मूल्यनिर्धारण नियमों का पालन किये बिना माल की निकासी | 50.92 | 50.92 | 50.92 | थाणे-I |
| 17 | 24बी | सेनवैट क्रेडिट का अनुचित लाभ लेना | 20.00 | 20.00 | शून्य | जमशेदपुर |
| 18 | 25बी | आग से क्षतिग्रस्त वस्तुओं पर शुल्क माफी न देने पर उत्पाद-शुल्क की गैर वसूली | 21.15 | 21.15 | शून्य | इंदौर |
| 19 | 26बी | केंद्रीय उत्पाद शुल्क की कम उगाही | 114.41 | 114.41 | शून्य | वलसाड |
| 20 | 1डी | वस्तुओं के गलत मूल्यांकन के कारण शुल्क का कम भुगतान | 105.90 | 105.90 | 105.90 | चेन्नई एलटीयू |
| 21 | 2डी | सेनवैट क्रेडिट की गैर-वापसी | 16.34 | 16.34 | 16.34 | पुणे-III |
| 22 | 11डी | इनपुट पर अधिक सेनवैट क्रेडिट लेना | 17.22 | 17.22 | 17.22 | हैदराबाद-I |
| 23 | 14डी | भाड़ा प्रभारों पर शुल्क का गैर-भुगतान | 31.34 | 31.34 | शून्य | वडोदरा-I |
| 24 | 20डी | कम मूल्यांकन के कारण शुल्क का कम भुगतान | 84.18 | 84.18 | 44.49 | बोलपुर |
| 25 | 24डी | सिविल कार्य से जुड़ी सेवाओं | 37.97 | 37.97 | 37.97 | चेन्नई एलटीयू |

2017 का प्रतिवेदन सं. 3 (अप्रत्यक्ष कर - केंद्रीय उत्पाद शुल्क)

| क्र.सं. | डीएपी सं. | संक्षिप्त विषय | आपत्तिकृत राशि | स्वीकृत राशि | वसूली गई राशि | आयुक्तालय |
|---------|-----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | पर लिया गया अनुचित सेनवैट क्रेडिट | | | | |
| 26 | 25डी | सेनवैट क्रेडिट का अनुचित लाभ लेना | 19.77 | 19.77 | 19.77 | चेन्नई एलटीयू |
| 27 | 26डी | गैर-संबंधित सेवाकर क्रेडिट का अनुचित लाभ | 56.26 | 56.26 | 56.26 | चेन्नई एलटीयू |
| 28 | 29डी | अमान्य इनपुट सेवा का गलत सेनवैट क्रेडिट लेना | 26.63 | 26.63 | 26.63 | वडोदरा-I |
| 29 | 52डी | सेनवैट क्रेडिट का अनुचित लाभ लेना | 51.89 | 51.89 | 15.98 | चेन्नई एलटीयू |
| | | छोटे मूल्य की आपत्तियाँ जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और सुधारात्मक कार्रवाई की गई लेकिन ड्रॉफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ में शामिल नहीं किया गया | 1270.57 | 1270.57 | 1026.64 | |
| | | कुल | 3565.60 | 3565.60 | 1913.59 | |

शब्दावली

| | |
|----------|---|
| एसी | सहायक कमिश्नर |
| एसीईएस | केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचालन |
| एएफआर | लेखापरीक्षा फोलो-अप रजिस्टर |
| एएमएफ | निर्धारिती मास्टर फाइल |
| एपीआर | लेखापरीक्षा योजना रजिस्टर |
| एटीएन | की गई कार्रवाई टिप्पणी |
| बीई | बजट प्राक्कलन |
| बीआईएफआर | औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड |
| बार्ड | केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड |
| सीएए | कम्प्यूटर एसिस्टेड लेखापरीक्षा |
| सीएएपी | कम्प्यूटर एसिस्टेड लेखापरीक्षा कार्यक्रम |
| सीएएटी | कम्प्यूटर एसिस्टेड लेखापरीक्षा तकनीक |
| सीएजी | भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक |
| सीएओ | मुख्य लेखा अधिकारी |
| सीएएस | लागत लेखांकन मानदंड |
| सीबीडीटी | केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड |
| सीबीईसी | केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कोर्ड |
| सीसी | मुख्य कमिश्नर |
| सीसीआर | सेनवेट क्रेडिट नियमावली |

| | |
|---------------|---|
| सीडीआर | कमिश्नरी डिविजन तथा रेंज |
| सीई/सीएक्स | केंद्रीय उत्पाद शुल्क |
| सीईएएम | केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक |
| सीईजीएटी | सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं गोल्ड (नियंत्रण) अपील न्यायालय |
| सेनवेट | केंद्रीय मूल्य वर्धित कर |
| सीईआरए | केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा |
| सीईएसटीएटी | सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण |
| सीईटीए | केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम प्राधिकरण |
| सीपीडब्ल्यूडी | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग |
| सीएसओ | केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय |
| सीटीडी | कोल्ड ट्रिस्टिड डिफॉर्म |
| सीटीएफ | केंद्रीकृत श्रम बल |
| डीएआर | ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट |
| डीसी | उपायुक्त |
| डीजी | महानिदेशक |
| डीजीसीईआई | महानिदेशक केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना |
| डीजीपीएम | महानिदेशक निष्पादन प्रबंधन |
| डीजीटीपीएस | महानिदेशक कर दाता सेवाएँ |
| डीएनपी | डाटा प्रदान नहीं किया गया |
| डीओआर | राजस्व विभाग |

| | |
|------------|-------------------------------------|
| डीआरआई | महानिदेशक राजस्व आसूचना |
| डीआरटी | श्रण वसूली अधिकरण |
| डीटीए | घरेलु टैरिफ क्षेत्र |
| ईए 2000 | उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा 2000 |
| ईसी | शिक्षा उपकर |
| ईएलटी | एक्साइज लॉ टाइम्स |
| ईओयू | निर्यात उन्मुख ईकाई |
| ईआर | उत्पाद शुल्क विवरणी |
| एफआईयू | वित्तीय आसूचना इकाई |
| एफवाई | वित्तीय वर्ष |
| जीडीपी | सकल घरेलु उत्पाद |
| एचइएससीओएम | हुबली विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड |
| आईएफ | आंतरिक लेखापरीक्षा फाईल |
| एआईपी | आंतरिक लेखापरीक्षा दल |
| आईएआर | आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट |
| आईटी | सूचना प्रौद्योगिकी |
| जेसी | संयुक्त आयुक्त |
| केएसईबी | केरल राज्य विद्युत बोर्ड |
| एलटीयू | वृहत कर दाता इकाई |
| एमसीएम | निगरानी समिति बैठक |
| एमआईएस | प्रबंधन सूचना प्रणाली |

| | |
|----------|-----------------------------------|
| एमओएफ | वित्त मंत्रालय |
| एमटीआर | मासिक तकनीकी रिपोर्ट |
| ओआईए | अपीलीय आदेश |
| ओआईओ | वास्तविक आदेश |
| ओएल | आधिकारिक ऋणशोधक |
| ओएम | कार्यालय ज्ञापन |
| पीडी | प्रधान निदेशक |
| पीएलए | व्यक्तिगत लेज़र लेखा |
| आरएंडसी | समीक्षा और सुधार |
| आरई | संशोधित अनुमान |
| आरएफडी | परिणाम प्रारूप दस्तावेज |
| आरटीए | प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण |
| एससीएन | कारण बताओ नोटिस |
| एसएचइसी | माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर |
| एसटी | सेवा कर |
| एसटीटीजी | माल परिवहन पर सेवा कर प्रमाण पत्र |
| टीएए | आदिवासी क्षेत्र भत्ता |
| टीएआर | कर बकाया रिपोर्ट/वसूली |
| टीएमटी | ताप-यांत्रिक उपचार |

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
www.cag.gov.in